द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४२

शुक्रवार, १४ अप्रैल, १९६१
२४ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में

विषय सूची

द्वितीय माला खण्ड ५४—अंक ४१ से ५०—११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१—मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८३–८४

४८८४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२—बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–९४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–९४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१९५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१९६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव—

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प--अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रोटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार कर ने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

शुक्रवार, १४ अप्रैल, १९६१
२४ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औषधियों के कारखाने

+

*१५१९. श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान .
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दामानी :
श्रीमती कृष्णा मेहता :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामी रेड्डी :
श्री उस्मान अली खां :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २० और ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के उत्तरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) रूसी सहयोग से औषधियों के कारखाने स्थापित करने और औषधीय फार्म स्थापित करने का जो निश्चय किया गया था, उनमें से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

---

*मूल अंग्रेजी में

178(Ai) LSD—1.

(ख) क्या चार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक अलग समवाय स्थापित करने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

"इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" नाम की एक कम्पनी की नयी दिल्ली में रजिस्ट्री की गई है। इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी १५ करोड़ रुपये है जो सोवियत रूस की सहायता से स्थापित की जाने वाली चार औषधि प्रायोजनाओं को अमल में लायेगी।

सोवियत विशेषज्ञों से चारों औषधि प्रायोजनाओं के बारे में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ।

औषधि प्रायोजनाओं को अमल में लाने तथा औषधियों के फार्म स्थापित करने का काम कम्पनी द्वारा किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नई कम्पनी स्थापित की गई है उस का पूरा शेयर धन भारत सरकार दे रही है या किन्हीं और लोगों से भी इस में रुपया लगाने को कहा गया है या विदेशी सहायता ली जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : १०० फी सदी भारत सरकार दे रही है ।

†श्री कोडियान : सरकार ने काफी पहले औषधियों के फार्म स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये हैं ताकि जब तक ये परियोजनाएं, विशष कर मन्नार का पौधा रसायन संयंत्र उत्पादन आरंभ करने लगें, पर्याप्त मात्रा में औषधि संबंधी जड़ी बूटियां उपलब्ध हो जाएं ?

†श्री मनुभाई शाह : इन चारों परियोजनाओं का औषध फार्मों से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है । औषध खेत पृथक वाणिज्यिक उपक्रम हैं जो देश में अधिकाधिक क्षार जैसी जड़ी बूटियां पैदा करने के लिये है, एक बार इन का उचित रूप से विकास हो गया, तो पौधा रसायनिक परियोजना के द्वारा इन का पृथक से परिशोधन किया जाएगा ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : चारों परियोजनाएं कहां स्थापित की जाएंगी ? क्या वे विभिन्न स्थानों पर होंगी या एक ही स्थान पर ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने उन के स्थान के बारे में कितनी ही बार सभा में सूचना दी है। ऐंटीबायोटिक्स परियोजना ऋषिकेष (उत्तर प्रदेश) में, संश्लिष्ट औषध परियोजना आंध्र प्रदेश में सन्तनगर में, सर्जरी वाले और चिकित्सा वाले औजार परियोजना मद्रास में अवाडी में तथा पौधा रासायिनक परियोजना, केरल राज्य में नारियमंगलम, मन्नार में ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में बतलाया गया है कि सोवियट विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि देर से देर कब तक रिपोर्ट आ जायगी, कितना समय उस पर विचार करने में लगेगा और कब कारखानों में काम शुरू कर दिया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : मुझे इस बात को जाहिर करने में खुशी है कि एन्टीबायोटिक्स की रिपोर्ट आ चुकी और हम ने उसे स्वीकार भी कर लिया, सिन्थटिक ड्रग्ज की रिपोर्ट के इस हफ्ते में आने की हम आशा करते हैं और बाकी दोनों भी तीन चार हफ्ते में आ जायेंगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इन चीजों की लागत का कोई अनुमान लगाया गया है; और यदि हां, तो किस मात्रा तक ये आवश्यकताएं इन परियोजनाओं द्वारा पूरी की जाएंगी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** औषध परियोजनाओं में बड़ा अधिक विकास होने वाला है और मैं ने पिछली बार सभा को बताया था कि हम १९६३–६४ से प्रति वर्ष लगभग १६० करोड़ की औषधियों का उत्पादन करेंगे तथा इसका लगभग आधा भाग सरकारी क्षेत्र में हो सकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जब ये संयंत्र अधिकतम उत्पादन करेंगे, तो क्या इन औषधों के निर्यात की भी कुछ गुंजाइश होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमें ऐसी आशा है । वस्तुस्थिति यह है कि ऐंटीबायोटिक्स के मामले में हमने इतनी क्षमता लगाई है कि हम काफी निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** कुछ समय पहले एक विदेशी विशेषज्ञ दल इस देश में आया था और उसने इस मामले पर सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था । जम्मू और काश्मीर में एक औषध संयंत्र की स्थापना के लिये उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह उस समवाय को स्थापित करने के लिये है और परियोजनाएं आगे बढ़ रही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या मंत्रालय को तीन या चार विदेशी औषधि निर्माण समवायों द्वारा कमाये गये बड़े लाभ की जांच करने का अवसर मिला है और क्या उन्होंने इस प्रकार योजना बनाई है कि औषधियां और औषध उन समवायों की सूची से बाहर बनाई जाएं, ताकि हम विदेश जाने वाले लाभ को बचा सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सब से पहले यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि सब जीवन-रक्षक औषध सरकारी क्षेत्र में शामिल हैं । इसलिये उनका यह डर कि कुछ उस से बाहर रखा जाएगा उत्पन्न नहीं होगा और यह मूल्य स्थिर रखने का बहुत अच्छा उपाय होगा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि ये परियोजनाएं रूस सरकार की सहायता से स्थापित की जायेंगी । क्या इस विषय में कोई करार किया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** समझौता केवल किया ही नहीं गया बल्कि इस पर हस्ताक्षार भी हो चुक हैं और यह सभा पटल पर रखा जा चुका है । इस में लगभग १० से ११ करोड़ रुपये तक का रूसी ऋण शामिल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

+
†*१५२१. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात काफी कम हो गया है ;

(ख) क्या इसका कारण कच्चे पटसन की अत्यन्त कमी था ;

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इस वर्ष पटसन का उपयुक्त न्यनतम मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जुलाई–दिसम्बर १९५९ अवधि की तुलना में १९६० की इस अवधि में, पटसन के माल का निर्यात ४,८१,५०० टन से गिर कर ४,४६,१०० टन रह गया ।

(ख) कमी का कारण था कि पटसन के संभरण में कमी हो गई और उसके परिणामस्वरूप पटसन के माल के दाम तेज हो गये ।

(ग) किये गये उपाय ध्यान आकर्षित करने की सूचना के उत्तर में ४ मार्च, १९६१ को सभा में दिये गये वक्तव्य में बताये गये हैं ।

(घ) प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पटसन के दाम तेज हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मात्रा में कमी होन के अतिरिक्त क्या यह सच है कि हमें अमरीका में पाकिस्तान से कम दाम मिले ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब विश्व बाजार भावों तथा तुलनात्मक किस्म पर निर्भर करता है । यह धारणा कर लेना सही नहीं है उसी किस्म के लिये हमें कम दाम मिलते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : आज यहां पर ५५ रु० मन जूट बिकता है, पाकिस्तान में ७० रु० मन बिकता है । जब हमारा जूट सस्ता होता है तब सरकार हम को मदद नहीं करती है और जब जूट का दाम ज्यादा मिलने की आशा होती है तो सरकार कंट्रोल वगैरह लगा देती है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों की मदद के लिये क्या उपाय सोच रही है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने हाउस के सामने बार बार बतलाया है कि जब दाम गिरेंगे तो सरकार पूरी मदद करेगी और, जैसा मिश्र जी को पता है, भूत काल में हम ने मदद की है । आज स्थिति ऐसी है कि मदद की कोई जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : आज से दो तीन साल पहले जब जूट १४ रु० से १६ रु० मन तक बिकता था तब हम को कौन सी मदद दी गई थी ? आज जब हमारा जूट ज्यादा तेज भाव पर बिकता है तो हम को पाकिस्तान जाने की कोई सुविधा नहीं है। जब हमें कीमत कम मिल रही है तब सरकरा हमारी मदद नहीं करती है बल्कि कंट्रोल और लगा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री मनुभाई शाह : मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दिनों स्टेट ट्रेडिंग कारपो रेशन ने खरीद भी शुरू कर दी थी और हमने बिहार की कोआपरेटिव सोसाइटीज को मदद करने की बात भी तै की थी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पटसन माल का निर्यात लगातार परीक्षणाधीन है ताकि कोई कमी न होने पाये ? क्या निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव को रोकने की हमारी कोई अल्पकालीन नीति है और एक दीर्घ कालीन नीति भी है ताकि हम निर्यात का पक्का अभ्यंश बना सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं । परन्तु म सभा को और माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारी अल्पकालीन, दीर्घ कालीन और मध्यम कालीन नीतियां हैं। दीर्घ-कालीन नीति है कि पीले लम्बे रेशे वाले पटसन का उत्पादन बढ़ाया जाये ताकि हमारे बोरे, टाटें आदि उत्तम किस्म के हो सकें। अल्प-कालीन उपाय के तौर पर भी हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्यात का लगातार ध्यान रखा जाये, ताकि यह गिरे नहीं बल्कि लगातार बढ़ता जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या अब पटसन माल के ऊंचे दामों के कारण क्या अमरीकी उपभोक्ताओं में इस के विकल्पों को खरीदने की प्रवृत्ति होती जा रही है, जिससे हमारे पटसन उद्योग का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय ऐसी प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखाई नहीं देती, परन्तु इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि संश्लिष्ट किस्म का पैक करने का माल तैयार हो रहा है और वह एक कारण होगा जिसे हम लगातार अपने ध्यान में रखते हैं ताकि पटसन व्यापार में विविधता बनी रहे और पटसन माल के बारे में हमें विश्व बाजार में कम मूल्य न मिले ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय पटसन कारखाना संघ के साथ एक समझौता किया है और पटसन मिलों को करघों में ८ प्रतिशत की अधिक कमी की अनुमति दी है, जबकि ९ प्रतिशत करघे पहले ही बन्द हैं और यदि हां, तो क्या यह उत्पादन में कमी का एक कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है। बन्द करने या बन्द न करने की पिछले तीस या चालीस वर्षों से सरकार की लगातार मान्य नीति है। वास्तव में, समझौता उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के भाग में किया गया और इस विशिष्ट बात ने पटसन उद्योग के नियमित उत्पादन और विकास को कायम रखने में सहायता दी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि सरकार पटसन माल के साथ दूसरे रेशे के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है ताकि उन्हें अधिक आकर्षक बनाया जाये और कमी भी पूरी की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न दूसरे रेशों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है रेमी रेशा योजना अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में हमारी पटसन की फसल हमारी आशा से बहुत कम है; और यदि हां, तो हमारी योजना आशाओं के अनुसार पटसन की फसल हो इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**श्री मनुभाईशाह** : यह वास्तव में मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह इतना व्यापक पहलू है जो मूल प्रश्न में नहीं आता । तीसरी योजना में पटसन की फसल के लक्ष्य बढ़ा दिये गये हैं और अधिक पटसन उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि सम्बन्धी किस्म की वास्तविक मात्रा भी बढ़ा दी गई है ।

बड़े पैमाने के उद्योगों में विदेशी सहयोग

+

†*१५२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दामानी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित किये जाने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों में "विदेशी सहयोग" के बारे में कोई नीति निर्धारित एवं निश्चित कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सरकार ने विदेशी सहयोग की शर्तों को अनुमोदन देने के लिये कुछ मोटे सिद्धान्त निर्धारित किये हैं और ये २० मार्च, १९६० के प्रेस नोट में दिये गये हैं जिस की एक प्रति पुनः सभा पटल पर निर्देश के लिये रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

साधारणतया वित्तीय भागिता या प्रविधिक सहयोग के करारों में सहयोग के स्वारूप के अनुसार अन्तर हुआ करता है । नीति यह है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का विनियोजन आकर्षित किया जाये, जिन से योजना के लक्ष्यों की पूर्ति और संयंत्र के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता मिले । यदि कोई परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास के लिय अनुमोदित की जाती है और यदि इस के लिये आयात किये गये संयंत्र और मशीनरी की जरूरत होती है तो परियोजना को चलाने के रूप में विदेशी पूंजी विनियोजन का साधारणतया स्वागत किया जाये । स्वामित्व सम्बन्धी निबंधन और दूसरे शुल्कों की अदायगी उत्पादों के स्वरूप, वार्षिक अनुमानित उत्पादन तथा दूसरे पहलुओं पर निर्भर होंगी ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों में कोई अन्तर होगा अथवा दोनों मामलों में नीति एक ही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मोटे तौर पर वही नीति है किन्तु साधारणतया सरकारी क्षेत्र में हम ने भारत फर्मों या विदेशी फर्मों की वित्तीय भागिता का बहुत अधिक स्वागत नहीं किया है । यही अन्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : अनुभव से कितने प्रतिशत अवांछनीय सहयोग को रद्द किया गया है और क्या विदेशी सहयोग के मामले में इन मोटे सिद्धान्तों से कुछ ढील की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई प्रतिशत नहीं निकाला गया, किन्तु जैसा कि सभा को विदित है, हम मोटे तौर पर भारतीय अधिकता वाली भागिता का स्वागत करते हैं और केवल असाधारण मामलों में ही जहां विदेशी अधिकता बहुत सी दृष्टियों से युक्तियुक्त होती है, उनकी अनुमति दी जाती है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : विदेशी फर्मों के साथ समझौते के कितने मामलों में, भारतीय फर्मों को किसी फर्म विशेष से नहीं, बल्कि अपनी इच्छानुसार अपनी आवश्यकता की चीजों को खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में सब मामलों में, केवल संबद्ध ऋणों के मामलों में नहीं जहां परियोजना दर परियोजना ऋण होते हैं, उन में प्रत्येक मामले में, विदेशी वित्त संसाधनों से होता है और वे जिस देश से चाहें माल खरीद सकते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जिन निजी कम्पनियों के लिए फाइनेंशल पारटिसिपेशन मंजूर किया जाता है, उसमें सरकार क्या जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई खास जिम्मेदारी नहीं लेती है । जैसे हर एक के लिए जिम्मेदारी ली जाती है वैसे ही लेती है, कोई स्पेशल जिम्मेदारी नहीं है । जैसे सारे हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें जिम्मेदारी लेती हैं वही इस मामले में ली जाती है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या ऐसे उद्योग हैं जिनमें विदेशी पूंजी आ रही थी, किन्तु मना कर दी गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसे मामले हो सकते हैं, किन्तु यह सब कुछ उस मामले पर निर्भर करता है जो माननीय सदस्य के मन में है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या यह सच है कि सामान्य रूप से एक सीमा तक विदेशी सहयोग जो ५० प्रतिशत से अधिक होता है, किसी उद्योग में मना किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा कोई निक्षेप नहीं है, परन्तु हम साधारणतया भारतीय अधिकता वाली भागिता को पसंद करते हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं । परन्तु यदि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन से यह सुझाव मिलता है कि देश के औद्योगिक विकास के सर्वोत्तम हितों की दृष्टि से विदेशी अधिकता को अनुमति दी जानी चाहिये तो उस पर भी विचार किया जाता है और अनुमति दी जाती है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने दस या पंद्रह वर्ष की कोई अवधि निश्चित की है जिसकी समाप्ति पर विदेशी सहयोगी की भागिता समाप्त कर दी जायेगी या उस की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मोटे तौर पर यह दस वर्ष है और कुछ मामलों में १२ वर्ष की भी अनुमति दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासप्पा : क्या उन मामलों में भी विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है जहां उपयोग में न लाई गई वर्तमान क्षमता बहुत अधिक होती है ? क्या सरकार उन मामलों में भी विदेशी सहयोग की अनुमति देगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह वास्तव में उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि लाइसेंस देने की नीति के मामले में भी विद्यमान क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसलिये यदि किसी योजना में कोई विद्यमान-क्षमता होती है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, तब अपने आप औद्योगिक लाइसेंस क्षमता के दृष्टिकोण से नहीं दिया जाता, परन्तु उसके समाप्त किये जाने के पश्चात् सहयोगों के बारे में गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मन्त्री ने कहा है कि योजना लक्ष्यों की पूर्ति के लिये व विदेशी सहयोग की अनुमति देंगे। क्या यदि हम अनुसूची (क) में दिये गये उद्योगों के योजना लक्ष्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहें तो क्या उन उद्योगों में भी विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बात नहीं है। अनुसूची (क) के लिये संसद् ने पक्के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और हमने उसे स्वीकार किया है, जब तक किन्हीं न रोके जाने वाले कारणों से परियोजना में थोड़ा विलम्ब न हो जाय। वास्तव में, यदि सभा दूसरी योजना अवधि में किये गये कार्य का परीक्षण करेगी, तो यह पता चलेगा कि अधिकांश मामलों में हम अपने लक्ष्यों से बढ़ गये हैं और उन परियोजनाओं को भी सरकारी क्षेत्र में ले आये हैं जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में कभी शामिल नहीं किये गये थे।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच है कि अनुसूची 'क' में वर्णित उद्योगों के मामले में भी हमारे आर्थिक कार्य के महा आयुक्त श्री बी० के० नेहरू भारत सरकार को यह सुझाव दे रहे हैं कि उस नीति में ढील की जानी चाहिये और यहां तेल व्यापार में अमरीकी सहयोग की अनुमति दी जानी चाहिये ?

†श्री मनुभाई शाह : ढील करने की मांग का कोई प्रश्न नहीं है। केवल इतनी बात है कि विदेश स्थित हमारे राजदूत और अफसर को पहले कुछ बताने की जरूरत होती है कि भारत सरकार की नीति क्या है, किन्तु किसी भी ओर कोई दूसरा उपाय अपनाने का प्रश्न नहीं है।

†श्री कोडियान : क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक उर्वरक संयंत्र खोलने के लिये विदेशी समवायों के साथ एक करार किया है जिसमें यह बताया गया है कि विदेशी समवायों का भाग ५० प्रतिशत से अधिक है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह ऐसा हो सकता है, प्रत्येक राज्य को एक उर्वरक परियोजना स्थापित करने की अनुमति देनी होती है और पश्चिम बंगाल सरकार भी एक परियोजना स्थापित करना चाहती है और वे निश्चिय ही जो कुछ प्राप्त करना सम्भव है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं?

†श्री राम नाथन् चेट्टियार : क्या विदेशी सहयोग के मामले में अंशधारिता के स्थान पर स्वामित्व को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है ?

†श्री मनुभाई शाह : मोटे तौर पर, विदेशी सहयोगियों का सामान्य दृष्टिकोण यह है, क्योंकि उनमें से बहुतों के पास धन लगाने के लिये फालतू पूंजी नहीं है, अतः अधिकतर सहयोग केवल प्रविधिक सहयोग हैं, परन्तु हम वित्तीय सहयोग का स्वागत करेंगे क्योंकि इनमें हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति आसान हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकारों को अपनी यह नीति बनाने की स्वाधीनता है कि उनके अपने समवायों में किन विदेशी सहयोगों को भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जाए और किन शर्तों के अधीन ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। राज्य सरकारों के पास यह अधिकार होने का कोई प्रश्न नहीं। यह केन्द्रीय विषय है। जैसे गैर-सरकारी उपक्रमियों को बातचीत करने की स्वाधीनता दी जाती है उसी प्रकार राज्य सरकारें जो अधिक उत्तरदायी निकाय होते हैं, देश की औद्योगिक नीति के ढांचे के अन्दर निश्चय ही बातचीत कर सकते हैं और तब हमें प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

†श्री रंगा : क्या यह पूर्णतया केन्द्रीय विषय है ? क्या यह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की शक्ति के अन्दर नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : विदेशी औद्योगिक, आर्थिक एवं प्रविधिक सहयोग पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है जिसका देश की सब राज्य सरकारों और सरकारी एवं गैर-सरकारी उपक्रमों पर क्षेत्राधिकार है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय उन उद्योगों की एक सूची बतला दें या सदन के पटल पर रख दें जिनके कि प्लान टार्गेट्स पूरे करने के लिये फौरेन कोलैबोरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है।

†श्री मनुभाई शाह : यह बात इस में से नहीं निकलती है और न ही मैं इतनी ज्यादा फीगर्स रख सकता हूं।

†श्री म० ला० द्विवेदी : यह पटल पर रखा जाए।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : प्रेस नोट में लिखा है "कुछ करारों में दूसरी अवांछनीय बात निम्नतम स्वामित्व देने का उपबन्ध है, जिससे अनुमोदन में कठिनाइयां और विलम्ब पैदा होते हैं।" एक मामले में सरकार कितना निम्नतम स्वामित्व देती है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह मोटे तौर पर किसी मामले के गुण दोष पर निर्भर करता है। मैंने यह बात मुख्य प्रश्न के उत्तर में अच्छी तरह बतादी है।

हिन्दुस्तान मशीन औजार कारखाना, बंगलौर

†*१५२३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में कर्मकारों द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने की योजना को पुनः चालू करने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जी, हां। कार्मिक संघों के प्रतिनिधि स्वरूप का फैसला दिये जाने के पश्चात्।

†श्री अजित सिंह सरहदी : कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था को कैसे अधिक सफल बनाया जा सकता है यह जानने के लिये समिति द्वारा या अन्यथा क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : कार्यक्रम वहां आरम्भ किया गया था और यह कई महीनों तक बहुत अच्छा चला। परन्तु उसके बाद कार्मिक संघ की ओर से कुछ आन्दोलन हुआ और कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गईं। अतः इसे हटा दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह विशिष्ट योजना एक विरोधी संघ बनाये जाने के कारण छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो संघ के प्रतिनिधि स्वरूप का फैसला करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है, जिसे इसके साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये ?

†श्री ल० ना० मिश्र : नहीं, यह उस कारण नहीं थी । यह इस कारण थी कि इस कार्यक्रम के साथ कार्मिक संघ को सम्बद्ध किया गया था, उसने कुछ अनुचित मांगें कीं, वहां प्रदर्शन हुए और उन्होंने करार का उल्लंघन कर दिया । अतः यह हटा दिया गया ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : कार्मिक संघ का प्रतिनिधि स्वरूप कैसे निश्चित किया जाता है, क्या यह पिछले सितम्बर में हुए त्रिपक्षीय सम्मेलन के निर्णय के आधार पर होता है या अन्यथा ?

†श्री म० ला० मिश्र : यह अनुशासन संहिता के अनुसार होता है ।

†श्री जोकीम अल्वा : मैं देखता हूं कि कर्मकारों के चार प्रकार के बोनस हैं:—व्यक्तिगत, समूचे, उपस्थिति और विशेष प्रकार के बोनस—और कर्मचारियों के भाग लेने के रूप में कुछ नहीं किया गया है । इसका कारण यह है कि सरकार डरती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में डर फैल जाएगा यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को काफी भाग दे दिया गया ?

†श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं । हमारी नीति यह है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग हो । हमने इसे थोड़ा आरम्भ किया है और जब यह सफल हो गया तो हम अग्रतर कार्यक्रम करेंगे ।

†श्री वासप्पा : क्या कर्मचारियों के भाग लेने की इस योजना में कर्मचारियों के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं या केवल बाहर के लोग आ जाते हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम आशा करते हैं कि कर्मचारियों के वास्तविक प्रतिनिधि उस में होंगे और होने चाहियें ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : ज्यों ही मुख्य प्रश्न पढ़ा जाता है, मैं देखता हूं कि जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं मैं उनको अवसर देता हूं । परन्तु जब मैं प्रश्न के अन्त पर आता हूं कुछ और सदस्य प्रश्न का विचार करते हैं और खड़े हो जाते हैं । उस स्थिति में मुझे अगला प्रश्न लेना पड़ता है ।

†श्री जोकीम आल्वा : जब माननीय सदस्य वक्तव्य देते हैं और उसमें कुछ ऐसी बात होती है जो उसमें से निकाली जा सके, तो क्या होता है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं उस हिस्से के बारे में भी एक या दो प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

†श्री जोकीम अल्वा : आप बड़े वकील हैं और प्रति-परीक्षण की कला जानते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं परन्तु प्रति परीक्षण की भी सीमा होती है ।

कोयला खनिकों के लिये क्वार्टर

†*१५२४. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम तथा रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अक्तूबर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक छः महीने की अवधि में कोयला खनिकों के लिये कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): कोयला खान श्रम कल्याण संगठन की नवीन आवास योजना के अन्तर्गत १२८७ मकान बनाये जा चुके हैं और १००९ बन रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दूसरी योजना अवधि में ३०,००० क्वार्टरों के निर्माण के लिये ८ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । उस अवधि में कितने क्वार्टर बनाये गये ?

†श्री ल० ना० मिश्र: हमारा लक्ष्य ३०,००० क्वार्टरों का था जिसमें १३,९४९ बनाये गये हैं और ११२४ बनाये जा रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह तो बहुत कमी है । इसके कारण क्या हैं और इसे पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : कारण है (१) कोयला न रखने वाली भूमि की कमी, (२) इमारत बनाने की सामग्री की कमी और (३) ४० वर्षों के लिये पट्टा लेने में कठिनाई । ये सब कठिनाइयां दूर की जा रही हैं और हमें आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ।

जहां तक इसका सम्बन्ध है हमने कोयला खनिकों को सस्ते मकान देने की एक नई योजना बनाई है । इस वर्ष का हमारा लक्ष्य २५,००० तथा तीसरी योजना का १,००,००० है ।

†श्री पलनियांडी : न केवल कोयला खनिकों की आवास योजना के बारे में किन्तु औद्योगिक और बागान कर्मचारियों के लिये मकान के बारे में भी हमने लक्ष्य पूरे नहीं किये हैं । क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनाने के लिये कोई कार्रवाई की है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है । लक्ष्य इस वर्ष का २५,००० और तीसरी योजना अवधि का १,००,००० बनाना है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एक क्वार्टर जो बनता है उसमें कितने मजदूर रहते हैं और एक क्वार्टर के बनाने में कितना खर्च पड़ता है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : एक मजदूर परिवार के लिए हम एक क्वार्टर बनाते हैं । पहले जो क्वार्टर हम बनाते थे तो उस पर ३२०० से ३८०० रुपया खर्चा आता था लेकिन अब एक तरीका निकाला गया है जिसमें कि एक क्वार्टर पर १३०० रुपये खर्च आयेंगे और उसमें एक मजदूर परिवार रह सकेगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : बनाये जाने वाले एक कमरे वाले १३०० मकानों के बारे में क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये कि वे गन्दी बस्तियां न बन जायें, कोई उपाय किये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम अपनी आवास योजना के अनुसार मकान बनाते हैं । हम यथा संभव प्रयत्न करते हैं कि वे गन्दी बस्तियां न बनें ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : भविष्य में इन एक कमरे वाले मकानों को बनाना आरम्भ करते समय वे इस प्रकार बनाये जायेंगे कि उन को दो कमरों वाले धनबाद की किस्म के क्वार्टरों में विस्तार किया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सस्ते मकानों को बड़े मकानों में विकास करना सम्भव नहीं है क्योंकि उनका जीवन १०–१५ वर्ष का होता है। पुरानी योजना जारी रहेगी किन्तु यह १०–१५ वर्ष के लिये अन्तरिम व्यवस्था है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या कोयला खानों में काम करने वाले कर्मकरों की कुल संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है, और इस बात का अनुमान है कि कितने लोगों को क्वार्टर दिये गये हैं और कितनों को नहीं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जैसा मैं ने बताया आज कल बहुत कम प्रतिशत कोयला खनिकों के पास क्वार्टर हैं । मकान बनाने की यह महत्वाकांक्षी योजना इसी समस्या को हल करने के लिये बनाई जा रही है ।

इटली का व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

\+

†*१५२५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली का एक व्यापार-प्रतिनिधिमंडल भारत में वस्तु-स्थिति का पता लगाने के लिए आया था; और

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यतः क्या काम किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). अफसरों और गैर-सरकारी लोगों का एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल इटली से भारत में इस वर्ष फरवरी में, इस देश के वाणिज्यिक, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में चालू और आयोजित घटनाओं से परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से आया था ।

श्री विभूति मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इटैलियन ट्रेड डेलिगेशन ने कोई रिपोर्ट दी है कि नहीं और यदि दी है तो उस रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री सतीश चंद्र : दूसरे मुल्क का एक डेलिगेशन यहां इस बात को देखने के लिए आया था कि वह यहां से क्या तिजारत कर सकते हैं। उस डेलिगेशन की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां से वह सब देख कर गये और यह तो उन्होंने बतलाया ही होगा कि इन इन चीजों को उन्होंने पसन्द किया और इन इन चीजों को वह मंगा सकते हैं ?

श्री सतीश चंद्र : यहां से जाने के बाद उन्होंने एक डेलिगेशन हिन्दुस्तान का बुलाया है और वह वहां जायेगा । जब कभी ट्रेड वगैरह की बातचीत होगी तो उस वक्त विस्तारपूर्वक सब प्रश्नों पर गौर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रतिनिधिमंडल में दो प्रकार के लोग थे--शासकीय और गैर सरकारी। क्या उन के साथ पृथक पृथक बातचीत की गई थी या प्रतिनिधिमण्डल के दोनों प्रकार के लोगों के साथ इकट्ठी बातचीत की गई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रतिनिधिमंडल कोई बातचीत करने के लिये नहीं आया था। इटली सरकार ने इसे भेजा था और इस में ५ सरकारी और २० गैर सरकारी लोग थे और यह बड़ा दल था। यह यहां आया और इस ने वाणिज्य मंडलों तथा सरकारी अधिकारियों से बातचीत की। यह अब वापिस चला गया है और अपनी सरकार को एक प्रतिवेदन पेश करेगा।

†**श्री कालिका सिंह** : इस बात की दृष्टि से कि इटली यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र का सदस्य है, क्या इस का भारत और इटली के बीच के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस के लिये क्या कार्रवाई की है कि यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र हमारे व्यापार में बाधा न डाले ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इटली के यूरोपीय सामान्य बाजार का सदस्य बनने के बाद, यूरोप निर्बाध व्यापार क्षेत्र का नहीं, जो एक पृथक निकाय है, भारत से निर्यात कुछ थोड़ा बढ़ा है और आयात न्यूनाधिक स्थिर रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल इटली जायगा, उस के सदस्यों और जाने की तारीख का निश्चय हो गया है, यदि हां, तो भारत सरकार ने कौन कौन सी चीजें निर्धारित की हैं, जिनके बारे में हमारा डेलीगेशन वहां जा कर देखेगा कि वे भारत आ सकेंगी और उन के बदले में कौन कौन सी चीजें हमारे यहां से जायेंगी। वहां से जो लैम्बरेटा और वैस्पा स्कूटर आते हैं वे किस शर्त पर आते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : लैम्बरेटा और वैस्पा हिन्दुस्तान में ही बनाने का विचार है।

श्री म० ला० द्विवेदी : उन के काम्पोनेन्ट्स आते हैं।

श्री सतीश चन्द्र : उन के काम्पोनेन्ट्स आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वे पूरी तरह से हिन्दुस्तान में बनने लगेंगे। इस बारे में एक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की स्कीम है। जो डेलीगेशन वहां जा रहा है, उस के लीडर हैं हमारे मिनिस्टर आफ़ कामर्स और उस में छः और सदस्य हैं। यह डेलीगेशन वहां इंडस्ट्री, ट्रेड और दूसरे लोगों से बात करेगा और देखेगा कि किन चीजों के बारे में यहां की इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन सम्भव है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : हमारे देश के किन औद्योगिक केन्द्रों में यह प्रतिनिधिमंडल गया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दिल्ली के अतिरिक्त, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और बंगलौर गया था।

†**श्री आचार** : यूरोपीय सामान्य बाजार से उत्पन्न होने वाली किन समस्याओं के बारे में इस प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की गई ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जब बात चीत होती है तो हमेशा इसका कुछ उल्लेख किया जाता है। यह प्रतिनिधिमंडल भारत के हालात का अध्ययन करने के लिये आया था कि आया वे हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की क्या संभाव्यता है। यह अधिकतर सद्भावना एवं अध्ययन प्रतिनिधिमंडल था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि इटली से जो गन्धक आता है, वह हमारे गन्धक से अच्छा होता है ? क्या सरकार ने डेलीगेशन को यह निर्देश दिया है कि वह इटली में गन्धक बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करे और उस के अनुसार यहां गन्धक बनाने का इन्तजाम करे ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी हिन्दुस्तान में गन्धक नहीं होता है । उस के बारे में अभी कोशिश हो रही है । अमजोर में पाइराइटीस मिला है, जिस से गन्धक बनेगा । अभी सब गन्धक बाहर से आता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इटली में बहुत उत्तम गन्धक होता है, इसलिये क्या वहां उस के बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं । माननीय सदस्य प्रश्न पूछते जाते हैं जब मैंने दूसरा प्रश्न बुलाया है । मैंने उनको पर्याप्त अवसर दे दिया है ।

रूरकेला में भारी मशीनें बनाने का उद्योग

†*१५२८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में भारी मशीनें बनाने का एक उद्योग स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या यह लाइसेंस उड़ीसा मैशीनरीज लिमिटेड नामक सार्थ को दिया गया है; और

(ग) रूरकेला के इस कारखाने में कौन सी भारी मशीनें बनायी जायेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस मैसर्स लार्सन ऐंड टौबरो सीमित बम्बई को, आरम्भ में ६००० टन क्षमता के साथ और आखिरकार बढ़ा कर १२००० टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ, तीन पश्चिम जर्मन फर्मों के सहयोग से मशीनरी की निम्नलिखित मदों के निर्माण के लिये, मैसर्स उटकल मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड के नाम और स्वरूप के साथ रूरकेला (उड़ीसा राज्य) में एक उपक्रम स्थापित करने के लिये दिया गया है :—

(१) सिंटरिंग ओर और तैयार करने का उपकरण;

(२) पेरने और स्क्रीन करने का संयंत्र;

(३) कोक भट्ठी का उपकरण और उप-उत्पाद तैयार करने का संयंत्र;

(४) धमन भट्ठी और इस्पात संयंत्र के लिये उपकरण;

(५) सीमेंट बनाने की मशीनरी समेत रसायनिक संयंत्र का उपकरण;

(६) उर्वरक संयंत्र और संश्लिष्ट गैस का उपकरण;

(७) तेल और तेल उत्पादों, तारकोल और बैंजोल, को साफ करने का संयंत्र शोधन कारखाना और पैट्रो-रसायनों का उपकरण ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर ;

(९) गैस वर्क्स उपकरण ;

(१०) हाइड्रोलिक उपकरण ;

(११) गूदा, कागज और गत्ता बनाने की मशीनरी और उपकरण ;

(१२) रज्जुपथ और केवलक्रेन ;

(१३) औद्योगिक भट्ठियां ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस परियोजना की कुल लागत कितनी होगी ? यह फैक्टरी कब उत्पादन आरंभ करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अगले ३-४ महीनों में-स्टर्कचरल का पहला भाग ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कुल लागत कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सवा करोड़ रुपये ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : भारतीय फर्म के साथ पश्चिम जर्मन की ३ फर्मों के कितने प्रतिशत अंश थे अर्थात् इन जर्मन फर्मों ने कुल कितने प्रतिशत अंश लिये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रत्येक के पास २५ प्रतिशत । परन्तु तीसरी फर्म द्वारा सहयोग छोड़ने की संभावना है और ये अंश भारतीय फर्मों के पास जाएंगे ।

पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से निर्मित सैनिक शिविर

+

†*१५३०.
- **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
- **ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर** :
- **श्री वी० कं० शर्मा**
- **श्री प्र० चं० बरुआ** :
- **श्री प्र० गं० देब** :
- **श्री सम्पत** :
- **श्री वाजपेयी** :
- **श्री आसर** :
- **श्री उ० ल० पाटिल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका के धन से निर्मित बहुत से सैनिक शिविर भारतीय सीमा के निकट स्थित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के क्या विचार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) संभवतः निर्देश पश्चिम पाकिस्तान में खारियान सैनिक शिविर की ओर है, जिसके भारतीय सीमा के पास होने के कारण, अमरीका की कांग्रेस समिति के एक प्रतिवेदन में पिछले महीन आलोचना की गई थी :

(ख) और (ग). अमरीकी सरकार को भारत सरकार के विचार मालूम हैं कि पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता भारत की सुरक्षा के लिये एक लगातार खतरा पैदा करती है। अमरीका की सरकार ने अपना यह विचार पुष्ट किया है कि पाकिस्तान को दी गई सैनिक सहायता सर्वथा उसकी आन्तरिक सुरक्षा तथा उस की वैध एवं उचित आत्म रक्षा के लिय है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस शिविर की स्थापना से पूर्व जिसका अभी उल्लेख किया गया था, राजनयिक सूत्रों द्वारा भारतीय सरकार को बताया गया था ?

†अध्यक्ष महोदय : ऐसी सहायता दिये जाने या अड्डों के लिये जाने से पूर्व राजनयिक सूत्रों द्वारा भारती सरकार से परामर्श किया गया था ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): ऐसे विषय पर बताये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि एक पिछले अवसर पर दिल्ली में अमरीकी राजदूत से एक आश्वासन प्राप्त किया गया था कि पाकिस्तान को दिये गये अमरीकी हथियारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा ? यदि हां, तो क्या वह आश्वासन इस पर लागू होता है या नहीं कि उन्हें अपने सैनिक अड्डों को हमारी सीमा पर नहीं रखना चाहिये, जिससे हमें हमेशा चिढ़ रहती है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित आशय का एक आश्वासन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की ओर से पहल कई बार दिया गया था। परन्तु वह आश्वासन किसी स्थान पर शिविर खोले जाने पर लागू नहीं होता। इसका यह आशय है कि हथियारों का हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा। परन्तु म यह नहीं समझता कि इस का यह आशय है कि किसी जगह प्रशिक्षण के लिय शिविरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

†श्री मो० ब० ठाकुर : कितने सैनिक शिविर हैं और व हमारी सीमा से कितनी दूर हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तानी सैनिक शिविर ? मुझे मालूम नहीं। संभव है कि सूचना हमारे पास हो, किन्तु इस समय मेरे पास नहीं है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : हमारी सीमाओं से कितनी दूरी पर हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : समान्यतया वे आन्तरिक शिविर हैं। एक हमारी सीमा के पास है इस का उल्लेख किया गया था। दूसरे शिविर बहुत दूर हैं।

†श्री मो० ब० ठाकुर : वह कैम्प कितना दूर है दो मील, तीन मील या पांच मील ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे इस समय ज्ञात नहीं है। मैं सैनिक दृष्टि से तो नहीं बता सकता, परन्तु मेरा अनुमान है कि महज किसी कैम्प के खुल जाने से खतरा नहीं बढ़ता और भी कई बातों पर सोचना पड़ता है। साधारणतया सेनायें हमारी सीमाओं के निकट रहती हैं, परन्तु उन्हें कैम्प नहीं कहा जाता। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यदि सेना हमारी सीमा के निकट है तो वह हमारी सीमा के लिये खतरा है। परन्तु इस प्रकार के एक कैम्प लग जाने से खतरा बढ़ नहीं जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कालिका सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि एक अमरीकन समिति ने उस कैम्प की कार्यवाहियों की आलोचना की थी। क्या वह आलोचना केवल पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही फिजूल खर्ची की आलोचना की थी या कि उन कैम्पों के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में थी।

†श्री सादत अली खां : उसने इन कैम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में आलोचना की थी।

†श्री कालिका सिंह : किस कैम्प के सम्बन्ध में आलोचना की गयी थी ?

†श्री सादत अली खां: समिति ने उन कैम्पों पर खर्च की गयी अत्यधिक धन राशि की आलोचना की थी।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह आलोचना किसी विशेष कैम्प के सम्बन्ध में की गयी थी ?

†श्री सादत अली खां : यह आलोचना पश्चिमी पाकिस्तान में है जिसे खरिया कैम्प कहते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : यदि उन कैम्पों का कोई भी सैनिक महत्व नहीं है, तो वे हमारी सीमा के इतने निकट क्यों बनवाये जा रहे हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान सरकार की ओर से मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं। मेरा अनुमान है कि सम्पूर्ण पाकिस्तान में उनके कैम्प लगे हुए हैं। इसका निर्णय करना उनका काम है। उनकी अपनी सीमाओं के अन्दर किये जा रहे किसी भी कार्य के बारे में हम कोई आपत्ति नहीं कर सकते।

†श्री जोकीम अल्वा: जब भी पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है, तो क्या अमरीकन सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया जाता है कि यदि अमरीका पाकिस्तान को इतनी अधिक सहायता न देता तो पाकिस्तान हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करता ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: जी, नहीं। प्रत्येक अवसर पर ऐसा नहीं किया जाता। कभी कभी ऐसा किया जाता है।

श्री ब्रजराज सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से इस बात का आश्वासन मिला है कि जो कैम्प संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से पाकिस्तान सरकार के द्वारा हमारी सीमा के निकट स्थापित किया जा रहा है, हिन्दुस्तान के खिलाफ़ कभी उस का प्रयोग नहीं होगा और यदि कभी प्रयोग होता है, तो संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार उस को रोकने की कोशिश करेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी अर्ज किया है कि कैम्प के बारे में न कोई आश्वासन मांगा गया है और न उन्होंने दिया है। जो हथियार उन्होंने दिये हैं, उन के बारे में उन्होंने बार बार कहा है और मैं समझता हूं कि हथियारों के इस्तेमाल के बारे में उन का आश्वासन जारी रहेगा। व हथियार कहां रखे जाते हैं, कहां कैम्प हो, इस बारे में चर्चा पहले कभी नहीं हुई।

†श्री हेम बरुआ : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि सीमाओं पर सैनिक कैम्प हमारे लिये खतरा नहीं है, परन्तु पाकिस्तानी सैनिक युद्धप्रिय होने के कारण किसी भी समय हमारे विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर सकते हैं। इसलिये क्या सरकार इस खतरे को ध्यान में रखते हुए इस सीमांत क्षेत्र को बचाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या हम पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं । और उत्तर यह है कि हां हम हैं ।

अंदमान में रबर बागान

†*१५३१. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदामन में रबर के बागान लगाने की कोई कोशिश की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). चीफ़ कमिश्नर द्वारा नियुक्त एक सर्वेक्षण दल ने जिसे रबड़ बोर्ड से भी सहायता प्राप्त थी, इन द्वीपों का दौरा किया था और वह रिपोर्ट दी थी कि केन्द्रीय निकोबार द्वीप समूह के कत्चाल द्वीपों की लगभग १०,००० एकड़ भूमि और अन्दमान द्वीप समूह के रतलैंड द्वीपों के लगभग ३५०० एकड़ भूमि रबर उत्पादन के लिये अधिक उपयुक्त है । अग्रिम परियोजना के रूप में रतलैंड द्वीप में रबड़ के पौधे लगाने के लिये रबड़ बोर्ड के परमर्श से योजनायें तैयार की जा रही हैं ।

†श्री अरविन्द घोषाल : वहां पर इस समय कितने एकड़ भूमि में रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है ?

†श्री कानूनगो : इस समय अन्दमान द्वीपों में रबड़ का जरा भी उत्पादन नहीं किया जा रहा है ।

†श्री अरविन्द घोषाल : अग्रिम परियोजना पर धन किसकी ओर से खर्च किया जायगा ?

†श्री कानूनगो : अन्दमान प्रशासन द्वारा खर्च किया जायगा ।

†श्री जोन चन्द्रम: क्या यह सच नहीं है कि वहां पर एक व्यक्ति को ५००० एकड़ भूमि और कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने भी उस स्थान पर नारियल तथा रबड़ का उत्पादन करने की दृष्टि से उन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये एक उच्च अधिकारी को वहां भेजा था ; और यदि हां, तो क्या उस पदाधिकारी की सिफारिशों पर विचार किया गया है ?

†श्री कानूनगो : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं, परन्तु चीफ कमिश्नर ने अपने सुझाव भेजे हैं और रबड़ बोर्ड केवल सहायता कर रहा है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ क्या अन्दमान की जलवायु रबड़ उत्पादन के लिये उपयुक्त है और इस कार्य में कितने मजदूर काम में लगाये जायेंगे ?

†श्री कानूनगो : यह एक छोटा सा अग्रिम उत्पादन कार्य है । अनुमान है कि वहां की जलवायु रबड़ के लिये उपयुक्त होगी । वहां पर स्थानीय मजदूर उपलब्ध नहीं हैं । परिवहन सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये इस तजरबे से यह देखा जायेगा कि मजदूरों पर कितनी लागत आयेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के पुराने महल के अहाते में से चतुर्थ आसाम राइफल्स का हटाया जाना

†*१५३२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मनीपुर की सामान्य जनता और कुछ संगठनों की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि मनीपुर के पुराने महल के अहाते में से चतुर्थ आसाम राइफल्स को हटाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इम्फाल के पुराने महल के क्षेत्र में एक तालाब और एक मन्दिर में सामान्य जनता को प्रवेश की अनुमति देने के लिये आसाम राइफल्ज़ की चौथी बटेलियन को, जो कि वहां गत कई वर्षों से है, वहां से हटा दिया जाये ।

परन्तु किसी और उपयुक्त स्थान की कमी के कारण वैसा करना व्यावहारिक नहीं है ।

इसलिये उस स्थान को खाली करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या मनीपुर की रियासत के विलय से पहले क्या इस महल को स्थानीय प्रशासन के हवाले कर देने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया था ? यदि हां, तो यह महल अभी तक चतुर्थ आसाम राइफल के पास क्यों है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** मैं नहीं कह सकता कि उस समय किस किस मामले पर विचार किया गया था, परन्तु उस समय इस सम्बन्ध में अवश्य विचार किया गया था कि कौन कौन सी सम्पत्ति राज्य की है और कौन कौन सी सम्पत्ति महाराजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति है । यदि यह महल राज्य का है तब तो ठीक है, परन्तु यदि वह महल महाराजा की सम्पत्ति है तब तो उसकी स्थिति दूसरी है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : इस सम्बन्ध में तो पहले ही फैसला हो चुका था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ने बता दिया है कि यदि वह महाराजा की सम्पत्ति है तब तो वह एक दूसरी स्थिति है । परन्तु यदि वह राज्य की सम्पत्ति है तब वह राज्य प्रशासन की सम्पत्ति है । तो इसमें कठिनाई क्या है ?

†**श्री ले० अचौ सिंह** : जिस समय यह प्रश्न लिया गया था उस समय महल का पूर्वी भाग स्थानीय प्रशासन को पहले ही हवाले किया जा चुका था, परन्तु गोविन्द जी नामक मन्दिर और महल अभी तक स्थानीय प्रशासन के हवाले नहीं किये गये हैं । जनता इस बात की मांग कर रही है कि वे स्थान जनता के लिये खोल दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह चाहते हैं कि यह महल सेना के स्थान पर स्थानीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह एक अलग प्रश्न है । स्थानीय प्रशासन सम्पूर्ण राज्य सम्पत्ति का इंचार्ज है । उस सम्पत्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिये—वह सेना को दे या न दे—यह तो उनका आन्तरिक मामला है और उस पर कई बार विचार किया जा चुका है । जैसा कि बताया जा चुका है, वहां की सेना को किसी और स्थान पर ले जाना कठिन है और महंगा भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेन्ट के वितरण के लिये परमिट प्रणाली

+

†*१५३३. { श्री राधा मोहन सिंह :
श्री उस्मान अली खां :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट का वितरण परमिट प्रणाली पर करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब से परमिट प्रणाली जारी की जायेगी ; और

(ग) किन-किन राज्यों में यह व्यवस्था जारी की जा रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

सीमेंट की मांग जो कि पिछले दो वर्षों में उत्पादन क्षमता से काफी कम थी, १९६० के आरम्भ से तेजी से बढ़ने लगी और अब उपलब्ध परिमाण से अधिक है । चूंकि राज्यों की सारी मांग पूरी नहीं की जा सकी इसलिये उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपने अपने राज्य-क्षेत्रों में सीमेंट की वितरण सम्बन्धी स्थिति पर पुनः विचार करें। उन्हें एक सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन उचित कार्रवाई करने की भी सलाह दी गयी थी जिससे जनता और सरकार दोनों के ही लिये सीमेंट का उचित रूप से वितरण किया जा सके । इस कारण परमिट प्रणाली जारी करने अथवा इस मामले में कोई और कार्रवाई करना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है । अब तक जो सूचनायें मिली हैं उनके अनुसार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर की सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में परमिट प्रणाली फिर से लागू कर दी है ।

श्री राधा मोहन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सीमेंट की डिमांड बढ़ी है, वह केवल पब्लिक डिमांड के बढ़ जाने की वजह से बढ़ी है या सरकारी कामों की वजह से बढ़ी है ?

श्री मनुभाई शाह : सब दिशाओं में डिमांड बढ़ी है, खानगी क्षेत्र में बढ़ी है, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ी है और सरकारी क्षेत्र में भी बढ़ी है ।

श्री राधा मोहन सिंह : परमिट सिस्टम जारी करने से पूर्व क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय किया है या सोचा है कि सीमेंट की जो कमी हो रही है, उसको उत्पादन बढ़ा कर पूरा किया जाना चाहिये या फिर बाहर से सिमेंट मंगा कर उसे पूरा किया जाना चाहिये ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, सदन को जानकर आनन्द होगा कि पिछले चार सालों में साढ़े चार मिलियन टन्ज से बढ़ कर वह आठ मिलियन टन हो गया है । लेकिन चूंकि देश में विकास कार्यों की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिये डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसको ध्यान में रखते हुए और भी सीमेंट फैक्टरियों को लाइसेंस दिये गये हैं ताकि जो हमारा लक्ष्य है, उस तक हम पहुंच सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री खादीवाला : क्या सरकार को मालूम है कि सीमेंट की कमी की वजह से राज्य सरकारों की तरफ से जो सीमेंट का वितरण होता है वह बहुत ही कम मात्रा में होता है और इतना सीमेंट किसी को भी नहीं दिया जाता है कि जिससे कोई मकान पूरा बन सके जिसका नतीजा यह होता है कि जितने भी मकान बन रहे होते हैं वे अधूरे पड़े रहते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सलाह राज्य सरकारों को दी जाएगी ताकि लोगों को इतना सीमेंट का कोटा तो दिया जा सके जिससे मकान पूरा बन जाए ?

श्री मनुभाई शाह : राज्य सरकारों को हमेशा ऐसी सलाह दी जाती है कि जितना माल हो, उसके मुताबिक खर्च करो। जहां तक मकानों के लिए सीमेंट के परमिट देने का सम्बन्ध है, उसी को इतने ज्यादा परमिट नहीं दे देने चाहियें जिससे सब मकान जो बन रहे होते हैं, अधूरे रह जायें।

†श्री च० द० पांडे : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन के लिये १२० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सरकार ने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, परिणामस्वरूप उत्पादन १२० लाख के स्थान पर केवल ८० लाख टन ही रह गया है। सरकार १२० लाख टन के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमने कार्य में ढील तो नहीं की है, परन्तु गत दो वर्षों से मांग कम हो गई है और इसीलिये कारखानों को २० प्रतिशत से अधिक क्षमता कम कर देनी पड़ी है। जब मांग नहीं होती उस समय निर्माता स्वयं भी सीमेंट का कम उत्पादन करते हैं।

†श्री अरविन्द घोषाल : सरकारी इमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट के संभरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है। क्योंकि सीमेंट की कमी के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय की इमारतों के निर्माण का कार्य रुक गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य से मेरा यही निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से बात करें यदि वह मुझे इस सम्बन्ध में कहते हैं तो मैं ही पश्चिमी बंगाल सरकार से इस बारे में बात करूंगा।

रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा का विशेष रंगीन प्रलेख चित्र

†

†*१५३४. { श्री सुगन्धि :
श्री उस्मान अली खां :
श्री अगाड़ी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री गामणि :
श्री जीनचन्द्रन : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा का विशेष रंगीन प्रलेख चित्र, जो कार्यक्रम के अनुसार मद्रास में २४ मार्च, १९६१ को 'रिलीज' किया जाना था, फिल्म्स डिवीज़न द्वारा वापस ले लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रलेख चित्र को मद्रास में रिलीज करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इनके कब रिलीज किये जाने की सम्भावना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)**:(क) और (ख). यह फिल्म दो भागों में बनाई गई है। बड़ी फिल्म ५,३२९ फुट लम्बी है और छोटी १,९६१ फुट लम्बी है। छोटी फिल्म २४ मार्च, १९६१ से मद्रास सहित सम्पूर्ण भारत के सिनेमा भवनों में दिखायी जा रही है;

बड़ी फिल्म वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पथप्रदर्शन में तैयार की गयी थी और वह मुख्य रूप से महारानी को भेंट करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी। उसे नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी दिखाने की योजना बनायी गयी थी। परन्तु मद्रास सरकार ने यह आपत्ति की कि उस फिल्म में महारानी के मद्रास आगमन और उस समय वहां पर किये गये समारोहों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है और सम्भव है कि मद्रास में उस फिल्म की आलोचना की जाये इसीलिये वह फिल्म इस समय मद्रास में नहीं दिखायी जा रही है। कलकत्ता और बम्बई में भी उसी प्रकार की आपत्ति की गयी है।

(ग) और (घ). इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या प्रादेशिक भाषाओं में भी यह फिल्म तैयार की जा सकती है या नहीं।

†**श्री सुगन्धि** : इन फिल्मों पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की जरूरत है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री को यह भी ज्ञात नहीं है कि इन फिल्मों के निर्माण पर कितनी राशि आयी है। जब एक प्रश्न पूछा गया है तो उन्हें अनुपूरक प्रश्नों के लिये भी तैयार होकर आना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न यह था कि क्या इन फिल्मों को मद्रास या अन्य स्थानों पर दिखाया गया है या नहीं। इसीलिये खर्च सम्बन्धी प्रश्न के लिये उन्हें पूर्व सूचना की जरूरत है

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को उन दो फिल्मों के दिखाने से प्राप्त होने वाली आय से कुछ राशि प्राप्त करने की आशा है। यदि हां, तो क्या उस राशि से उक्त सम्पूर्ण खर्च पूरा हो जायेगा ?

†**डा० केसकर** : जहां तक स्टैण्डर्ड डाक्यूमेंटरी का सम्बन्ध है, उसे दिखाया जाना तो अनिवार्य है, अतः यहां वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक बड़ी फिल्म का सम्बन्ध है, वह तो मुख्य रूप से एक राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिये बनायी गयी थी। यह महारानी को तो भेंट की ही जायेगी परन्तु उसके अतिरिक्त यह और भी कई विदेशों में भी दिखायी जायेगी। इस दृष्टि से यह कहना उचित न होगा कि क्या उस फिल्म को दिखाने से कोई विशेष राशि प्राप्त होगी या न होगी।

†**श्री थानू पिल्ले** : जब ये तीनों राज्य बड़ी फिल्म को दिखाने में आपत्ति कर रहे हैं, तो ५००० फुट की उस फिल्म में कितना भाग रखा गया है और उक्त तीनों राज्यों के सम्बन्ध में कितना हिस्सा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : कठिनाई यह है कि मद्रास कहता है कि आपने बम्बई और बंगाल को अधिक स्थान दिये हैं और बंगाल कहता है कि आपने बम्बई और मद्रास को अधिक स्थान दिया है। हम अब यह यत्न कर रहे हैं कि क्या यह फिल्म प्रादेशिक भाषाओं में बनायी जा सकती है ताकि वह विभिन्न राज्यों में दिखायी जा सके।

†श्री थानू पिल्ले : क्या उनकी आपत्ति फिल्म की लम्बाई में अन्तर के सम्बन्ध है या कि इस सम्बन्ध में है कि उनके भाग इस फिल्म में सम्मिलित नहीं किये गये हैं ?

†डा० केसकर : मैं समझता हूं कि दोनों का तात्पर्य एक ही है।

†श्री थानू पिल्ले : माननीय मंत्री ने बताया है कि विभिन्न राज्यों ने एक दूसरे पर आपत्ति की है। क्या यह ईर्ष्या के कारण है या किसी और कारण से है।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इसमें ईर्ष्या का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जोनबन्द्रन : क्या सरकार इस प्रकार की यात्राओं के लिये फिल्म बनाने के लिये प्रत्येक राज्य को फिल्म का भाग आवंटित करने के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : महारानी रोज रोज तो आती नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन फिल्मों में जयपुर का दरबार भी दिखाया जा रहा है और क्या बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था ?

†डा० केसकर : वह भाग नहीं दिखाया जा रहा है।

ब्रिटेन के लिये भारतीय चाय

†*१५३५. श्री न० रं० घोष : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन एण्ड कम्पनी, लन्दन को ब्रिटेन में भारतीय चाय की मण्डी का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कम्पनी से सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ग) इसकी महत्वपूर्ण उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

लन्दन की मेसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन एंड कम्पनी ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं:—

(१) घरेलू अर्थ व्यवस्था तथा जीवन स्तर के पर्याप्त विस्तार की अवधि में गत चार वर्षों से कुछ अधिक समय में प्रति व्यक्ति चाय के कुल उपभोग में मुश्किल से ही कुछ वृद्धि हुई है नयी पीढ़ी के व्यक्तियों की बदलती हुई आदतों को देखते हुए यह अनुभव लगाया जा सकता है कि भविष्य में चाय का उपभोग और भी कम हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ब्रिटेन के बाजारों में भारत के चाय की मांग शनैः शनैः कम होती जा रही है।

(३) इंगलैण्ड में चाय का कुल संवर्धन खर्च अन्य पेयों की तुलना में कम है।

(४) चाय के संवर्धन का अधिकांश प्रचार विभिन्न प्रकार की अलग अलग चायों के प्रचार के रूप में है और उससे सामान्य रूप से चाय के प्रचार में सहायता नहीं मिलती।

(५) लंका द्वारा किये जा रहे संवर्धन आन्दोलन से उस चाय की किस्म का प्रचार हो रहा है और सम्भव है कि उपभोक्ताओं के मन पर उसका भारतीय चाय के बारे में कुछ असर पड़े।

उस कम्पनी ने निम्नलिखित कार्यवाहियों में से किसी एक को अपनाने का सुझाव दिया है :—

(क) अन्य चाय उत्पादन देशों तथा वितरणकर्ता देशों के सहयोग से इंग्लैण्ड में चाय पान का प्रचार किया जाये।

(ख) या, भारत चाय के उत्पाद के मूल स्थान का नाम लिये बिना अपनी ओर से चाय के उपभोग के लिये प्रचार करे :

(ग) या, भारत केवल चाय के उपभोग के लिये प्रचार का कार्य प्रारम्भ करे।

प्रचार के लिये उपयुक्त साधनों के लिये भी सुझाव दिया गया है जैसे कि उपभोक्ता प्रचार आन्दोलन, सामूहिक सम्मेलनों में चाय का बांटा जाना, चाय सम्बन्धी सम्पादकीय समाचार सेवा तथा चाय केन्द्रों की स्थापना।

यह निर्णय किया गया है कि चाय बोर्ड इंग्लैण्ड में भारतीय चाय के प्रचार के लिये निम्नलिखित कार्य करे :—

(१) उपभोक्ता प्रचार आन्दोलन।

(२) खुदरा मार्केटों तथा स्टोरेन्टों में चाय की सामग्री का वितरण।

(३) एक समन्वित जन सम्पर्क आन्दोलन चलाने के लिये एक प्रथम श्रेणी की सम्पादकीय तथा समाचार सेवा प्रारम्भ करना।

(४) सार्वजनिक सम्मेलनों आदि में अच्छी किस्म की चाय के सम्भरण की व्यवस्था करना।

(५) औद्योगिक कैन्टीनों, रेस्टोरेंटों आदि में चाय बनाने के स्टैण्डर्ड में सुधार करना।

(६) इंग्लैण्ड में विभिन्न केन्द्रों में स्वचालित चाय विक्रय मशीनों की स्थापना।

सरकार ने उस देश में प्रचार केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिये इंग्लैण्ड में एक चाय परामर्शदाता नियुक्त किया है। वह पदाधिकारी इंग्लैण्ड में प्रारम्भ किये जाने वाले प्रचार आन्दोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है।

†श्री न० रं० घोष : क्या यह सच है कि लंका की चाय के प्रचार के लिये उनकी अपनी ओर से व्यवस्था है। क्या भारत की चाय के लिये ऐसी कोई व्यवस्था है ?

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि लंका ने अन्तर्राष्ट्रीय चाय विपणन विस्तार बोर्ड की प्राचीन व्यवस्था को परम्परा के रूप में प्राप्त किया है। हमने ७ या ८ साल पहले उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था। हम इस सम्बन्ध में इंगलैंड में अपनी व्यवस्था करने का यत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री न० रं० घोष : क्या यह सच है कि इंगलैंड और यूरोपीय देशों में लंका की चाय को ही अच्छी चाय समझा जाता है और वहां पर हमारी ओर से प्रचार की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यूरोपीय देशों में पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैण्ड ही चाय के अधिक आदी हैं। उन दोनों देशों में चाय की परिषदें काम कर रही हैं जिन में भारत, लंका और अन्य देश संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : इस मेसर्स वाल्टर थाम्पसन एण्ड कम्पनी ने कितनी राशि खर्च के रूप में ली है ?

†श्री सतीश चन्द्र : ४५० पौंड।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इंगलैंड में तो चाय के उपभोग की मात्रा लगभग स्थिर है, परन्तु भारत इगलड को सस्ती चाय भेजने का काम स्थिर नहीं रख सका है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं सरकार स्थिति सुधारने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : भारत अभी तक इंगलैंड को सब से अधिक मात्रा में चाय भेज रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इंगलैंड में चाय का उपभोग तो इतना बढ़ गया है, परन्तु भारत से वहां निर्यात क्यों कम हो गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : वहां चाय का उपभोग अधिक नहीं बढ़ा है। इंगलैंड को भारतीय चाय के निर्यात में कुछ कमी हो गयी है क्योंकि वहां अन्य देशों जैसे पूर्वी अफ्रीका से निर्याप्त बढ़ गया है।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि भारत ने लंका के साथ मिल कर चाय प्रचार का कार्य किया है, परन्तु लंका ने अधिक बाजारों पर अधिकार जमा लिया है और भारत का प्रभाव कम होता जा रहा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : भारत और लंका गत ६ या ७ वर्षों से इंगलैंड में संयुक्त प्रचार नहीं कर रहे हैं।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या इस से यह तात्पर्य है कि चाय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद इंगलैंड में न तो चाय बोर्ड का कोई दफ्तर है और न ही वहां हमारा कोई सम्पर्क अधिकारी है और इसीलिये वहां की मार्केट का सर्वेक्षण करने के लिये हमें इस ब्रिटिश कम्पनी को नियुक्त करना पड़ा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : वह फर्म तो प्रचार सम्बन्धी परामर्शदाताओं की एक फर्म है। उस से परामर्श लिया गया था और उसे एक रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में कहा गया था। उस फर्म ने कुछ एक सिफ़ारिशें की हैं। हम ने उन से मन्त्रणा सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिये कहा था। उस पर विचार कर लिया गया है और इंगलैंड में भारतीय चाय के प्रचार के लिये अब हम यत्न कर रहे हैं।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†*१५३७. श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में मैंगनीज अयस्क की कोई मांग न होने के कारण इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत सी खानें बन्द हो चुकी हैं और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकार निर्यात सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) मेंगानीज़ अयस्क उद्योग निर्यात की दृष्टि से १९५८ तथा १९५९ की तुलना में १९६० में प्रगति हुई है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १९६० में ९९ खानें खोली या पुनः खोली गयी हैं और ८६ बन्द हुई थीं, जब कि १९५९ में ८७ खानें खोली या पुनः खोली गयी थीं और ९८ बन्द हुई थीं ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में अभी तक घोषित की गयी कार्यवाहियां ये हैं—मध्यम और निम्न श्रेणी के अयस्कों पर रेल भाडे में कमी, रायल्टी में कमी, निर्यात शुल्क की समाप्ति, दीर्घकालीन ठकों को प्रोत्साहन देने के लिये १-१ ६१ से तीन वर्षों के लिये निर्यात नीति की घोषणा आदि । यदि आवश्यकता हुई, तो और कार्यवाहियां भी की जा सकेंगी ।

†**श्री आचार** : गत तीन वर्षों में इस से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ? क्या यह प्रति वर्ष बढ़ रही है या कम हो रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस सम्बन्ध में हमारे पास आंकड़ नहीं हैं । परन्तु उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है । १९६० में १०० लाख टन से कुछ अधिक का निर्यात हुआ था जब कि १९५९ में ९० लाख टन का हुआ था ।

†**श्री आचार** : क्या यह कठिनाई मुख्य रूप से अन्य देशों से चाय की कम कीमतें होने के कारण हैं या कि इस कारण से है कि विदेशों में अब भारतीय चाय के लिये कोई मांग नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मांग तो है, इसीलिये तो १९६० में १९५८ और १९५९ की तुलना में अधिक चाय का निर्यात हुआ है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उपक्रमों के लिये भर्ती

†*१५२०. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए समय समय पर कोई जांच करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत चलायी जाने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भर्ती के बारे में सरकार द्वारा प्रतिपादित मुख्य और आधारभूत हिदायतों पर यथोचित रूप से अमल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार की जाती है और कितनी अवधि के पश्चात् की जाती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि भिलाई इस्पात संयंत्र, हैवी इलैक्ट्रिकल्स संयंत्र, भोपाल और नेशनल न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड में भरती के लिये कोई चुनाव समितियां, जिनमें विशेष तदर्थ और स्थायी समितियां भी शामिल हैं, नियुक्त की गयी हों, तो क्या उनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि को भी लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों की संख्या और पद क्या हैं ?

*उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). सरकार की यह नीति है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को स्वायत्त निकायों के रूप में काम करने दिया जाये । तदनुसार, यद्यपि उन्होंने प्रमुख सिद्धान्त बता दिये हैं, उनके दैनिक कार्य और भरती के तरीके आदि में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है । इस बारे में मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नोट की प्रति, जिसमें प्रमुख आदेश हैं, संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या संख्या ४३]

(ग) 'हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड' में उनकी तदर्थ चुनाव समिति में एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और 'नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड' जहां कहीं आवश्यक होता है, राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को बुला लेती है । भिलाई इस्पात संयंत्र की चुनाव समिति में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पदाधिकारियों की संख्या और उनके पद-नाम समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सिफ़ारिश के अनुसार बदलते रहते हैं ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*१५२६. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्तु-विनिमय समझौतों की समाप्ति से, जिसके अन्तर्गत मैंगनीज अयस्क का निर्यात होता था, मैंगनीज अयस्क की मंडी पर असर पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

*वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) वस्तु-विनिमय के आधार पर मैंगनीज़-अयस्क के निर्यात के मामले की जांच की जा रही है और अभी तक इस विषय में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वेटोर (महाराष्ट्र) में सिलिका की खानें

†*१५२७. श्री आसर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के वटोरे नामक स्थान में सिलिका की खानें बन्द हो गयी हैं और लगभग ३०० से लेकर ४०० तक श्रमिक पिछले तीन महीने से बेरोजगार हैं और बड़ी कष्टदायक हालत में रह रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि पट्टेदारों ने सिलिका के खनन का कार्य क्यों बन्द कर दिया है;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) खनन कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (घ), एक घातक दुर्घटना होने और कार्य-करण की स्थिति खराब होने के परिणामस्वरूप खान निरीक्षक ने बेटोर सिलिका नामक एक खान को बन्द कर लिया जिसमें १०० श्रमिक काम करते थे। यह पता लगा है कि इन श्रमिकों में से अधिकांश को पट्टाधारी ने अन्य कामों पर लगा दिया है। बेरोजगारी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

यह पता लगा है कि खान मालिक खान निरीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करके खान का काम चलाना चाहता है।

कपड़े के डिजाइन

†*१५२९. श्री मुहम्मद इलियास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़े के डिजाइनों का विकास करने में फोर्ड फाउंडेशन से सहायता ले रही है ; और

(ख) यदि हां, तो फोर्ड फाउंडेशन हमारी सहायता किस प्रकार कर रहा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और(ख). हस्तशिल्प समेत छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये विदेशी विशषज्ञ नियुक्त करने के लिये फोर्ड फाउंडेशन ने अनुदान दिया है। तदनुसार, इस अनुदान में से, कपड़े के डिजाइन आदि के विकास के लिये अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड में एक विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है।

रांची में ढलाई और गढाई का कारखाना[1]

†*१५३६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित ढलाई और गढ़ाई के कारखाने का चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स टेक्नोएक्सपर्ट के सहयोग से विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ करार हो चुके हैं ; और

(ग) इन करारों के मुख्य निबंधन क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Foundry Forge Plant.

मिंटो रोड क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर

†*१५३८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अमजद अली :
श्री महागांवकर :
श्री वाजपेयी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को, जो नई दिल्ली के मिंटो रोड क्षेत्र में स्थित क्वार्टरों में रह रहे हैं, वहां से निकल जाने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन लोगों को जनता होटल के निर्माण के लिये स्थान उपलब्ध करने के वास्ते निकाला जा रहा है ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि उनके बच्चों की परीक्षायें समाप्त होने तक उन्हें इन क्वार्टरों में रहने की अनुमति दी जायें ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या जनता होटल के लिये केवल यही स्थान उपलब्ध था ; और

(च) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को अपने स्थान बदलने पर आने वाला अतिरिक्त खर्च उठाने का है क्योंकि कर्मचारियों को सरकार के हित के लिए स्थान बदलना पड़ेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, नहीं । जनता होटल बनाने के लिये स्थान साफ करने के लिये २४ क्वार्टरों को खाली किया जाना है । वहां के निवासियों को अन्य स्थान आवंटित किया गया है अथवा किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). इस बारे में केवल तीन पदाधिकारियों से प्रार्थना प्राप्त हुई है । इनको मंजूर कर लिया गया है ।

(ङ) होटल बनाने के लिये यह स्थान अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह पुरानी और नयी दिल्ली के बीच में स्थित है ।

(च) जी, नहीं ।

चीन से भारतीय चिकित्सकों का निष्कासन

†*१५३९. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सम्पत :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में रहने वाले दो विख्यात भारतीय चिकित्सकों को उस देश से निकलने के लिए विवश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस बारे में चीन सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) से (घ). हमारी जानकारी के अनुसार, दो डाक्टरों में से, एक जिसने पीकिंग में काम किया चीन चीन छोड़ रहा है और हमने समाचार-पत्रों में प्रकाशत समाचार पढ़ा है कि दूसरा हांगकांग चला गया है। प्रथम डाक्टर अपनी म र्ी और चीन सरकार की सहमति पर चीन से जा रहा है। पीकिंग स्थित हमारा दूतावास इस बारे में बातचीत कर रहा है और उन्होंने उसके प्रस्थान के बारे में प्रबन्ध कर दिया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार

†*१५४०. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जनगणना के अन्तरिम आंकड़ों, जो अब उपलब्ध हैं, के प्रभाव पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के श्रमिकों की सख्या में १ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों की और वृद्धि हो जायेगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए ७० लाख श्रमिकों के साथ साथ अब लगभग २ करोड़ ५० लाख श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए नौकरियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ;

(ग) क्या जनसख्या में हाने वाली अभूतपूर्व वृद्धि से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यह प्रस्तावित पुनरिक्षण किस दिशा में किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (घ). वर्ष वष १९६१ की जनगणना के अन्तरिम आंकड़ों का तृतीय पंचवर्षीय योजना पर प्रभाव के बारे में विचार किया जा रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

भारत में रहने वाले गोआ के लोगों को नागरिकता के अधिकार

†१५४१. **श्री केशव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में रहने वाले गोआ वालों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किये जाने के अनुरोध पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिलसिले में सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार वर्तमा न अधिनियमों में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती। गोआ के लोगों को सभी कार्यों के लिये भारतीय समझा जाता है और किसी बात में निर्योग्य नहीं ठहराया जाता।

दण्डकारण्य में पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

†*१५४२. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के प्रधान ने यह संकेत दिया है कि यदि पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्ति अधिक सख्या में दण्डकारण्य नहीं आये तो हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए विशाल धन राशि व्यय करने की नीति पर पुनर्विचार करे ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को दडकारण्य जाने के लिये राजी करने के वास्ते क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) इनका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस समय स्थिति क्या है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य-मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में २७ मार्च, १९६१ को पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की गयी थी।

(ग) पश्चिम बंगाल में शिविर में रहने वाले परिवारों को नोटिस दिये जाने के बारे में एक कार्यक्रम तैयार किया गया।

(घ) उत्तर संतोषजनक नहीं है। मार्च के पूरे महीने में केवल ५७ परिवार दण्डकारण्य गये हैं।

गोदी श्रमिक बोर्डों को ऋण

†*१५४३. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना की अवधि में गोदी श्रमिक बोर्डों को ऋण प्रदान करने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†श्रम उपमन्त्री श्री आबिद अली : (क) और (ख). सरकार की प्रारूप प्रस्थापनाओं को गदी श्रमिक बोर्डों में उनकी टिप्पणी के लिये परिचालित कर दिया गया था। बम्बई और कलकत्ता में गोदी श्रमिक बोर्डों से अन्तिम उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास मन्त्रालय का विघटन

†*१५४४. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की शेष समस्याएं क्या हैं और इन्हें किसको सौंपा जायगा, और

(ख) क्या मंत्रालय का एक मुख्यांग निदेशालय[1] कायम रखा जायगा और इसे किस मंत्रालय के साथ संलग्न किया जायेगा ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों को हस्तांतरित कार्यों की सूची है । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५] बाकी काम में से अधिकांश कार्य मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करके या सम्बन्धित स्थायी मंत्रालयों को हस्तांतरित करके निपटा देगा । वित्तीय वर्ष के अन्त में बाकी बचा हुआ काम इस कार्य के लिये सरकार द्वारा मनोनीत मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जायेगा । अभी उत्तराधिकारी मंत्रालय के बारे में फैसला नहीं किया गया है । उत्तराधिकारी मंत्रालय के अधीन अवशिष्ट कार्य के सम्पादन के लिये एक पृथक सेल अथवा निदेशालय बनाने की प्रस्थापना है ।

कागज बनाने की मशीनें

†*१५४५. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में कागज बनाने की मशीनों का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अमरीकी सार्थ से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सार्थ का एक प्रतिनिधि अभी हाल में इस सिलसिले में लुधियाना गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि क्या अमरीकी सार्थ के एक प्रतिनिधि ने लुधियाना का दौरा किया है ।

(ग) और (घ). यह प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

रूई का निर्यात

†*१५४६. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० के दौरान रूई का निर्यात कम हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Skeleton Directorate.

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

(क) और (ख). कच्ची रूई का निर्यात जो वर्ष १९५९ में ३,२९,६९८ गांठें थीं व १९६० में घट कर १,८६,२८३ गांठें रह गया जिससे १,४३,४१५ गांठों का कम निर्यात हुआ ?

(ग) यह कमी वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में लगातार कपास की फसल खराब हो जाने के कारण हुई जिससे देश में उस सब रूई का इस्तमाल हुआ जो मिलें इस्तमाल कर सकती थीं और निर्यात के लिये केवल उसी किस्म की रूई बाकी छोड़ी गयी जिसका यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता था ।

चाय की प्रवृत्तियों और सम्भावनाओं के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट

†*१५४७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने चाय उत्पादन के बारे में अभी हाल में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह चेतावनी दी गयी है कि यदि चाय के उत्पादन, उपभोग और निर्यात की वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रही, तो आगामी पांच से छः वर्षों तक फालतू चाय का भारी मात्रा में जमा करना ठीक नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में प्रकट किये गये विचारों और की गयी सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार का माल के इस प्रकार जमा हो जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने वर्ष १९६० में "चाय–प्रवृत्ति और संभवना" नामक एक पण्य बुलेटिन[1] जारी किया । इस बुलेटिन में विश्व के विभिन्न देशों में चाय के उत्पादन और खपत में प्रवृत्ति का विस्तृत अध्ययन और विश्व भर में खपत से बची हुई चाय की संभावनाओं के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है । इस फालतू चाय का अनुमान वर्ष १९६५ तक ८८० लाख पौंड से ११०० लाख पौंड तक लगाया गया है ।

(ग) सरकार को यह आशा नहीं है कि जितनी मात्रा फालतू रहने का अनुमान है उतनी वास्तव में फालतू रहेगी । पश्चिम-पूर्वी देशों में और एशिया में चाय उत्पादन वाले देशों में खपत की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, चाय की अनुमानित फालतू मात्रा के काफी बड़े भाग की खपत में कोई खास कठिनाई होने की संभावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Commodity Bulletin.

सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों को प्रोत्साहन

†*१५४८. श्री लं० अवधी सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें सरकारी उपक्रमों में लागू की गयी उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में बताया गया है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६] उत्पादन एककों में एक व्यापक योजना लागु करने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है और इस कार्य के लिये रूसी और अन्य विशेषज्ञों के दल की सेवायें प्राप्त की गयी हैं । इन विशेषज्ञों ने अभी तक सोलह उपक्रमों का दौरा किया है । इन उपक्रमों के नामों की एक सूची संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७] उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

कच्चे काजू का आयात

†*१५४९. { श्री आचार :
श्री जीनचन्द्रन् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू विधायन उद्योग[1] के कच्चे काजू के आयात कोटे में इस वर्ष काफी कमी कर दी गयी थी, और यदि हां, तो कितनी ;

(ख) १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के वित्तीय वर्षों में कच्चे काजू का कितना आयात किया गया ; और

(ग) क्या कच्चे काजू की कीमतों में असाधारण वृद्धि हो गयी है क्योंकि विधायन-कारखानों को कच्चा काजू अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल रहा है ?

†वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) १९५८–५९ . . १२५४०० टन
१९५९–६० . . . ९५९५० टन
१९६०–६१ (अप्रैल-दिसम्बर, १९६०) . . ५४८३६ टन

(ग) जी, नहीं ।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के लिये स्थान की कमी

†*१५५०. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग को कार्यालय और अपनी आवश्यकताओं के लिए स्थान की बड़ी तंगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Processing Industry.

†निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) आयोग के लिये कार्यालय स्थान की आवश्यकता ४२,००० वर्ग फुट है जबकि उनके पास ३८,२४२ वर्ग फुट जगह उपलब्ध है । उपलब्ध स्थान में से ११,७६७ वर्ग फुट जगह कार्यालय के लिये उपयुक्त नहीं है । अतः वर्तमान कमी १५,५२५ वर्ग फुट की है ।

(ख) एक अतिरिक्त इमारत बनाने के लिये मंजूरी दे दी गयी है ।

मशीनरी निर्माण उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्

†*१५५१. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री उस्मान अली खां :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल मशीनरी निर्माण उद्योग का ध्यान रखने के लिए एक विकास परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): मशीनरी निर्माण उद्योग के लिये २८ मार्च १९६१ को एक विकास परिषद् की नियुक्ति की जा चुकी है ।

अलुमिना और अलुमिनियम संयंत्र

†*१५५२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य हंगरी के सहयोग से एक अलुमिना और अलुमिनियम संयंत्र स्थापित करने का बिचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हंगरी के उप प्रधान मंत्री के अभी हाल के भारत के दौरे के समय उनके साथ इस बारे में चर्चा की गयी थी ; और

(ग) इस चर्चा का क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). हंगरी के सहयोग से अलुमिना और अलुमिनियम संयंत्र की स्थापना के बारे में हंगरी के उप प्रधान मंत्री के साथ, उनके हाल के भारत के दौरे के समय, बातचीत की गयी थी । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†३२९४. श्री पांगरकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के कुछ मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान के तौर पर देय राशि नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी, १९६१ को कुल कितनी रकम बकाया थी ; और

(ग) इस रकम को वसूल करने के लिये क्या पग उठाय गये हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) १२,३१६ रुपये ।

(ग) जहां कहीं आवश्यक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में रासायनिक रंग उद्योग में विदेशी सार्थ

†३२९५. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रासायनिक रंग उद्योग में लगे विदेशी सार्थों की क्या संख्या है ; और

(ख) उन्होंने वर्ष १९५९–६० में लाभ की कितनी धनराशि भारत से बाहर भेजी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). भारत में रासायनिक रंग उद्योग में ग्यारह सार्थ लगे हैं जिनमें विदेशी पूंजी लगी हुई है। वर्ष १९५९–६० में उनमें से सात के बारे में लाभ का प्रेषण अथवा लाभ के कारण प्रेषित वास्तविक धनराशि २६,७८,०५१ रुपये है।

बाईसिकलें

†३२९६. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष १९६१–६२ के लिये बाईसिकलों का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : २७-३-१९६१ को हुई, बाईसिकल, सिलाई की मशीनों और उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद ने, अपनी बैठक में वर्ष १९६१ के लिये निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश की है :

बड़े पैमाने के क्षेत्र में	१२ लाख साईकिलें ।
छोटे पैमाने के क्षेत्र में	३ लाख साईकिलें ।

कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े

†३२९७. **श्री वें० प० नायर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों में प्रतिकूलता के बारे में २० मार्च, १९६१ को कोयम्बटूर में श्री मन्नारायण द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उत्पादन आंकड़े यथासम्भव अधिकाधिक ठीक हों, सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों से लिये गये और पारम्परिक गणना तरीकों से प्राप्त किये गये खाद्य उत्पादन सम्बन्धी प्राक्कलनों में कुछ भिन्नता है। ऐसा किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न की विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल ने जांच की और इस प्रतिकूलता के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिये और मूल्यांकन के दोनों तरीकों में त्रुटियों को दूर करने में सहायता करने के लिये केंद्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा अग्रेतर अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन जारी हैं और दोनों तरीकों के अधीन संयुक्त व्यवहार सम्बन्धी एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्बुक (निम्बु-प्रजातीय फल) तेल निर्माण कारखाना[1]

†३२९८. **श्री नारायण स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्बुक (निम्बु-प्रजातीय फल) तेल का निर्माण करने के लिये भारत में कोई कारखाना स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर स्थित है और उसकी क्या क्षमता है; और

(ग) निम्बुक तेल (लाइम आयल) उद्योग के संवर्द्धन के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). हमें किसी संगठित उत्पादन एकक का पता नहीं है । यदि कोई व्यक्ति ऐसा उद्योग स्थापित करना चाहे तो सरकार उसको सभी सुविधायें देगी ।

पश्चिम बंगाल में शिविरों में विस्थापित व्यक्ति

†३२९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में कितने मामलों में पश्चिम बंगाल में शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को सहायता रोक दी गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : वर्ष १९६० में ४८,५३९ व्यक्ति पश्चिम बंगाल में शिविरों से चले गये । यह समझा जाता है कि शिविर के रजिस्टर से उनके नाम निकाल दिये गये हैं और उनकी सहायता रोक दी गयी है ।

पंजाब और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†३३००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पांचवें वर्ष के लिये पंजाब राज्य के लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ख) इस अवधि में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इस अवधि में सभी मदों के अधीन प्राप्त लक्ष्य की क्या प्रतिशतता है;

(घ) क्या केन्द्रीय सहायता के बारे में पांचवें वर्ष में कोई धनराशि कम की गयी;

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि कम की गयी; और

(च) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) ३६.४१ करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lime Citrus Oil Manufacturing Factory

पानी के मीटरों का निर्माण

†३३०१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी के मीटरों के निर्माण में भारत किस हद तक आत्म-निर्भर है;

(ख) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने मीटरों का आयात किया गया और कितने देश में बनाये गये; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन मीटरों की कुल मांग कितनी होने की संभावना है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जहां तक १/२" से ३/४" तक के साइज़ के पानी के मीटरों का सम्बन्ध है, भारत इस समय आत्म-निर्भर है। तथापि, १" साइज़ के पानी के मीटरों का भी उत्पादन किया जा रहा है। पानी के मीटरों के निर्माण के लिए अनुज्ञापित योजना में अन्य प्रकार के मीटरों का निर्माण भी शामिल है जिनका अब तक देश में निर्माण नहीं किया जा रहा है जैसे वैट डायल, रोटरी, सैमी-पाजिटिव और १" से बड़े साइज़ के मीटर।

(ख) पानी के मीटरों के निर्माण के लिये नयी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्तमान क्षमता में वृद्धि सम्बन्धी प्रार्थनाओं पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और देशीय उत्पादन बढ़ने पर आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पानी के मीटरों के निर्माण और आयात सम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	उत्पादन	आयात
	नग	नग
१९५८	४०,४५८	१७,३०६
१९५९	४१,६७१	७,३१२
१९६०	५४,३९८	४,४३१

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन मीटरों की आवश्यकता के बारे में अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। पानी के मीटरों की मांग बढ़ रही है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

†३३०२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री बाल्मीकी :
श्री कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच करने और उनके उन्मूलन के लिये उपाय बताने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन उपायों का सुझाव दिया है;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति अपना काम कब तक पूरा कर लेगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) समिति को अपना काम पूरा करने और सरकार को अपना प्रतिवेदन देने के लिये ३० जून, १९६१ तक का समय दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में कागज का कारखाना

†३३०३. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक कागज का कारखाना लगाने के लिये प्रस्थापना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, अभी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कत्चा थिवु द्वीप

†३३०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मन्त्री** २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कत्चा थिवु द्वीप के कब्जे के बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) सरकार उपयुक्त अवसर पर इस मामले को उठाने पर विचार करेगी ।

भारत-तिब्बत व्यापार

३३०५. **श्री भक्त दर्शन:** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत व्यापार में कमी आ जाने के कारण उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी भारतीय व्यापारियों को आर्थिक सकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने व अपने पुनर्वास के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार और भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) दुर्भाग्यवश चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ जाने और विशेषकर, चीनी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण, भारत और तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार को जबरदस्त धक्का लगा है ।

(ख) और (ग) इस विषय में कई निवेदन-पत्र (रिप्रेजेंटेशंस) प्राप्त हुए थे, जिन पर भारत सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है । भारत सरकार व्यापारियों को तिब्बत के साथ अपना परम्परागत व्यापार करते रहने के लिए सभी संभव सुविधाएं दे रही है । साथ ही साथ सम्बद्ध राज्य सरकारों ने भी कई ऐसी विकास योजनाएं चालू कर दी हैं जिनका उद्देश्य सीमान्त क्षेत्रों का विकास करना है और इनसे भारत-तिब्बत व्यापार में कमी होने के कारण जो संकट आ पड़ा है, उसे भी दूर करने में सहायता मिलेगी ।

नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में जल सम्भरण

३३०६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या

†मूल अंग्रेजी में

१५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कस्तूरबा नगर (नई दिल्ली) के सरकारी क्वार्टरों में पानी की सुविधा बढ़ाने का निश्चय इस बीच कार्यान्वित कर दिया गया है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : ३० प्रतिशत से अधिक काम किया जा चुका है और बाकी काम के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

हाथ से बुनाई के लिये ऊन तैयार करने वाले कुटीर उद्योग[1]

†३३०७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ से बुनाई के लिये ऊन तैयार करने वाले कुटीर उद्योग को कच्चे माल के सम्भरण में कमी के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस कमी से इस उद्योग पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस उद्योग को पूरी क्षमता से चलने के लिये ऊन की कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). हाथ से बुनाई के लिये ऊन तैयार करने वाले उद्योग को कच्चे माल की कमी के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कपड़ा आयुक्त द्वारा विभिन्न मिलों के लिये विभिन्न प्रकार के वर्सटेड धागे का उत्पादन ढंग निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि बुनाई के धागे का संतुलित संभरण होता रहेगा। उद्योग और कच्चे माल की इसकी आवश्यकता के बारे में ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है ताकि सरकार उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धि के लिये आवश्यक विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता पर विचार कर सके।

बल्लभगढ़ में टायर और रबड़ निर्माण संयंत्र

†३३०८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बल्लभगढ़ में टायर और रबड़ निर्माण संयंत्र स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : संयंत्र के लिये जमीन ले ली गयी है और इमारत बन कर तैयार होने वाली है। आवश्यक संयंत्र और मशीनों के हाल ही में पहुंचने की आशा है और सार्थ को आशा है कि वह चालू वर्ष में उत्पादन आरम्भ कर देंगे।

विदेशों द्वारा भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

†३३०९. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में किसी विदेश ने किसी भारतीय फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। वर्ष १९६०–६१ में ३६ फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Hand knitting wool processing cottage Industry

(ख) देशों के नाम और प्रतिबन्धित भारतीय फिल्मों के नाम और जहां कहीं पता लगा है, प्रतिबन्ध लगाने के कारण संलग्न में बताये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†३३१०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना बनायी गयी है ताकि पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल की कमी न पड़े; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों को अपेक्षित लोहा तथा इस्पात का सम्भरण करने के लिये राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम ने लुधियाना में, प्रयोगात्मक आधार पर, एक कच्चे माल का डिपो स्थापित किया है।

पंजाब समेत देश भर में छोटे एककों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम विभिन्न श्रेणियों का ४०,४०० टन इस्पात का आयात कर रहा है जिसमें से ३०१८ टन पंजाब को आवंटित किये गये हैं। इनको जून, १९६१ तक छोटे उद्योगों को दे दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, पंजाब समेत सभी राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के अधीन चादरों, प्लेटों, तार, छड़ें और रॉड की श्रेणियों में आवंटन के एक तिहाई के बराबर इस्पात के अभ्यंश के सम्भरण की व्यवस्था लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा वर्ष १९६०-६१ की प्रथम छमाही से उच्च प्राथमिकता आधार पर की जावेगी। इस बात की भी व्यवस्था की गयी है ताकि वास्तविक छोटे पैमाने के उद्योग लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के पास वस्तु-विनिमय आधार पर प्राप्त किये हुए, चादरों और तार समेत विभिन्न श्रेणियों के ९,००० टन माल में से लम्बित अभ्यंश प्रमाण-पत्रों पर इस्पात का सामान ले सकें।

किसानों के लिये पुस्तक का प्रकाशन

३३११. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के लाभ के लिये विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में कृषि सम्बन्धी एक पुस्तक चालू वर्ष के अन्त तक प्रकाशित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस पुस्तक का मूल्य क्या होगा; और

(ग) उस पुस्तक से किसानों को कितना लाभ होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) चालू वर्ष में, किसानों के लाभ के लिये कृषि के विविध पहलुओं पर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में कई पुस्तिकायें प्रकाशित करने का विचार है।

(ख) और (ग). इन पुस्तिकाओं पर मूल्य नहीं लगाया जायेगा और इन्हें बड़े पैमाने पर किसानों में बांटा जायगा। आशा की जाती है कि इनसे किसानों को पर्याप्त लाभ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीरे का निर्यात

†३३१२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १६ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विदेशों को जीरे का निर्यात नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(घ) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में बुकिंग बन्द हो जाने और विदेशों को निर्यात न होने के कारण जीरे के मूल्य गिर गये हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(घ) जीरे के आन्तरिक मूल्य में कमी विभिन्न कारणों से हो सकती है परन्तु यह केवल रेलवे बुकिंग अस्थायी रूप से बन्द किये जाने अथवा निर्यात में कमी, जो कि इतना नहीं है जिससे मूल्यों पर असर पड़े, के कारण नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में रेयन पल्प फैक्टरी

†३३१३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक रेयन पल्प फैक्टरी स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्षमता कितनी होगी; और

(ग) कच्चे पदार्थों आदि की उपलब्धता के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ब्रह्माण्ड विकिरण अध्ययन[1] के लिये गुब्बारे

†३३१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्माण्ड विकिरण अध्ययन के लिये उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रांगण से जो गुब्बारे छोड़े गये थे, क्या उसमें कुछ सफलता मिली है ?

†**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : टाटा आधारभूत अनुसन्धान संस्था ने जो कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, उसमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। विद्युदणु-श्रृंखलाओं[2] और आणविक अनुसन्धान प्रतिलम्बों[3] को बहुत बार सफलतापूर्वक उड़ाया गया है और अब उनसे प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cosmic Radiation Study

[2] Electronic Arryas.

[3] Nuclear Research emulsions

विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को सुविधायें

३११५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली उजड़ी हुई और न उजड़ी हुई शिक्षा सस्थाओं को अनुदानों के रूप में सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को क्या विशेष सुविधायें दी हैं ; और

(ख) उन्होंने किस हद तक इससे लाभ उठाया है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):(क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान पुनर्वास मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन १९६०–६१ के अध्याय ४ की ओर आकर्षित किया जाता है ।

उद्योगों को दिये गये संरक्षण का वापिस लिया जाना

†३३१६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० के शुरू में कुछ उद्योगों को दिये गये संरक्षण के वापिस लिये जाने से, उन उद्योगों का बड़ा धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनके उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) कुछ विशिष्ट उद्योगों के संरक्षण के वापिस लिये जाने के बारे में मंत्रालय द्वारा किस नीति का अनुसरण किया जाता है ; और

(घ) किन उद्योगों का संरक्षण वापिस लिये जाने की संभावना है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार किसी उद्योग के संरक्षण को वापिस लेने के बारे में प्रशुल्क उद्योग आयोग की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर विचार करती है। यह आयोग, प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया गया है। इसके निश्चयों को विधान मंडल की मंजूरी के साथ क्रियान्वित किया जाता है ।

(घ) कोई नहीं ।

यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

†३३१७. **श्री कालिका सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और पश्चिम जर्मनी का दौरा करने के पश्चात् इन देशों के साथ करार होने के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ भारत का व्यापार-सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो व्यापार सन्तुलन में कितना सुधार हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). १९५९ की तुलना में १९६० में भारत का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन इटली के साथ २१ करोड़ रु० से १६ करोड़ रु० हो गया है ; फ्रांस के साथ १३.४ करोड़ रु० से ९.४ करोड़ रु०, पश्चिम जर्मनी के साथ १००.७ करोड़ रु० से ९३ करोड़ रु० हो गया है किन्तु स्विटजरलैंड के साथ ७ करोड़ रु० से ८.५ करोड़ रु० और बेल्जियम के साथ ८.५ करोड़ रु० से १०.९ करोड़ रु० हो गया है। भारत और इन देशों के बीच १९५९ और १९६० के दौरान होने वाले व्यापार की मुख्य विशेषतायें ये थी कि इटली, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी से होने वाले आयात में कमी हुई और स्विटजरलैंड और बेल्जियम से होने वाले आयात में वृद्धि हुई। इटली, स्विटजरलैंड और फ्रांस को होने वाले निर्यात में वृद्धि हुई और पश्चिम जर्मनी को भी कुछ अधिक निर्यात किया गया किन्तु बेल्जियम को पहले से कुछ कम निर्यात किया गया जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होता है :—

(लाख रु० में)

देश	१९५९			१९६०		
	आयात	निर्यात	सन्तुलन	आयात	निर्यात	सन्तुलन
इटली	२६,७५	५,६८	—२१.०७	२४,४८	८,३३	—१६,१५
स्विटजरलैंड	७,९८	९८	— ७,००	९,७८	१,२८	—८,५०
फ्रांस	२१,७१	८,२६	—१३,४५	१८,१३	८,६९	—९,४४
बेल्जियम	१३,६०	५,१४	—८,४६	१५,९९	५,०४	—१०,९५
पश्चिम जर्मनी	१२०,३१	१९,५६	—१००,७५	११२,७०	१९,५९	—९३,११

यह कहना कठिन है कि पश्चिम यूरोप के इन देशों के साथ हमारे व्यापार की स्थिति में जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, वह १९५९ के दौरान भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मडल के दौरे का प्रत्यक्ष परिणाम है।

वाल्व और ट्रांसमिटर

†३३१८. **श्री आसर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से स्टोर्स में बहुत से वाल्व और ट्रांसमिटर फालतू पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन वाल्वस और ट्रांसमिटर्स की लागत लगभग कितनी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). केवल तीन ट्रांसमिटर और कुछ वाल्व, जिनकी कीमत लगभग ४०,००० रु० है, स्टाक में हैं। इन में से दो ट्रांसमिटर, जिन की कीमत लगभग ३४,६०० रु० है, जल्दी ही मद्रास और कलकत्ता में लगाये जाने वाले हैं। ५० वाट्स का तीसरा ट्रांसमिट्टर, जो कि एक छोटा सा ट्रांसमिट्टर है, मृदा सचरणीयता‡ सम्बन्धी परीक्षणों के लिये है।

†मूल अंग्रेजी में
‡Soil Conductivity.

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मकानों का नीलाम

३३१९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय मुसलमानों के उन मकानों को नीलाम कर रहा है जिन में हिन्दू लोग १९४७ से किरायेदार बनकर रह रहे हैं और जिन का मूल्य दस हजार रुपये से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों का निपटारा विस्थापित व्यक्तियों के (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाता है। नियमों के अनुसार दी जाने वाली सम्पत्ति (जिसका मूल्य १०,००० से कम हो) आरक्षित मूल्य पर प्राधिकृत विस्थापित अधिभोक्ता को हस्तान्तरित कर दी जाती है । अविस्थापित अधिभोक्ता इस सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य पर हस्तान्तरित कराने के पात्र नहीं हैं । जो जायदादें उन के पास हैं उन का नीलाम किया जाता है और उस समय विस्थापित तथा अविस्थापित व्यक्ति भी बोली दे सकते हैं ।

हथकरघा-उत्पादों का रूस को निर्यात

†३३२०. **श्रीमती इलापाल चौधरी**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ की तुलना में १९६० में भारत और रूस के बीच भारतीय हथकरघा-उत्पादों के व्यापार के बारे में स्थिति क्या है ; और

(ख) भविष्य में क्या सम्भावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५९ और १९६० में रूस को हथकरघों पर बने कपड़े का बिल्कुल निर्यात नहीं किया गया ।

(ख) जब आगामी व्यापार समझौतों के बारे में बातचीत की जायेगी तो निर्यात संभावनाओं की जांच की जायेगी ?

पश्चिम बंगाल के शिविरों के शरणार्थी

†३३२१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में पश्चिम बंगालके शिविरों के कुछ शरणार्थियों को नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने शरणार्थियों को भेजा गया और कब भेजा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में चवालिस परिवारों को भेजा गया था ।

पश्चिम बंगाल में नये विद्युत करघे

†३३२२. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल राज्य को नये विद्युत-करघे अलाट करने की अनुमति दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितने करघे अलाट करने की अनुमति दी गयी है ;

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, १९६१ में ८५५ विद्युत-करघे लगाने की अनुमति दी गयी थी ।

बंगाल देसी रूई

†३३२३. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल देसी रूई की कीमतों में कमी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). बगाल देसी रूई की कीमतों में, उसके पहले मूल्यों की तुलना में, मार्च, १९६१ के मध्य से लगभग १० रु० प्रति क्विटल की थोड़ी सी कमी हुई है ।

(ग) इस कमी का कारण यह बताया जाता है कि इस मौसम में इस से पहले निर्यात के जो दो कोटे दिये गये थे, उन के अनुसार निर्यात नहीं किया गया ।

दूसरा बांडुंग सम्मेलन

†३३२४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के प्रेसीडेन्ट, डा० सुकार्नो, ने अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रमुखों का दूसरा बांडुंग सम्मेलन आयोजित करने की एक प्रस्थापना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रस्थापना के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग). समाचार है कि इंडोनेशिया सरकार बांडुंग सम्मेलन जैसा एक अन्य सम्मेलन आयोजित करने की प्रस्थापना के बारे में विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों की सरकारों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही है। अभी तक इण्डोनेशिया की सरकार ने इस बारे में भारत सरकार से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया किन्तु जकार्ता में भारतीय राजदूतावास के मुख्याधिकारी को सामान्य रूप से इस बात से परिचित रखा जा रहा है। इस प्रक्रम पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खादी ग्रामोद्योग केन्द्र अगरतला (त्रिपुरा)

†३३२५. श्री दशरथदेव: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, अगरतला (त्रिपुरा) को १९५९ और १९६० में केन्द्रीय सरकार और अखिल भारतीय खादी आयोग से कुल कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ख) इस खादी केन्द्र द्वारा कुल कितने खादी और ग्रामोद्योग केन्द्र चलाये जाते हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन केन्द्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) क्या यह उत्पादन पिछले वर्षों से अधिक था ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, अगरतला (त्रिपुरा) को केन्द्रीय सरकार और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से अनुदान और ऋण के रूप में १९५९–६० में ९९,२१० रु० और १९६०–६१ में १,२६,८८३ रु० और १८ न० पै० प्राप्त हुए।

(ख) बारह।

(ग) १९५९–६० में ८,१०३ वर्ग गज खादी और १९६०–६१ में १४,४८७ वर्ग गज खादी और ३६० किलोग्राम ताड़ गुड़।

(घ) जी हां।

मशीनें बनाने वाले उद्योगों का विकास

†३३२६. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के उपप्रधान मंत्री के साथ, जब वह अभी हाल में दिल्ली आये थे, हंगरी के सहयोग/सहायता के साथ मशीनें बनाने वाले उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं के बारे में बातचीत की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन प्रस्थापनाओं पर चर्चा की गयी थी ; और

(ग) इस चर्चा के परिणामस्वरूप हंगरी से क्या सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). हंगरी के उप-प्रधान मंत्री की भारत-यात्रा के दौरान उन के साथ, दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का अग्रेतर विस्तार करने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित अनेक विषयों पर चर्चा की गयी थी। इन में अल्युमिनियम, बिना जोड़ वाली ट्यूबों, आटा पीसने वाली मशीनों, औषधियां, शीशे की चादरों और विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं की बातें भी शामिल थीं। तथापि ये बातें अभी विचाराधीन हैं।

इस्पात का आयात

†३३२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की मांगों की पूर्ति करने के लिए राज्य व्यापार निगम का इस्पात का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और किन देशों से; और

(ग) किन शर्तों पर आयात करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने हंगरी और चेकोस्लोवाकिया से विभिन्न किस्म के ४०,००० टन का आयात करने की व्यवस्था की है १०,००० टन और इस्पात के आयात की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जायेगी।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये इस्पात की कीमत भारतीय रुपये में अदा की जायेगी और जून, १९६१ से आयात होना शुरू हो जायेगा।

मिंटो रोड क्षेत्र में क्वार्टर

†३३२८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिंटो रोड क्षेत्र के कुछ ऐसे क्वार्टर, जिन्हें चार वर्ष पूर्व निवास के अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अब पुनः सरकारी कर्मचारियों को अलाट कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों को निवास के अयोग्य घोषित करने के क्या कारण थे; और

(ग) इन क्वार्टरों को अब निवास के योग्य बताने के क्या कारण है ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) से (ग). मिंटो रोड क्षेत्र के कुछ क्वार्टरों को पिछले कुछ वर्षों में खाली करवा लिया गया था क्योंकि इन में अविलम्ब रूप से मुरम्मत कराना जरूरी था। इन में से कुछ क्वार्टरों की, जो तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर हालत में थे, मुरम्मत करायी जा चुकी है और उन्हें अस्थायी अलाटमेंट के लिए दे दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया

†३३२९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया नामक एक समाचार एजेंसी की स्थापना की गयी है । और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन और कृत्य क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी हां ।

(ख) यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसे कम्पनीज एक्ट, १९५६ के अन्तर्गत दिल्ली में निगमित किया गया है। इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ साथ, भारत और अन्य स्थानों पर समाचार एजेंसी की स्थापना करना और उसे संचालित करना तथा समाचार पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं आदि के लिए समाचार संग्रह तथा वितरण करना है। इस कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार इस कम्पनी के प्रथम निर्देशक, इस कम्पनी की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक के पूर्व, निदेशकों के चुनाव के बारे में नियम बनायेंगे। निदेशकों में निम्नलिखित लोग होंगे :—

(एक) समाचार पत्रों के नौ प्रतिनिधि, किन्तु समाचार पत्रों के एक ही समूह का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा और एक ही नगर से दो से अधिकप्रतिनिधि नहीं होंगे ।

(दो) कम्पनी के पत्रकार कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि ।

(तीन) अंशधारियों द्वारा निर्वाचित दो प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति ।

(चार) एक व्यक्ति निदेशकों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है ।

प्रथम निदेशकों के रिटायर होने के पश्चात निदेशकों का चुनाव उपरोक्त नियमों के अनुसार होगा ।

इस कम्पनी की प्रथम वार्षिक बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक-बोर्ड के लिए चुने गये :—

श्री जी ए० जानसन	. . . . सभापति
श्री तुषार कांति घोष	निदेशक
श्री अशोक कुमार सरकार	
श्री जी० नरसिंहन	
श्री के० सी० शारदा	
श्री के० के० झा	

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घड़ियां बनाने का कारखाना

†३३३०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने राज्य में घड़ियों का एक कारखाना लगाने की मांग की है ; और

---

†अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख)—जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उद्योग निदेशक ने लघु उद्योगों के क्षेत्र में घड़ियां बनाने के लिए एक गैर-सरकारी पार्टी की योजना की सिफारिश की है । इस योजना की जांच की जा रही है ।

चाय उद्योग के लिये केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

†३३३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के लिए एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था की स्थापना की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने का अनुमान है ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) महत्वपूर्ण चाय-उत्पादक प्रदेशों में चाय अनुसन्धान कार्य का आयोजन करने के प्रश्न पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) इस क्रम पर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ईरान के लिये भारतीय चाय

†३३३२. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान ने श्रीलंका से चाय खरीदना बंद कर दिया है ; और

(ख) ईरान के बाजार में भारतीय चाय को अधिक खपत के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). श्रीलंका की चाय के बारे में ईरान के रुख के संबंध में सरकार को कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है । ईरान को भारतीय चाय के निर्यात में अभी हाल जो कमी हुई है उसका कारण यह है कि ईरान सरकार ने देशी उत्पादन को बढ़ाने और उसे संरक्षण देने के लिए कदम उठाये हैं । ईरान में भारतीय चाय की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय शिष्ट मंडल १९५७ और १९५९ में ईरान गये थे । चाय बोर्ड के निमंत्रण पर, ईरानी चाय-शिष्ट-मंडल १९५९ और १९६१ में भारत आये थे । ईरान सरकार भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने के बारे में विचार कर रही है और इस मामले पर विचार हो रहा है ।

कपड़े के मूल्य

†३३३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन कटपीस कपड़े के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना पर विचार कर रहा है ताकि व्यापारियों द्वारा धोखेबाजी के सौदे रोके जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री म ुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली और नई दिल्ली में बकाया किराया

†३३३४. श्री धर्मलिंगम् : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नयी दिल्ली में सरकारी मालकियत के मकानों और दूकानों के संबंध में १९५९–६० और १९६०–६१ में सरकार को देय किराया कितना बकाया है ; और

(ख) बकाया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) सम्पदा निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ इस्टेट्स के अधीन भूगृहादि के संबंध में जानकारी इस प्रकार है :—

रकम लाख रुपयों में

	मकान	दूकान
१–४–५९ को बकाया .	३५·०	४·३५
१–४–६० को बकाया	३७·०	४·७५
२८–२–६१ को बकाया . . .	४३·०	..
३१–३–६१ को बकाया . . .	..	४·६६

(ख) **मकान**

रिहायशी मकानों के संबंध में अधिकतर बकाया रकम वह है जिसके बारे में भुगतान करने वाले पदाधिकारियों से वसूली की सूचना की प्रतीक्षा है। संबंधित विभागों को दुबारा कहा गया है कि वसूली की सूचना जल्द भेजें। दूसरे मामलों में उचित ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

दूकान

जो लोग नियमित रूप से भुगतान नहीं करते, उनसे वसूली करने के लिये सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ के अधीन मांग नोटिसें और दिल्ली के कलेक्टर को प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। जिन मामलों में आलाटी नियमित रूप से भुगतान नहीं करते उन मामलों में अलाटमेंट रद्द कर दिया गया है।

तंजौर मद्रास में उर्वरक कारखाना

†३३३५. श्री धर्मलिंगम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तंजौर जिले में उर्वरक कारखाना खोलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जगह चुन ली गयी है और काम कब शुरू होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) तंजौर जिले में सुपरफासफेट कारखाना खोलने के लिये एक गैर सरकारी व्यक्ति से प्रार्थना प्राप्त हुई थी और उस पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

†३३३६. श्री धर्मलिंगम् : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास शहर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कितने हैं ;

(ख) क्या उनके लिये मकान बनाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) मद्रास शहर में १५७६ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उन विभागों के हैं जिनके लिये आवास का कोई अलग संग्रह नहीं तैयार किया जाने वाला है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान

†३३३७. श्री इलयापेरुमाल : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक मद्रास सरकार को कोई ऋण सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम दी गयी है ; और

(ग) इस योजना के अधीन कितने मकान बनाये गये हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) ८० लाख रुपये ।

(ग) इस योजना के अधीन लगभग २६ लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण के लिये अब तक मंजूर किये गये कुल २६४ रिहायशी मकानों में से ६६ मकानों का निर्माण किलपौक में जारी है और शेष १६८ मकानों का निर्माण कार्य टोढ्न्टरनगर में शुरू किया जा रहा है ।

वॉट मीटरों[1] का उत्पादन

†३३३८. श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय संस्था को एक जापानी कम्पनी के सहयोग से भारत में वाट-मीटर तैयार करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जापानी कम्पनियों के सहयोग से बिजली के मीटर तैयार करने के लिये निम्नलिखित फर्मों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस दे दिये गये हैं :—

१. मेसर्स जयपुर मैटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Watt meters.

२. मेसर्स रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर।

३. मेसर्स दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली।

४. मेसर्स हिन्दुस्तान इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।

(ख) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]

कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना

†३३३९. **श्री आचार :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कांगड़ा जिले में चालू किये जाने वाले अखबारी कागज के कारखाने के सिलसिले में आवश्यक विदेशी मुद्रा और सहकार्य के संबंध में बातचीत और फैसला हो गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** अभी नहीं, श्रीमान्।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात

†३३४०. **श्री आचार :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मदों में खासकर कपड़ा, चाय और मैंगनीज अयस्क का पश्चिम जर्मनी को भारतीय निर्यात काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी का क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग) पिछले तीन साल में सूती कपड़ा, चाय और मैंगनीज अयस्क का पश्चिम जर्मनी को कुल भारतीय निर्यात इस प्रकार रहा :—

(लाख रुपयों में)

	१९५८	१९५९	१९६०
पश्चिम जर्मनी को कुल निर्यात .	१४,८३	१९,५६	१९,५९
सूती कपड़ा . .	६	१६	४१
चाय . . .	१,४५	१,९१	१,३४
मैंगनीज अयस्क . .	६५	३१	२८

सूती कपड़े के निर्यात में बराबर वृद्धि दिखायी पड़ती है जो अंशतः जर्मन आयात निर्बन्धनों में कुछ शिथिलता के कारण हुई है। चाय निर्यात १९५९ में बढ़ गया था लेकिन भारत में उत्पादन की कमी के कारण वह १९६० में कम हो गया। मैंगनीज अयस्क का निर्यात इस अवधि में बराबर कम होता रहा। यह कमी इन कारणों से हुई : (क) सभी स्थानों में जर्मनी में मैंगनीज अयस्क का कुल आयात कम हो गया और (ख) भारतीय मैंगनीज अयस्क की कीमतों की वर्तमान प्रवृत्ति इस प्रकार रही कि उनका उन कीमतों से मेल नहीं था जिन पर दूसरे जरियों से आयात किया जा सकता था।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात की स्थिति की समीक्षा समय समय पर की जाती है और आवश्यकता होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्राम्य सम्पत्ति के रूप में सिनेमाघर

†३३४१.**श्री बै० ना० कुरील** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्क्रांत संपत्ति के रूप में हुई सिनेमाघर केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं ; और

(ग) उनका नियंत्रण किस प्रकार होता है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्दखन्ना)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

†३३४२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के परिणाम को देखते हुये जिसमें जनसंख्य की वृद्धि दिखायी गयी है योजना आयोग ने (१) प्राथमिक शिक्षा (२) वयस्क साक्षरता और (३) स्त्री शिक्षा के लिये तीसरी योजना में किये गये नियतन की अभी हाल में समीक्षा की है ; और

(ख) ये रकमें कहां तक बढ़ायी गयी हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं०मिश्र)** : (क) तीसरी योजना के विभिन्न क्षेत्रों में जनगणना के परिणाम का महत्व अभी आंका जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बांडुंग सम्मेलन

†३३४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० अप्रैल, १९६१ को बांडुंग में कोई अफ्रीकी एशियाई एकता सम्मेलन आरम्भ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में भारत भाग ले रहा है ; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि कौन है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). सरकार ने इंडोनेशिया में स्थित बांडुंग में आयोजित अफ्रिकी-एशियाई एकता परिषद कि बैठक के बारे में खबरें अखबारों में देखी थीं । यह गैर-सरकारी संगठन है और उस में भारत के शामिल होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई खास जानकारी नहीं है ।

तिब्बत से आये काश्मीरी मुसलमानों का बसाया जाना

†३३४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत से कितने कश्मीरी मुसलमान अभी तक प्रत्यावर्तित किये गये ;

(ख) क्या उन सभी को बसाया जा चुका है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) लगभग ७०० कश्मीरी मुसलमानों को अभी तक प्रत्यावर्तित किया गया है ।

(ख) और (ग). जम्मू और कश्मीर राज्य के परामर्श से यह तय किया गया था कि जो कश्मीरी मुसलमान अभी कालिम्पों गये हैं उन्हें उस राज्य में भेज दिया जाये। अभी तक २९२ व्यक्तियों को जिन में कुछ नाबालिग भी हैं, श्रीनगर भेज दिया गया है और बाकी लोगों को शीघ्र ही भेज दिया जायेगा । तम्बुओं और सरायों में कुछ थोड़े अर्से तक उन के रहने की जरूरी व्यवस्था जम्मू और कश्मीर सरकार ने की है । तिब्बत से आये इन कश्मीरी मुसलमानों शरणार्थियों को उस राज्य में बसाने में मदद करने के लिये जम्मू और कश्मीर सरकार से प्रार्थना की गयी है । वह सरकार अब उन के पुनर्वास की योजनाओं पर विचार करेगी ।

मैसूर में कुटीर उद्योग

†३३४५. **श्री सिद्धय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य को दी गयी वित्तीय सहायता का पूरा पूरा उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किन किन उद्योगों का विकास किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

स्थगन प्रस्ताव

१३-४-६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग होना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दिल्ली में बिजली की व्यवस्था के भंग होने के सम्बन्ध दो या तीन स्थगन प्रस्ताव तथा एक अविलम्बनीय विषय पर "ध्यान दिलाओ" प्रस्ताव की सूचना मिली है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: दिल्ली को २०,००० किलोवाट बिजली नंगल से और ६०,००० किलोवाट बिजली दिल्ली घर से प्राप्त होती है ।

कल सांयकाल लगभग साढ़े सात बजे नंगल से बिजली आना एकाएक बन्द हो गया । दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने इसे एक अस्थायी पहलू समझ कर दस मिनट तक प्रतीक्षा की । तथापि नंगल से बिजली ठप्प होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं हुआ ।

नंगल की बिजली सिविल लाइन्स क्षेत्र, किंग्सवे, करोल बाग, नजफगढ़ क्षेत्र तथा दक्षिण दिल्ली को दी जाती है । दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड की आदी आवश्यकता इसी विद्युत से पूरी होती है । दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने अनिवार्य सेवाओं यथा अस्पताल, हवाई अड्डों, पारेषण केन्द्रों को विद्युत देने का तत्काल प्रयत्न किया । १२.१० बजे रात्रि तक जल संभरण केन्द्र को पूरी बिजली उपलब्ध कर दी गयी । ११ बजे रात्रि तक डिफेन्स कालोनी को छोड़ कर सभी स्थानों में बिजली आ गयी थी। १० बजे रात्रि को सड़कोंपर भी बिजली आ गयी । दिल्ली कन्टोन्मेंट को "ए" स्टेशन से बिजली दे दी गयी अतः उस क्षेत्र पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह ज्ञात हुआ है कि नंगल से विद्युत संभरण के ठप्प हो जाने का कारण यह है कि कर्नाल से ३ मील दिल्ली की ओर नंगल दिल्ली पारेषण लाइन बारह खम्भे उस क्षेत्र में आंधी आने के कारण टूट गये। इस घटना का पूरा पूरा समाचार अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि सामान्य विद्युत संभरण एक दो सप्ताह के पश्चात दूसरी विकर्षण पारेषण लाइन के निर्माण के पश्चात ही संभव होगा। इस बीच दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम अत्यावश्यक विद्युत संभरण के लिये आपातकालीन संयंत्र की सहायता लेगा जिस से कि उसे १०,००० किलोवाट विद्युत प्राप्त हो जायेगी। इस के लिये हमें सर्वाधिक खपत के घंटों में विभिन्न कलोनियों में बारी बारी से १० से ४० मिनट तक के लिये बिजली बन्द कर देनी होगी। उपक्रम इस प्रकार विद्युत संभरण बन्द कर देने के कार्यक्रम को कुछ ही दिनों में लागू कर देगा।

सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे बिजली की खपत कम से कम रख कर इस मामले में सहयोग करें। दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम इस बात का प्रयत्न करेगा कि विकर्षण लाइन के तैयार होते ही स्थिति सामान्य हो जाये।

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या उक्त व्यवस्था से डिफन्स कालोनी को भी बिजली मिलने लगेगी ? इस क्षति की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): संवाद पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन को विद्युत न मिल सकने के कारण आज ४ घंटे पानी बन्द रहेगा मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने दिल्ली में जल संभरण की स्थिति का सुधार करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

†श्री हाथी : वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन को १२·१० बजे से पूरी बिजली मिलने लगी है। तथापि अन्य क्षेत्रों में बिजली २ से ४० मिनट तक बन्द रहा करेगी।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं यह जानना चाहता हूं क्या आपातकालीन संयंत्र का संचालन करने के लिये हमारे पास काफी मात्रा में कोयला या तेल मौजूद है ?

†श्री हाथी : उक्त संयंत्र से हमको १०,००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी। इस आपातकालीन संयंत्र को चलाने के लिये हमारे पास पर्याप्त सामग्री है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय (संशोधन) नियम

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं श्री कानूनगो की ओर से चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५२ में प्रकाशित चाय (संशोधन) नियम, १९६१

(२) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५३ में प्रकाशित चाय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-२८३४/६१)

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर और प्रजातंत्रवादी जर्मन गणराज्य के मैसर्स आइमेवस के बीच दिनांक ६ मार्च, १९६१ का करार। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी-२८३५/६१]

(२) विशेष प्रयोजन की मशीनों के निर्माण के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर और फ्रांस के मैसर्स रिनाल्ट्स के बीच दिनांक १६ मार्च, १९६१ का करार। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.-टी-२८३६/६१]

(३) रांची, बिहार, के ढलवें लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के तीसरे प्रक्रम के पहले चरण के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची तथा चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स टक्नोएक्स्पोर्ट के बीच दिनांक ७ फरवरी, १९६१ का करार। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी-२८३७/६१]

(४) ढलवें लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के पहले प्रक्रम के लिये पुर्जे, जिनमें २६,००० टन का जल विद्युत् प्रैस और सलाखें बनाने तथा ताप देने का मिस्त्रीखाना भी शामिल है, देने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची और चकोस्लोवाकिया के मैसर्स टक्नोएक्सपोर्ट के बीच दिनांक मार्च, १९६१ का अनुपूरक करार। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी-२८३८/६१]

(५) ढलवें लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के दूसरे प्रक्रम की स्थापना के लिये मशीनें और उपकरण देने के लिये, जिस में सलाखें बनाने की मशीन और ताप देने का मिस्त्रीखाना तथा उनके पुर्जे भी शामिल हैं, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची और चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट के बीच दिनांक ३१ मार्च, १९६१ का अनुपूरक करार। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी-२८३९/६१)

प्राक्कलन समिति

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बगलौर) : मैं वित्त मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) भारत सरकार की टकसाल तथा परख विभाग के बारे में छियालीसवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ-चौथा प्रतिवेदन।

(२) वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के बारे में पचपनवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ-अठारहवां प्रतिवेदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

त्रेसठवां प्रतिवेदन

†संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति की तिरेसठवां प्रतिवेदन से जो १३ अप्रैल, १९६१ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम): दो महीनों पूर्व इस सत्र में चर्चा के लिय विषय निर्धारित करने के लिये जो उप समिति बनायी गयी थी उस में यह सुझाव दिया था कि भारतीय श्रम सम्मेलन के १७ और १८ प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये । तथापि इसमें उस का उल्लेख नहीं है ।

†श्री सत्य नारायण सिंह: यह प्रतिवेदन इस विषय से सम्बन्ध नहीं रखता है । इस प्रतिवेदन में हम केवल समय निर्धारित करते हैं । इसमें कौन कौन से संकल्प लिये जायेंगे इनका निश्चय हमने नहीं किया है ।

†अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति इस बात का निश्चय नहीं करती है कि कौन से विषयों पर सभा में चर्चा की जाय । यह केवल उन विषयों के लिये समय निश्चित करती है । यदि उप समिति ने इस बात का निश्चय किया है तो माननीय मंत्री अभी भी उस सुझाव पर विचार कर सकते हैं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तिरेसठवें प्रतिवेदन से जो १३ अप्रैल, १९६१ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपय
८३	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय . . .	३६,४८,०००
८४	भूतत्वीय सर्वेक्षण	२,९०,७५,०००
८५	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय व्यय	३७,१९,५१,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	७२,१६,९१,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : औद्योगिक नीति संबंधी जो वक्तव्य सरकार द्वारा दिया गया है उस के अनुसार कोयले की खानों का केवल सरकारी क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिये । वस्तुतः इस के द्वारा ही राष्ट्र का हित साधन हो सकता है । तथापि इस के बाद ही बंगाल कोयला कम्पनी ने यह घोषणा की है कि वे ६० लाख रुपये के लाभांश वाले अंश जारी कर रहे हैं । दुख की बात है कि इस प्रकार की अनुमति किस प्रकार दी गयी है जब कि देश में धातुकार्मिक कोयले की कमी है और हमें उस के निक्षेप सुरक्षित रखने हैं ।

तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ९७० टन रखा गया है मेरे विचार से यह कम है हमें चाहिये कि हम कोयले के उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि करें और उसे बढ़ा कर १२०० से १३०० लाख टन कर देवें । अन्यथा हमारे उद्योगों को पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं हो सकेगा और इस के बाद में दिक्कतें पैदा होंगी ।

तीसरी योजना के मसविदे से मुझे ज्ञात हुआ था कि सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के विकास के लिये १३८ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । तथापि जब मुझे इसका विस्तृत ब्यौरा ज्ञात हुआ तो मुझे इस से बहुत निराशा हुई है । क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नयी कोयला खानों के विकास के लिये केवल ६० या ७० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है अवशेष राशि गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गयी है ।

सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को १७० लाख टन अतिरिक्त कोयले की अनुमति दे कर अच्छा नहीं किया है । गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक उत्पादन पर रोक लगनी चाहिये थी और इसी अनुपात में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये थी ।

अन्य औद्योगिक देशों की अपेक्षा हमारे देश में कोयले का उत्पादन बहुत कम होता है । यदि हम जापान में प्रति व्यक्ति खपत के अनुसार कोयले की खपत करें तो भी हमें प्रति वर्ष ४५०० टन कोयले का उत्पादन करना होगा । इस से यह स्पष्ट है कि योजना आयोग ने कोयले के उत्पादन का जो लक्ष्य तीसरी योजना के बीच निश्चित किया है वह विचार पूर्वक नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में जो राशि विनियोजित की गयी है उस के अनुपात में उत्पादन नहीं हुआ है , अतः इस संबंध में जांच की जानी चाहिये ।

अल्प तापीय कार्बन संयंत्र (लो टैम्प्रेचर कार्बनाइजिंग प्लांट) के लिये दूसरी योजना में उपबंध किया गया था, तथापि इस कार्य क्रम को तीसरी योजना तक के लिये स्थगित कर देना पड़ा । अब भी यह कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण इसका लगाया जाना संभव नहीं हुआ है । मेरा सुझाव है कि पूर्ववर्तिता दी जाय क्योंकि इस से घरेलू ईंधन प्राप्त हो सकेगा और इस प्रकार लकड़ी और गोबर का घरेलू ईंधन के रूप में दुरुपयोग नहीं हो सकेगा ।

यांत्रिक रूप से कोयला उत्पादन का यह परिणाम होगा कि स्लेक और मिडलिंग कोयला अधिकाधिक परिमाण में उपलब्ध होगा । हमें चाहिये कि इस कोयले के उपयोग के तरीके ढूंढ निकालें, इस संबंध में कोयला नियंत्रक ने एक उपसमिति नियुक्त की है तथा उसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन किस स्थिति में है ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयला पश्चिम तथा दक्षिण को जहाजों के द्वारा भेजा जायेगा। इस संबंध में मैंने यह सुझाव दिया है कि सिंगारेनी कोयला खानों का उत्पादन बढ़ा कर ७० लाख टन कर दिया जाय तथा आंध्र की कोयला खानों का उपयोग किया जाय।

कोयला संभरण की कठिनाइयों के कारण दक्षिण के उद्योगों से यह कहा जा रहा है कि वे कोयले के स्थान में मट्टी का तेल (फरनैस आइल) का प्रयोग करें। तथापि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इस के लिये उन्हें अपनी भट्टियों को बदलना होगा जोकि वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है।

कोयला रेलवे के सभी अंतिम स्टेशनों में एक ही कीमत पर उपलब्ध होना चाहिये। इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि रेलवे के सभी अंतिम स्टेशनों पर कोयले की एक ही कीमत होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में शीघ्र ही एक घोषणा निकालेगी।

अब मैं कोयला खनिकों की शिकायतों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रत्येक कोयला क्षेत्र में एक कोयला समिति बनायी जाय। खनिकों के लिये आवास सुविधायें उपलब्ध की जायें। यह ज्ञात हुआ है कि कोयला नियंत्रक के कार्यालय में छंटनी की जाने वाली है। इसे रोका जाय और कोयला खनिकों के संघों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय।

छोटी कोयला खानें एकीकरण समिति की सिफारिशें सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गयी हैं। सरकार को चाहिये कि वे तत्काल इस संबंध में एक विधान बनाये तथा इन खानों का तत्काल एकीकरण किया जाय।

अब मैं तेल के संबंध में कहूंगा। बरौनी शोधनशाला का प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है अतः तब तक सहायक कार्यों को प्रारम्भ करना चाहिये, जिस से कि विस्तृत परियोजना प्राप्त होने पर उस पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके।

खम्भात में निकलने वाले तेल को गुजरात में ही शोधित किया जाय उसको शोधन करने के लिये बम्बई ले जाना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। खम्भात में एक छोटी शोधनशाला और अंकलेश्वर में एक बड़ी शोधनशाला की स्थापना की जाय।

सरकार को चाहिये कि गोदावरी और कावेरी बेसिन में तेल की खोज का कार्य शीघ्रता से किया जाय।

अब मैं ताम्बे की खानों को लेता हूं। हम तांबे के आयात में बहुत विदेशी मुद्रा का व्यय कर रहे हैं अतः हमें चाहिये कि १०००० टन की क्षमता वाले दो स्मैलटर (गलाने वाले संयंत्र) खेतरी और सिक्किम में लगाये जायें।

खनिज हितकारिता समिति ने अपना प्रतिवेदन पिछले वर्ष प्रस्तुत कर दिया था। तथापि अभी तक सरकार ने इस संबंध में अपना निर्णय नहीं किया है कम से कम यह तो ज्ञात होना चाहिये कि सरकार ने समिति की किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया है।

यह ज्ञात हुआ है कि कम वेतन के कारण बहुत से टैक्नीकल कर्मचारी सरकारी इस्पात के कारखानों में काम छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्रों को जा रहे हैं अतः सरकार को चाहिये कि उन के वेतन में उचित वृद्धि की जाय।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी (राजमपेट) : सभा तेल संबंधी सरकार की नीतियों से व्यापक रूप से सहमत है । तथापि कुछ क्षेत्रों में हमारी आलोचना की गयी है । विश्व बैंक ने तेल संबंधी किसी भी सरकारी उपक्रम को सहायता देने से इन्कार कर दिया है । इस प्रकार विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र में तेल उद्योग को प्रोत्साहन देने से इन्कार कर दिया है । यही बात अप्रैल १९६१ पैट्रोलियम प्रैस सर्विस से भी प्रकट होती है ।

अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के अंत तक देश में तेल की खपत बढ़ कर १४० लाख टन हो जायेगी । इस से हमें ३५० करोड़ की विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी । अतः यदि हम अपनी विदेशी मुद्रा का यह अपव्यय रोकना चाहें तो हमें तेल की खोज का कार्यक्रम पूरे जोर से क्रियान्वित करना चाहिये ।

ऐसे समय जब कि सभीदेशों में तेल की खपत में बहुत वृद्धि हो रही है और अनुमान है कि भारत में भी तीसरी योजना के दौरान तेल की खपत में १० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जायेगी, यदि हम विश्व बैंक की आलोचना के बावजूद भी तेल के उत्पादन के कार्यक्रम को पुरजोर क्रियान्वित कर रहे हैं तो इस के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

वस्तुतः एक शोधनशाला को चलाये रखने के लिये हमें तेल की बहुत बड़ी मात्रा का उत्पादन करना आवश्यक होता है । इस संबंध में भ्रांति पैदा हो गयी है कि नहरकटिया और मोरन क्षेत्र में बरौनी और नूनमती शोधनशालाओं के लिये यथेष्ट तेल उपलब्ध नहीं होगा ।

श्री त० ब० विट्ठल राव ने सुझाव दिया है कि गुजरात में एक छोटी और एक बड़ी शोधनशाला आरम्भ की जाय । तथापि इस के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें । देश में पैट्रोल की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए हमें शोधनशालाओं की संख्या में वृद्धि करनी होगी ।

तेल की खोज के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमें अधिक संख्या में टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । विशेषतः फोटो भूतत्ववेत्ताओं की हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता है । देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक तेल की खोज के लिये यह जरूरी है कि हमें पर्याप्त मात्रा में टैक्नीकल कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध हों ।

मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता होती है कि बरमें और छेदन यंत्र बनाने के कारखानों की स्थापना के प्रयत्न भी हमारे देश में हो रहे हैं । इस सफलता का श्रेय मंत्री महोदय को ही है । हमें बताया गया है कि नूनमती और बरौनी के तेल साफ करने के कारखानों में अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना भी की जायेगी । इन में से एक उद्योग पालीथलीन का है । इस के स्थान पर पालीफ्रोलीन का निर्माण उपयोगी रहेगा । हम यह भी जानना चाहते हैं कि दक्षिण भारत में तेल संबंधी उद्योग स्थापित करने के लिये क्या हमें इटली से भी कोई ऋण प्राप्त हो रहा है ?

†श्री मुरारका (झुंझनूं) : आलोच्य वर्ष में इस मंत्रालय ने काफी सफलताएं प्राप्त की हैं । इस्पात के कारखाने चालू हो गय हैं और कोयले के उत्पादन का लक्ष्य भी लगभग पूरा हो चुका है । इस्पात के कारखाने देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और भावी प्रगति वस्तुतः इन्हीं पर आधारित रहेगी ।

अब यह मंत्रालय इस्पात कारखानों को विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है । एक चौथा कारखाना बोकारो में लगाया जाना है । लक्ष्य १०० लाख टन इस्पात तैयार करने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ लोग यह नहीं चाहते क्योंकि उनका विचार है कि देश में इस्पात की इतनी मांग न होगी। परन्तु यह बात गलत है। हम पिछले समय से आयात करने के बाद भी देश की ५० पर सट आवश्यकता भी पूरी न कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति ने अनुमान लगाया है कि भारत में २८० लाख टन इस्पात की जरूरत है। इसे देखते हुए १०० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य सामान्य सा प्रतीत होता है। एक जर्मन दार्शनिक श्री री वेल के कथनानुसार भारत में जब ४०० से ५०० लख टन इस्पात की पैदावार होगी तब वहां की जनता का स्तर बड़े देशों के बराबर पहुंचेगा।

किन्तु नये कारखाने की स्थापना से पूर्व हमें अपने विगत अनुभव से भी कुछ सीखना चाहिए पहली चीज तो यह है कि तीनों विद्यमान कारखानों में से भिलाई में रूस के लोगों ने सर्वोत्तम काम कर के दिखाया है, दूसरे यह कि हमारे अनुमान ठीक नहीं उतरे और तीसरे यह कि इनकी योजना सुतथ्यतापूर्ण ढंग से नहीं बनी।

सब से पहले यह अनुमान था कि ३५३ करोड़ रुपया खर्च आएगा, उस के बाद यह हुआ कि ५५६ करोड़ खर्च आएंगे परन्तु वास्तविक खर्चा ६०५ करोड़ का निकला। इस तरह के अनुमानों से गड़बड़ पैदा हो जाती है। इस से यह संदेह भी होता है कि क्या सरकार के पास जांच पड़ताल की ठीक व्यवस्था भी है या नहीं? उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी। दुर्गापुर में परामर्शदाताओं को ११ करोड़ रुपये की अदायगी करनी थी पर २५ करोड़ रुपये की हुई ? इसकी जांच की जा सकती है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से भी पूछा नहीं गया। इसी प्रकार से चौथे इस्पात कारखाने के अनुमानों में भी फेरबदल होने लगा है।

जहां तक योजनाबद्ध रीति से काम करने का सवाल है रूसियों ने भिलाई में उत्तम ढंग से काम कर के दिखाया है। इसकी प्रशंसा विदेशियों ने भी की है। राउरकेला की प्रशंसा नहीं हुई। राउरकेला में कुछ दोष बताये जाते हैं। कहा जाता है कि इसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है ?

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों कहा जाता है ?

†श्री मुरारका : कारण यह है कि इस की मशीनरी काफी पेचीदा है। भारतीय टेक्निशियनों के प्रशिक्षण के लिय जर्मन दल का दो वर्ष तक उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक है। यद्यपि बातचीत चली है पर जर्मन वालों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों की बाल की खाल उतारने की प्रवृत्ति हानिकारक है।

दुर्गापुर के कारखाने के बारे में अंग्रेज अखबार "डेली टेलीग्राफ" कहता है कि शायद इसे संकट का सामना करना पड़े।

†अध्यक्ष महोदय : यदि अनुमान से वृद्धि साधारण हो तो और बात है पर यदि ज्यादा हो तो व्याख्यात्मक पत्र उस के साथ रहना चाहिए। मैं यह सोचता हूं।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): श्रीमान् हमारी बात सुनकर ही आप अपने विचार को अंतिम रूप से तय कीजिएगा।

†श्री मुरारका : प्राक्कलन समिति जब अनुमानों की जांच करे तो मंत्रालय से उसे पूरे तथ्यों की प्राप्ति होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

जहां तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का संबंध है, सर एरिक कोटस ने लिखा है कि कारखाने के विभिन्न विभाग पारस्परिक कलह में फंसे हैं। इन सब बातों को देख कर हमें वास्तविक निराशा होती है। विदेशियों ने भी इस चीज की सिफारिश की है कि एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की जाय जो सारे मामले की देख भाल करे।

भिलाई और राउरकेला की भट्टियां एक साथ चालू हुई थीं। भिलाई ने ६,८२,००० टन कच्चे ढले लोहे का उत्पादन किया जब कि राउरकेला में ५,८०,००० टन का उत्पादन हुआ। दोनों भट्टियों की क्षमता बराबर है। इसी तरह कोक ओवन बैटरियां भी दोनों कारखानों में एक साथ चलीं पर यहां भी राउरकेला का उत्पादन कम है। कच्चे माल की लागत के आधार पर राउरकेला में कच्चे माल और उत्पादन का अनुपात १००:१२८ है जब कि भिलाई में १००:१८० है।

जहां तक दोनों कारखानों को कोयला मिलने का सवाल है वह दुग्दा और कर्गली के कोयला धोने के कारखानों से मिलता है। परन्तु अब पता चल रहा है कि वह कोयला घटिया जा रहा है और उस से न केवल लागत पर बल्कि उत्पादन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी तरह कारखानों को आवश्यक चूने का पत्थर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अब उसकी खोज कराई जा रही है। क्या यह काम पहले करने का नहीं था?

इस के अलावा दूसरी चीज यह है कि राउरकेला में १० लाख टन इस्पात की छड़ें बनाने के लिए १५ लाख टन कच्चा लोहा और १५ लाख टन कोयला आवश्यक है किन्तु भिलाई में १० लाख टन छड़ें बनाने के लिए २० लाख टन लोहे और २० लाख टन कोयले की जरूरत होगी। इतना अंतर क्यों?

जहां तक इन के संतुलन यंत्रों का संबंध है, लेखे की दृष्टि से ठीक हिसाब लगाने के लिए मूल्य ह्रास की व्यवस्था ठीक दर पर दिखायी जानी चाहिए थी। इस के अलावा देय ब्याज की राशि भी हिसाब में दिखायी जानी आवश्यक थी क्योंकि इस के बिना कारखाने की सही हालत का अंदाज नहीं लग सकता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का काम दिन बदिन बढ़ता जायेगा। इसलिए हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि क्या इतने बड़े काम को केवल एक ही निगम संभाल सकेगा। क्या एक ही बोर्ड इतने भारी काम के लिये काफी होगा?

यह ठीक है कि कोयले के उत्पादन का लक्ष्य वैसे पूरा हो गया है परन्तु हर कोयला खान से उतना उत्पादन नहीं हुआ जितने की योजना बनी थी। जहां पर बंगाल बिहार की कोयला खानों में कोयले का उत्पादन बढ़ा है वहां पर मध्य प्रदेश में उत्पादन घटा है। पहले आशा थी कि रेलवे ५३० लाख टन कोयला ले जायेगी परन्तु वह केवल ४५० लाख टन कोयला ही ले जा सकी। इस कारण यदि प्रगति ठीक उस तरह न हो जिस तरह कि योजना बने तो भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां मार्ग में आ जाती है।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कोयला खानों के यंत्रीकरण की ओर भी सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिएं।

†श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : सामान्यतया यदि कहा जाय तो यही कहा जा सकता कि इस मंत्रालय का काम ज्यादा बुरा नहीं रहा । वैसे तो बार बार अनुमान बढ़े और लोक लेखा समिति ने भी अनेक प्रकार की अनियमितताएं प्रकट की हैं परन्तु इन सब के होते हुए भी इस का काम ज्यादा खराब नहीं रहा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे विचार में यह मंत्रालय इस दृष्टि से गतिहीन है कि जो कुछ इसे योजना आयोग कहे, उसी का पालन करता है । अन्य चीजों की इसे परवाह नहीं । होना यह चाहिए कि इस मंत्रालय को योजना आयोग का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए । हम जब तक लोहे और इस्पात में आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते ।

हमारा विचार है कि १९६५-६६ तक हमें १५० लाख टन इस्पात की आवश्यकता हुआ करेगी परन्तु हमारा लक्ष्य केवल १०० लाख टन के उत्पादन का है । चौथे कारखाने से भी यह कमी शायद ही पूरी हो पाये क्योंकि वह भी अभी बन नहीं रहा । अभी उसकी स्थापना के आरम्भिक काम ही चालू हैं । इस नयी परियोजना की रिपोर्ट अवश्य आ गयी है । यदि इसे ठीक तरह से क्रियान्वित किया जाता है तो निस्सन्देह काम पूरा होगा । स्टील एलाम का भी उल्लेख देखा जाता है पर तत्संबंधी ब्योरात्मक जानकारी के न होने के कारण हमें इससे आगे कुछ भी पता नहीं है ।

वस्तुतः जितना महत्व इस्पात का है उतना ही स्टील एलाम का भी है । इसकी लागत भी ज्यादा होती है । अतः हमें इसकी पैदावार देश ही में करनी चाहिये । इस के लिये जो योजना बने उसे साहस से कार्यान्वित करना चाहिये ।

एक चीज है जिससे मेरा मन दुखी हो रहा है और वह है यह कि आज जबकि कारखानों के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है तो सरकार को यह नहीं चाहिये कि अनुभवी लोगों को घरों पर बिठा दें । उनसे यदि काम न लिया गया तो देश की बड़ी भारी हानि होगी । उनका अनुभव देश के लिये बहुमूल्य है ।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि वह इस बात को भी देखें कि अन्य राजनीतिक दलों से सम्बद्ध श्रम संघों का दमन न हो । यदि सरकार अन्य दलों से सम्बद्ध श्रमिक संघों को मान्यता देना ही नहीं चाहती तो फिर यह श्रमिक विधियों का भी समाप्त कर डाले और कह दे कि यहां कांग्रेस के सिवाय अन्य दल रह ही नहीं सकता । जहां तक केन्द्रीय परियोजनाओं का संबंध है उनके बारे में मान्यता आदि के प्रश्नों पर विचार केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये । जब तक श्रमिकों में निराशा और उदासीनता विद्यमान रहेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता ।

जहां तक कोयले का संबंध है यह उद्योग अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस कारण इसे सरकारी क्षेत्र में ही रहना चाहिये ।

अब जहां तक तेल का संबंध है, यह ठीक है कि इस क्षेत्र में हमें खुद खोज करनी चाहिये और खुद ही कारखाने लगाने चाहियें परन्तु हम ऐसा इस कारण नहीं कर पा रहे कि हमारे पास पैसे की कमी है । इसी कारण हमें दूसरों को थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है और देते हैं । हमें इसमें आपत्ति नजर नहीं आती पर जिस समय हमारा हाथ ठीक हो जाय तभी हमें विदेशी तेल साफ करने के विदेशी उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । इस कठिनाई का हल हमें करना होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेन्द्र सिंह]

समाचार पत्रों में भी यह समाचार छपा है तथा श्री मालवीया ने भी कई बार यह बताया है कि हम पाकिस्तान गैस प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान से समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार में ऐसा करना बहुत खतरनाक है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि हम दोनों देशों के बीच आपस में काफी मतभेद है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा से पांच मील की दूरी पर पाकिस्तान क्षेत्र में यूरी गैस पाई जाती है। अगर हम भी अपने राज्य क्षेत्र में प्रयत्न करें तो हो सकता है कि हमारे इलाके में भी गैस मिलने लगे। इसलिये आर्थक दृष्टि से तथा देश के दीर्घ-कालीन हित की दृष्टि से भी पाकिस्तान से गैस के बारे में समझौता करना ठीक नहीं है।

†श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : आसाम में जो कोयला मिलता है उसकी किस्म बहुत घटिया है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा आसाम में मिलने वाले कोयले की किस्म को सुधारने के लिये वहां कोयला साफ करने का कारखाना स्थापित करने का इरादा है। वहां कोयले का मूल्य भी इस ढंग से रखा गया है कि घटिया किस्म के कोयले का मूल्य सब से अधिक है। मेरा निवेदन है कि मूल्यों की यह विभिन्नता समाप्त की जानी चाहिये।

यदि तेल के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह पता चलता है कि १८९० में पहली बार तेल का पता चला था और तब से लेकर अब तक निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। फरवरी १९५९ में आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना हुई और यह हमारे देश के तेल उद्योग के इतिहास की महान सफलता है। इस कम्पनी ने अब तक ९३ कुओं का छेदन कार्य किया है। कह सकते हैं कि इस समवाय को अपने कार्य में ९० प्रतिशत तक सफलता मिली है जो कि प्रशंसनीय है। देश में तेल तथा तेल उत्पादों की आवश्यकता को देखते हुये पश्चिमी बंगाल में तेल खोजने के लिये सरकार ने स्टेनवाक से समझौता किया। थोड़ा सा काम करने के बाद यह कार्य रोक देना पड़ा क्योंकि इसके आसार उज्जवल नजर नहीं आये। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के और भागों में भी तेल प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। लेकिन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का काम उतना अच्छा नहीं है जितना कि आइल इंडिया लिमिटेड का लेकिन फिर भी अच्छा रहा है। तेल के उत्पादन की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं है। सरकार की तीसरी योजना के उत्पादन के लक्ष्य का और सही अनुमान लगाना चाहिये। चूंकि खम्भात अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल पाये जाने के आसार मिले हैं। अतः उस क्षेत्र में तेल साफ करने के सरकारी कारखाने की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सभा को इस बात की कुछ जानकारी दी जानी चाहिये कि तेल की खोज और उसके उत्पादन पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा वास्तव में कितना व्यय किया गया है। तेल उद्योग के दक्ष, अर्द्धदक्ष और अदक्ष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की एक योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी चाहिये।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : मैसूर की सोने की खानों को केन्द्रीय सरकार ले रही है। आशा है कि ऐसा करने से इन खानों के कर्मचारियों की स्थिति अच्छी हो जायेगी। वहां के सोने की खानों के क्षेत्र में और अधिक धातुरेखाओं की खुदाई की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। सन्दूर क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये और यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम कुछ लो शैफ्ट धमन भट्टियां स्थापित की जायें। उस क्षेत्र में कारखाने चलाने के लिये काफी लिग्नाइट उपलब्ध है। भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स को अधिक धन देना बहुत आवश्यक है। वहां कुछ अच्छी किस्म का इस्पात बनाया जा सकता है। लिग्नाइट की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। कोयले की ईंटें बनाने वाले संयंत्र की स्थापना में अब भी विलम्ब हो रहा है। उप-उत्पाद को काम में लाते समय और उद्योगों की

†मूल अंग्रेजी में

स्थापना का ध्यान रखा जाये। जहां तक तेल का संबंध है, कावेरी घाटी की जांच की जानी चाहिये। खम्भात तथा अंकलेश्वर क्षेत्र में छेदन कार्य बढ़ाया जाना चाहिये। जहां तक तेल साफ करने की बात है इंडिया आइल कम्पनी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसलिये इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन यह धन थोड़ा है इसके काम को देखते हुये यह राशि कम है। हमारे यहां कोयला बंगाल से आता है। दूसरी योजना में कोयले का लक्ष्य ६०० लाख टन रखा गया था जो घटकर ५२० लाख टन रह गया। तीसरी योजना में इस क्षेत्र में हमारा लक्ष्य ९७० लाख टन का है। मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र को इस मामले में काफी प्रगति करनी है। परिवहन क्षमता भी बढ़ानी होगी। इसके लिये तटीय नौवहन के विकास की भी जांच की जानी चाहिये।

कोयला खदानों में आम तौर से आगजनी की घटनायें होता रहता हैं जिनसे करोड़ों रुपयों की हानि होती है। मेरा निवेदन है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये यथाशक्य प्रयत्न किये जाने चाहिये।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस्पात के क्षेत्र में एक चौथा संयंत्र भी पड़ने वाला है। लेकिन हमारी आवश्यकता भी बराबर बढ़ती जा रही है अतः उसकी पूर्ति करने के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये तेजी से प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने से विदेशी विनिमय की भी बचत होगी। माननीय मंत्री महोदय को यह प्रयत्न करना चाहिये ताकि यहां का निर्यात बढ़े।

रूरकेला इस्पात संयंत्र पर १३ करोड़ रुपये की अपेक्षा १९ करोड़ रुपये व्यय हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्रालय इस बात को देखे कि यह वृद्धि क्यों हुई है। इस्पात का वितरण भी पहले की अपेक्षा तो ठीक होने लगा है आशा है कि भविष्य में भी ठीक होने लगेगा।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार मैसूर की सोने की खानों को अपने नियंत्रण में ले लेगी। इससे कुछ चिंता उत्पन्न हो गई है। सन् १९५६ से मैसूर सरकार इनका प्रबन्ध बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। इस क्षेत्र में तीन खानें हैं। इन तीनों खानों का काम भी बड़ा सन्तोषजनक है। लेकिन मेरा निवेदन है कि केन्द्र मैसूर सरकार को पर्याप्त मात्रा में अनुदान दे ताकि वह सोने की खानों में खुदाई के लिये नई धातु रेखायें ढूंढ सके। इन खानों से काफी समय तक सोना निकाला जा सके। इसके लिये विकास कार्य करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय दर पर, जोकि बाजार दर से आधी है, सोना खरीदने की सरकार की नीति से काफी उलझन पैदा हो गई है। मेरा निवेदन है कि यदि सोना इस दर पर खरीदा गया तो बिक्री से प्राप्त होने वाली आय खर्च से बहुत कम होगी। ये खानें मैसूर सरकार के नियंत्रण में ही रहनी चाहियें। यदि केन्द्रीय सरकार खानों को ले लेने के बाद निगम बनाती है तो उससे मैसूर राज्य के लोगों को रोजगार मिलने की संभावनायें कम हो जायेंगी।

इस्पात हमारे उद्योगों के विकास के लिये मुख्य चीज है। यह ठीक है कि ये कारखाने आजकल काम कर रहे हैं उनमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। लेकिन इन की लागत के बारे में जो अनुमान पहले लगाये गये थे वे गलत सिद्ध हुये हैं। लागत व्यय दुगना हो गया है जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ सकता है। इस विषय की जांच की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इमाम]

ये इस्पात कारखाने एक दूसरे के निकट लगाये गये हैं। चौथा संयंत्र भी इन्हीं के निकट लगाने का विचार है। मेरा निवेदन तो यह है कि एक दूसरे के निकट बड़े संयंत्र लगाने के बजाये यहां वहां छोटे छोटे कारखाने स्थापित करना बहतर होगा। इस से सारा देश औद्योगिक प्रगति कर सकेगा। और ये छोटे छोटे संयंत्र सारे देश में चहुं ओर बनाये जायें। इस्पात कारखानों का उत्पादन पूरा नहीं हो सका है कोयला और कच्चे लोहे में कोई समन्वय नहीं है। कोयला साफ करने के कारखाने स्थापित नहीं किये गये हैं। वेल्लारी क्षेत्र में एक लोहे का कारखाना स्थापित किया जाये। भद्रावती आयरन वर्क्स का विस्तार किया जाय यह कारखाना विशेष प्रकार के इस्पात लौह मिश्रित धातुओं तथा स्टेनलैस स्टील के लिये बहुत उपयुक्त है।

†श्री थानु पिल्लै (तिरुनेलवेली) : इस्पात के तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित किये गये थे जोकि उल्लेखनीय सफलता है। इस्पात के चौथे कारखाने की रूपरेखा भारतीय इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों ने तैयार की यह बड़े गौरव की बात है। इस्पात का संभरण कम होने के फलस्वरूप कई उद्योग, विशेषकर लघु उद्योग और औद्योगिक बस्तियां, विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। कच्चे माल के अभाव में उद्योगों की पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। इस विषय की जांच की जानी चाहिये। हमें इस्पात के चौथे कारखाने की स्थापना पर ही संतोष नहीं करना चाहिये। इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये हमें पांचवें कारखाने की योजना बनानी चाहिये। हमें कम से कम अपने पड़ौसी देशों को कुछ इस्पात निर्यात करना चाहिये।

निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत पडौसी देशों को कोटा दिया जाना चाहिये।

नीवेली परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है। सरकार को इस ओर कुछ ध्यान देना चाहिये। दक्षिण प्रदेश का पूर्ण सर्वेक्षण किया जाये और अभ्रक, सीसा, तांबा पेट्रोलियम और ग्राफाइट जैसे खनिजों के बारे में छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जाये।

सरकारी क्षत्र में तेल साफ करने के कारखाने पूर्वी किनारे पर भी स्थापित किये जायें।

इस्पात, खान और धन मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	२०१	श्री मो० ब० ठाकुर	कच्छ (गुजरात) में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	२०२	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात में इस्पात रोलिंग कारखाने की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	६३६	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	आयात लाइसेंस दिये जाने में विलम्ब	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	६३७	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	स्टाकिस्टों को इंडेंट देने में विलम्ब	१०० रुपये
८३	६३८	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यकरण	१०० रुपये
८३	६३९	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	वस्तु विनिमय और स्टाकिस्टों की नियुक्ति सम्बन्धी दोषपूर्ण नीति	१०० रुपये
८३	७४०	श्री अरविन्द घोषाल	खानों के यंत्रीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७४१	श्री अरविन्द घोषाल	कोयले के पिट हैडों से हटाये जाने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७४३	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खान क्षेत्रों में रेलवे साइडिंगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७४४	श्री अरविन्द घोषाल	सिंगरैनी कोयला खानों के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७४५	श्री अरविन्द घोषाल	लौह-अयस्क खानों के यंत्रीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७७६	श्री अरविन्द घोषाल	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड के प्रधान कार्यालय के रांची से कलकत्ता हटाये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७७७	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात परियोजना के क्रय कार्यालय के प्रधान कार्यालय के दुर्गापुर से कलकत्ता हटाये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७७८	श्री अरविन्द घोषाल	राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की शेष धमन भट्टियों के उत्पादन के लिये तुरन्त चालू किये जान की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	७७९	श्री अरविन्द घोषाल	इस्पात कारखानों के उपत्पादों के पूर्णतर उपयोग किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८०	श्री अरविन्द घोषाल	गंगा की घाटी में तेल की खोज की जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८१	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खानों को स्टोइंग के लिये रेत की पर्याप्त मात्रा के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८२	श्री अरविन्द घोषाल	सरकारी उद्योग क्षेत्र में कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८३	श्री अरविन्द घोषाल	कोयले के विभिन्न क्षेत्रों में उचित और नियमित वितरण के लिये कोयला क्षेत्रों के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८४	श्री अरविन्द घोषाल	तेल के मूल्य घटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८५	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ग्रेजुएट शिशिक्षुओं, संचालकों और दक्ष श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८६	श्री अरविन्द घोषाल	६५ प्रतिशत से अधिक लौह तत्व रखने वाले लौह-अयस्कों का निर्यात बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८७	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर को अयस्कों का संभरण करने के लिये बोलानी की लौह-अयस्क खान का विकास और यंत्रीकरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७८८	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कोयले के संभरण के लिये कोयला धोने के कारखाने का निर्माण-कार्य पूर्ण करने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	७८९	श्री अरविन्द घोषाल	डुगडा, भोजुडीह और पाथेरडीह में कोयला धोने के कारखानों की स्थापना में शीघ्रता लाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९०	श्री अरविन्द घोषाल	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये भूमिगत जल संबंधी अनुसंधानों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९१	श्री अरविन्द घोषाल	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा नक्शे बनाने और छिद्रण का अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९२	श्री अरविन्द घोषाल	लाभदायक खनिज और निक्षेपों के लिये भूतत्वीय अनुसंधान कार्य को गहन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९३	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता के निकट एक तेल शोधनशाला की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९४	श्री अरविन्द घोषाल	बढ़िया किस्म के कोयला निक्षेपों का पता लगाने के लिये खोज कार्य को गहन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	७९५	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिमी बंगाल के बंडेल-ओंडेल क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का पता लगाने के लिये उचित अनुसंधान की आवश्यकता	१००रुपये
८३	७९६	श्री अरविन्द घोषाल	ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल का उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने की आवश्यकता	१००रुपये
८३	७९७	श्री अरविन्द घोषाल	गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को सरकार द्वारा रूस से आयात किये गये कच्चे तेल को खरीदने के लिये विवश करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक नाम का	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	७९८	श्री अरविन्द घोषाल	आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल का उत्पादन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१०११	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	इस्पात के निर्यात में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निश्चित नीति का पालन न किया जाना	१०० रुपये
८३	१०६८	श्री मो० ब० ठाकुर	विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये रद्दी लोहे के निर्यात के संवर्धन की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१२३३	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिये बनाये गये अस्पताल में पलंगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१२३४	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के परिवारों को अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१२३५	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार	१०० रुपये
८३	१२३६	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिये शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१३७८	श्री त० ब० विट्ठल राव	छोटी कोयला खानों के संविलय का प्रश्न	१०० रुपये
८३	१३७९	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में सोना पाये जाने वाले भागों के मानचित्रण में विलम्ब	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८३	१३८०	श्री त० ब० विट्ठल राव	तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८३	१३८१	श्री त० ब० विट्ठल राव	दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले के १५० लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता	१०० रुपये
८३	१३८२	श्री त० ब० विट्ठल राव	भारतीय खनि विभाग का असंतोषजनक कार्यकरण	१०० रुपये
८३	१३८३	श्री त० ब० विट्ठल राव	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का असंतोषजनक कार्यकरण	१०० रुपये
८३	१४४६	श्री त० ब० विट्ठल राव	कैम्बे से बम्बई तक पाइप लाइन डालने की योजना छोड़ देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८८७	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का कार्यकरण	१०० रुपये
८५	८८८	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे कारखानों को लोहा और इस्पात के नियमित कोटों के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८८९	श्री अरविन्द घोषाल	लोहा और इस्पात के कोटे के वास्तविक व्यापारियों को आवंटन की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८९०	श्री अरविन्द घोषाल	जाली व्यापार को रोकने के लिए कलकत्ता के कोटाधारियों की सूची की छानबीन की जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८९१	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला आयुक्त और खान निरीक्षकालय के बीच समन्वय की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८५	८९२	श्री अरविन्द घोषाल	लोहा तथा इस्पात में चोर बाजारी के उन्मूलन की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८९३	श्री अरविन्द घोषाल	इस्पात का मूल्य कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८९४	श्री अरविन्द घोषाल	कोयले के आवागमन के लिए रेलवे तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	८९५	श्री अरविन्द घोषाल	केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था द्वारा कोयले के उचित वर्गीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	१४४७	श्री त० ब० विट्ठल राव	सिक्किम खनन निगम को वित्तीय आवंटन बढ़ने की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	१४४८	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की कार्य विश्लेषण के मूल्यांकन सम्बन्धी शिकायतें	१०० रुपये
८५	१४४९	श्री त० ब० विट्ठल राव	रांची में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिए रहने के क्वार्टरों के निर्माण की गति बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८५	१४५०	श्री त० ब० विट्ठल राव	डुगडा और भोजीडीह में कोयला धोने के कारखानों की स्थापना में विलम्ब	१०० रुपये
८५	१४५१	श्री त० ब० विट्ठल राव	निवेली की लिगनाइट खानों में खनन कार्य प्रारंभ करने में विलंब	१०० रुपये
८५	१४५२	श्री त० ब० विट्ठल राव	बोकारो और करगली कोयला खानों में जल संभरण की कमी	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१३२	८९६	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर में एलाय और टूल्स स्टील प्लान्ट की स्थापना में शीघ्रता की जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३२	८९७	श्री अरविन्द घोषाल	निवेली लिगनाइट परियोजना के कार्यकरण में मितव्ययता की आवश्यकता	१०० रुपये
१३२	१४५३	श्री त० ब० विट्ठल राव	गुजरात में एक तेल शोधन-शाला की तुरन्त स्थापना का प्रश्न	१०० रुपये
१३२	१४५४	श्री त० ब० विट्ठल राव	दूरस्थ कोयला खानों के विकास का प्रश्न	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री नौशेर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस्पात कारखानों का आयोजन त्रुटिपूर्ण रहा है, उसका क्रियान्वयन भी ठीक तरह नहीं हुआ है और ऐसी गलतियां हुई हैं जिनके कारण बहुत धन व्यय हुआ है । इसलिए प्राक्कलन समिति ने अपने ३३वें प्रतिवेदन में मंत्रालय के कार्य की निन्दा की है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४५ लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था । परन्तु वास्तविक उत्पादन २२ लाख टन हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्य पूरा न हो सकने के क्या कारण हैं ?

यह लक्ष्य पूरा न हो सकने का परिणाम यह है कि हमें इस्पात के आयात पर विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है । यही नहीं इसके परिणामस्वरूप सहायक इंजीनियरिंग उद्योगों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है । यदि किसी अन्य देश में ऐसा हुआ होता तो मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता ।

जहां तक तीन इस्पात संयंत्रों का संबंध है, मैं उनके कार्य की प्रगति का संक्षिप्त उल्लेख करूंगा । पहले मैं रूरकेला संयंत्र को लूंगा । उसके समस्त एककों में दिसम्बर, १९५९ तक पूर्ण उत्पादन प्रारंभ हो जाना चाहिए था । परन्तु हम देखते हैं कि वहां बहुत कम उत्पादन हुआ है । इस्पात पिंडों के संबंध में दस लाख टन उत्पादन का वायदा किया गया था परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल २$^{१}/_{२}$ लाख टन हुआ है। इस गति से वह अपना लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बयासीवां प्रतिवेदन

†सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बयासीवें प्रतिवेदन, जो १२ अप्रैल, १९६१ को सभा में पेश किया गया था, से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—जारी

†उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा १ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा होगी, अर्थात्—

"इस सभा की यह राय है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।"

†श्री शि० ला० सक्सेना (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अनेक समितियों द्वारा विचार किया जा चुका है जिनमें से अंतिम १९४६ की भारतीय कोयला खान समिति थी । उसने यह विचार व्यक्त किया था कि अभी दस वर्ष तक समस्त कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण व्यवहारिक नहीं है ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन है कि अब १५ वर्ष गुजर चुके हैं । हम दो योजनायें समाप्त कर चुके हैं और तीसरी योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं । इसलिये अब कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । ब्रिटेन और फ्रांस के उदाहरण हमारे सामने हैं । उनसे मालूम होता है कि यह एक बुनियादी उद्योग है तथा उसका राष्ट्रीयकरण किये बिना उसके मूल्य पर नियंत्रण रखना तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा कर पाना संभव नहीं है । इसलिये यदि इस समय भी इस दिशा में कदम नहीं उठाया जाएगा तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय अहित होगा । ब्रिटेन में अनुदार दल की सरकार होने पर भी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जारी है और उससे देश का बहुत लाभ हुआ है । मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समस्त कोयला खानों का प्रबन्ध कर सकता है अतः अब राष्ट्रीयकरण में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए । यदि सरकार छोटी खानों को लेने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम नई खानों का काम सरकारी क्षेत्र के ही हाथों में रहना चाहिए ।

सरकार को इस मामले में दृढ़ नीति अपनानी चाहिए । मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की यह राय नहीं मानी जानी चाहिए कि गैर सरकारी उपक्रम को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त हमें विदेशों से ऋण लेते समय भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं करनी चाहिएं । अमरीका यह चाहता है कि हम गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार बिना शर्त की सहायता ही मंजूर करेगी। कोयला एक बुनियादी उद्योग है जिस पर समस्त आयोजन आधारित है। अतः उसका राष्ट्रीयकरण किए बिना उचित आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, मैंने इस प्रस्ताव में एक संशोधन की सूचना दी थी, जिसका मंशा यह था कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना काल में हमें कोयला के उत्पादन को बढ़ाने के लिये और उससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिये कोल माइंज़ का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और उसी के साथ १९५६ के भारत सरकार के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन में संशोधन करना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, मैं सदन की सूचना के लिये सरकार के १९४८ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन के कुछ उदाहरण पढ़ना चाहता हूं। १९४८ में पहली दफ़ा एक इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन की रचना की गई थी और उसमें कहा गया था---कि सरकार कोयला, लोहा और इस्पात तथा खनिज तेल उद्योगों को अपने हाथ में लेगी और केवल राष्ट्रीय हित के विचार से ही गैर-सरकारी उद्यमों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

उसके बाद उसमें यह कहा गया था कि सरकार ने इन क्षेत्रों के उपक्रमों को दस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय किया है तथा इस अवधि के पश्चात् स्थिति पर पुनर्विलोकन करके ही उनके ग्रहण का निश्चय किया जाएगा। इसी प्रकार १९५६ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन में भी "नेशनल इंट्रेस्ट" के शब्द दिये गये हैं। साथ ही १९५६ के रेज़ोल्यूशन में स्पष्टतया शिडयूल ए बना कर यह लिख दिया गया कि अमुक अमुक चीज़ें सिर्फ पबलिक सेक्टर में होंगी और उनको प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जा सकेगा। इस प्रश्न पर इस सदन में चर्चा हुई है। मेरा ख्याल है कि नवम्बर के अधिवेशन में जब मैंने यह प्रश्न उठाया, तो माननीय मंत्री जी ने एक बयान दिया था उसमें उन्होंने "नेशनल इंट्रस्ट" की परिभाषा को ज़रा खींचने और बढ़ाने की कोशिश की। उक्त रेज़ोल्यूशनों में "नेशनल इंट्रेस्ट" की परिभाषा नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी के अनुसार "नेशनल इंट्रेस्ट" का अर्थ यह है यह है कि चूंकि देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाना है और पबलिक सेक्टर में, सिंगरेनी कोलियरी और एन० सी० डी० सी० में, उत्पादन इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिये नेशनल इंट्रेस्ट यह है कि पहले से जो प्राइवेट खदानें चल रही हैं, उनको कनटिगुअस एरियाज़ में, आस-पास के एरियाज़ में, नई खुदाई करने की इजाज़त दी जाये। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह सरकार अपनी बनाई हुई नीति पर चलना चाहती है या नहीं। जैसा कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है, १९४८ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन में स्पष्टतया इस बात का ज़िक्र है कि दस साल तक तो इन पुराने लोगों को इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने की इजाज़त दी जायेगी और इस अवधि के पश्चात् इस सारे मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा। यह बात १९४८ में कही गई थी और १९५८ गुज़र गया है, आज १९६१ है और तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है, लेकिन जहां तक दस साल के बाद रीव्यू करने का प्रश्न है, पता नहीं सरकार सो गई है। अब एक अलग तरह की विचार-धारा चल गई है। आज़ाद होने के तुरन्त बाद, १९४८ में हमने जिस तरह सोचना शुरू किया था, हमने जो विचार-धारा अपनाई थी, स्पटतया उस विचार-धारा को कबरिस्तान में दफ़नाने की बात सोची जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोयले की खदानों की नेशनलाइज़ेशन की बात उठाई

†मूल अंग्रेजी में

जाती है, तो सरकार की तरफ़ से अजीब दलीलें उठाई जाती हैं। उस की तरफ़ से कहा जाता है कि जो पुरानी खदानें प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, उनको सरकारी अधिकार में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका काफ़ी स्टाक एग्जहास्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है और उनमें मशीनरी पुरानी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, इस तरह की दलीलें आयेंगी और इस तरह की दलीलें उस वक्त भी आईं, जब कि आज़ाद होने के बाद सारे हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकारों ने ज़मींदारियों को खत्म किया, लेकिन उन दलीलों को नहीं माना गया और सही तौर पर नहीं माना गया। पुराने लोग उन को चला रहे हैं, उनकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, उनका स्टाक खत्म होता जा रहा है, इसलिये उनका राष्ट्रीयकरण न किया जाये, यह कोई दलील नहीं है। असल में हमें देखना यह होगा कि राष्ट्र के हित में क्या है, देश के हित में क्या है। राष्ट्र के हित में क्या है, यह मेरे बतलाने की आज बात नहीं है। सन् १९४८ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन में सरकार ने यह घोषित किया है कि राष्ट्र के हित में यह है कि मिनरल, आयल, आयरन एंड स्टील इत्यादि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पब्लिक सैक्टर में आएंगी, इन क्षेत्रों में प्राइवेट सैक्टर के लोगों को रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इन क्षेत्रों में नए लोगों को इंडस्ट्रीज़ खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो पुराने लोग पहले से इन में हैं, उनको दस साल तक इन को चलाने की इजाज़त होगी। दस साल के बाद इनका नैशनलाइज़ेशन कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस पालिसी को क्यों त्याग दिया है, क्यों सरकार तैयार नहीं है कि १९४८ में जो उसने वादा किया था, उसको पूरा करे? इस रेजोल्यूशन के मुताबिक १९५८ में इसको रिव्यू किया जाना था, इस पर पुनर्विचार होना था। लेकिन १९५६ में ही एक नया इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन बना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले। अब तृतीय पंच वर्षीय योजना के शुरू होने से पहले या इसके प्रारम्भ होने के अवसर पर क्या किसी तरह के कोई विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है? आज सरकार ऐसा समझती प्रतीत होती है कि उसे विदेशों से और खास तौर पर अमरीका से ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है और चूंकि ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं किया जाना चाहिये जिससे विदेशों में पूंजीपतियों के दिमागों में यह भावना पैदा हो कि उनकी पूंजी को भारत में खतरा पैदा हो सकता है। म निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार सरकार की इस घोषणा के बावजूद कि विदेशों से भारत में जो पैसा आ रहा है, उसके पीछे कोई स्ट्रिंग्ज़ नहीं हैं, कोई शर्तें नहीं हैं इस तरह की जो बातें होती हैं, इन से पता चलता है कि शर्तें हैं।

आज ही के अखबारों से ज्ञात होता है कि हमारे इकोनोमिक एफेयर्ज़ के सैक्रेट्री जनरल श्री बी० के० नेहरू इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं और चाहते हैं कि आयल इंडस्ट्री में अमरीका की कुछ पूंजी लगे, इसमें उनको कुछ विशेष सुविधायें मिलें और इसहेतु यहां पर कुछ बातचीत चल रही है। चाहे आज आयल चर्चा का विषय नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो बातें हैं उनसे पता चलता है कि सरक र का दिमाग किस तरफ चल रहा है। हो सकता है कि सरकार ये विशेष सुविधायें देने को तैयार हो जाए, इस तरह का संकेत अखबारों से मिलता है। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता हूं केवल कोल इंडस्ट्री के बारे में ही अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो विदेशी पूंजी लगी हुई है, उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिये और यह तो तय होना चाहिये कि हम उसको कब तक बर्दाश्त करेंगे। १९५८ तक साढे बत्तीस करोड़ रुपया या तेतीस करोड़ रुपया प्राइवेट कालयरीज़ के मालिकों ने लगाया हुआ था और निश्चित रूप से वे इससे कहीं ज्यादा रुपया कमा चुके हैं। यह कहना कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, इनका

राष्ट्रीयकरण करने के लिये या यह कहना कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई दलील नहीं है। जब सरकार मानती है कि कोल ऐसी वस्तु है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, बहुत ही महत्व की चीज है और इसके बिना राष्ट्रीय उत्पादन को नुक्सान पहुंच सकत ाहै, इसके बिना रेलें जो कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती हैं और बिना कोल के उनका चलना सम्भव नहीं है व बन्द हो सकती हैं, तो इस कोल इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में रहने देना कहां तक उचित हो सकता है, यह सोचने की बात है। प्राइवेट लोगों की मार्फत इसको अगर आप चलाते रहेंगे, उनको इसकी इजाजत देते रहेंगे तो हो सकता है कि जिस तरह के खतरे पहले उपस्थित हुए हैं, उस तरह के खतरे आगे भी उपस्थित हों।

इस लिए मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि जब १९४८ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन में जो वादा किया गया था कि उस पर पुनर्विचार होगा और जो कहा गया था कि १९५८ में यह किया जाएगा, उसको अब किया जाए। १९५८ में आपने नहीं किया तो न सही, अब तृतीय योजना शुरू होने के अवसर पर आप उस पर विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इस तरह की स्थिति आ गई है या नहीं कि इन खदानों को हम प्राइवेट लोगों के हाथों में से लें या न लें।

कोयले के उत्पादन के जो तृतीय योजना में लक्ष्य निश्चित किए गए हैं, उनको हम देखें तो पता चलेगा कि और भी ज्यादा सुविधायें सरकार उनको देने जा रही है। ३७ मिलियन टन कोयले यानी ३ करोड़ ७० लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और उसमें से १७ मिलियन टन यानी १ करोड़ ७० लाख टन कोयला पैदा करने का दायित्व हम प्राइवेट खदानों पर डाल रहे हैं जब कि द्वितीय योजना में केवल १० मिलियन यानी एक करोड़ टन कोयला पैदा करने का दायित्व ही उन पर डाला गया था। मालूम होता है कि सरकार हिन्दुस्तान की जनता के सामने नये इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन की शक्ल में आने के लिए तैयार नहीं है, उसकी नीतियों में परिवर्तन हो चुका है। निश्चित रूप से अब इस तरह की बात कह कर टाला नहीं जा सकता है कि यह नैशनल इंटिरेस्ट में है कि उनको इन कालयरीज़ को चलाने दिया जाए। १९४८ के रेजोल्यूशन और १९५६ के रेजोल्यूशन की यह व्याख्या है, उनका यह इंटरप्रेटेशन है कि नैशनल इंटिरैस्ट में इन लोगों को कायम रहने दिया जाए, इस तरह की दलीलें देना देश की जनता को धोखा देने के बराबर होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक इन कोल माइन्ज़ का ताल्लुक है या तेल का ताल्लुक है राष्ट्र हित में आज यह है कि सरकार उनको अपने कब्जे में ले।

बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि उसके पास इस काम के लिए साधन नहीं है, देश को पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए साधनों की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि साधन आप के पास हैं और आप इस काम को कर सकते है। सरकार चाय, सिग्रेट, बीड़ी इत्यादि पर टैक्स लगा कर आम जनता पर भार डाल सकती है और साधन पैदा कर सकती है, तो क्या इस काम के लिए वह साधन पैदा नहीं कर सकती है? मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी उद्घोषणा के मुताबिक इस विषय पर पुनर्विचार करे और सोचे कि क्या अब समय नहीं है कि प्राइवेट खदानों के मालिकों से उन खदानों को अपने कब्जे में कर दिया जाए। अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरी बात तो कर ही सकते हैं। तीसरी योजना में जितना भी कोयले का अधिक उत्पादन करना है, वह सारे का सारा पब्लिक सैक्टर के ज़रिये ही किया जाए, एन० सी० डी० सी० के ज़रिये किया जाए, सिंगरेनी कोलफील्ड्स इत्यादि से हो और प्राइवेट लोगों को किसी प्रकार का भी मौका न दिया जाए कि वे नई कालियरीज़ को चलायें और जो पुरानी कालियरीज़ चल रही हैं, वही उनके पास छोड़ दी जायें। राष्ट्रीयकरण की नीति को न केवल त्याग

[श्री ब्रज राज सिंह]

दिया गया है बल्कि अब तो प्राइवेट लोगों को और भी सुविधायें देने की कोशिश की जा रही है । कितने ही मिशन हमारे यहां बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का कभी मिशन आ रहा है और कभी कोई और, कभी एक टीम इग्लैंड से आ रही है तो दूसरी कहीं और से और कुछ इस तरह की आदत हो गई है कि विदेशी लोग आकर अगर कोई रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो सरकार समझती है कि यह विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, हमारे हिन्दुस्तान के लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं । जो भी कोई विदेश से आता है, और आ कर कोई रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के पीछे कुछ न कुछ ऐसी भावना होती है जो कि राष्ट्रीयकरण के खिलाफ जाती है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि उनकी अपनी निश्चित नीति जो है, वह राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है । मैं चाहता हूं कि यह देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, उद्योग के हित में होगा, उत्पादन बढ़ाये जाने में सहायक होगा, अगर इन कालयरीज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए । मैं चाहता हूं कि १९४८ के रेजोल्यूशन पर पुनर्विचार हो और यह निश्चय हो कि अब समय आ गया है जब कि प्राइवेट मालिकों को कोयला निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उनकी मिलकियतें उनके पास नहीं रह सकती हैं और वे पब्लिक सैक्टर में आयेंगी । यदि ऐसा किया गया तो देश का भला आप कर सकेंगे । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरह के बहाने अब नहीं बनायेगी कि राष्ट्र के हित में यह है कि हम प्राइवेट लोगों को और अधिक मौका दें काम करने का और यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि जो आपकी पूर्व-निर्धारित नीति है, उसको आप बदलेंगे और जो निश्चय आपने कर रखे हैं, उन से पीछे जायेंगे । मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इस तरह की बात करने के लिए तैयार होगी और चाहेगी कि देश में इस तरह की भावना फैले कि जो पहले उसने निश्चय किया था, उसको वह बदल रही है, उससे वह पीछे जा रही है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और वह अपनी घोषित नीति को बदल देना चाहती है ।

†**सभापति महोदय** : श्री ब्रज राज सिंह के संशोधन को प्रस्तुत नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसे पहले दिन प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): सभापति महोदय, मेरे विचार के अनुसार राष्ट्रीयकरण का पक्ष निर्विवाद है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था के सभी आवश्यक अंगों में उत्पादन का सारा कार्य सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए । आर्थिक विकास में इस्पात का बहुत महत्व होता है । मुझे खुशी है कि हम तीन इस्पात संयत्रों की स्थापना कर चुके हैं तथा चौथे की तैयारी कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे समस्त गैर सरकारी उद्यम समाप्त हो जायेंगे और समस्त उद्योग सरकारी क्षेत्र में आ जायेंगे ।

इस संबंध में मैं एक बात का संकेत करना चाहता हूं और वह यह है कि हम विदेशी विशेषज्ञों को अपनी अर्थ व्यवस्था में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उन्हें हमारी अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने दिया जाये । अतः विश्व बैंक मिशन की यह बात नहीं मानी जानी चाहिए कि हम कोयला उद्योग सरकारी क्षेत्र में न लें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को जानना चाहिए विश्व बैंक मिशन ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानता था कि माननीय मंत्री विश्व बैंक का पक्ष लेंगे । परन्तु मैं समझता हूं कि विदेशियों पर इतनी अधिक निर्भरता ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है मैं सर्वथा उसके पक्ष में हूं परन्तु मेरा विचार है कि अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं आया है। हमें समस्त समस्या पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसके लिए सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। सरकार को एक आयोग या समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इस मामले की छानबीन करे और कार्यक्रम बनाए।

प्रस्तावक ने अपने भाषण में अन्य पहलुओं का निर्देश भी किया है अर्थात् श्रमिकों के पहलू और कोयले की खोज के पहलू का। मैं उनकी आवश्यकता स्वीकार करता हूं। परन्तु मेरा विचार है कि फिलहाल एक समिति या आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो इस मामले की छानबीन करे और इस कार्य के लिए एक समय सीमा तथा विभिन्न प्रक्रम निर्धारित करे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार पर चारों ओर से दबाव डाला जा रहा है और ऐसा करना कठिन होगा यद्यपि सरकार स्वयं अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को स्वीकार कर चुकी है। सभा के कुछ निर्वाचित तिनिधि भी कोयले के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। मेरा निवेदन है कि यह आशंका निर्मूल है कि राष्ट्रीयकरण से उत्पादन कम हो जाएगा। वास्तव में कुछ निहित स्वार्थ इस प्रकार के रोड़े अटका रहे हैं। जब भी राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है तो वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण से कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसी प्रकार के तर्क उपस्थित किये गये थे।

मेरा विचार है कि राष्ट्रीयकरण से मजदूरों की हालत में सुधार होगा। यदि हम कोयला खान दुर्घटनाओं के प्रतिवेदनों को देखें तो ज्ञात होगा कि अधिकांश दुर्घटनायें खान मालिकों की असावधानी के कारण हुई हैं। मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो इस प्रकार का कुप्रबन्ध दूर हो जाएगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इसके अतिरिक्त मजदूरों को अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। मैं श्री दी० चं० शर्मा के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इस समिति में संसद के सदस्य और योजना आयोग के सदस्य रखे जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस उद्योग के लिए राष्ट्रीयकरण के लिए कार्यवाही करेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सभापति महोदय, म श्रीमती रेणुचक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं। कोयले का राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में क्या महत्व है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु खेद है कि कोयले का अधिकांश उत्पादन गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथों में है : गैर-सरकारी क्षेत्र लगभग ९८ प्रतिशत धातु कार्मिक कोयले का उत्पादन करता है। इस प्रकार कोयले का निर्यात भी पूर्णतः गैर-सरकारी क्षेत्र में है।

यदि हम कोयला खानों के प्रबन्ध को देखें तो ज्ञात होगा कि अधिकांश दुर्घटनायें मालिकों की असावधारी के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त छोटी खानें समस्त कोयला नहीं निकाल पाती हैं और इससे भी उत्पादन कम होता है। ऐसी लगभग ७०० खानें हैं जिनमें केवल १०,००० टन उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

कोयले की सब से अधिक खपत रेलवे में होती है। इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उसने यह सिफारिश की थी कि जितनी अधिक खानों से कोयला लिया जाता है उतना ही नियंत्रण ठीक नहीं हो पाता है।

राष्ट्रीयकरण हो जाने से मजदूरों की हालत में भी सुधार होगा। अन्य देशों में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। मैं साम्यवादी देशों की बात नहीं कहता वरन् ब्रिटेन और फ्रांस भी वैसा कर चुके हैं। हम देखते हैं कि केवल श्रमिक ही नहीं वरन् प्रबन्धकों ने भी राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। इन्हीं दोनों पर कोयले का उत्पादन निर्भर है। इसलिये राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक है। उसका गैर सरकारी क्षेत्रों में रहना किसी भी तरह उचित नहीं है। अतः यह संकल्प स्वीकार किया जाना चाहिए।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं अधिक समय न लेता हुआ सदन के समक्ष केवल सरकार की उस नीति को ही प्रस्तुत करूंगा जो कि कोयला खानों के बारे मे सरकार ने अपना रखी है। १९५५-५६ में कोयले का कुल उत्पादन ३८० लाख टन था। इसमें ४५ लाख टन सरकारी क्षेत्र में उत्पादित हुआ। ३३५ लाख टन गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादित हुआ। इस दिशा में देखने वाली बात यह है कि सरकारी क्षेत्र का कोयला उत्पादन दूसरी योजना के अन्त तक १२ प्रतिशत से लेकर २७ प्रतिशत तक बढ़ा। यह भी पूरी आशा है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल में यह वृद्धि ३७ प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। इसलिये इस सारी स्थिति से अच्छी प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस दिशा में सरकार की नीति व्यापक क्षेत्र में प्रयत्न करने के बजाय सरकारी क्षेत्र के उत्पादन को लगातार बढ़ाने की रही है। जो वृद्धि हुई है वह चार गुणा है। इस समय जितना उत्पादन सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का मिलाकर है, तीसरी योजना के अन्त में उतना केवल सरकारी क्षेत्र में हो जायेगा। इस बात को तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में स्पष्ट कर दिया गया है।

इस मामले में एक और बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वह यह है कि इस समय जिन खानों में उत्पादन हो रहा है उनकी संख्या लगभग ८५० है। यह भी सत्य है कि तीसरी योजना के अन्त तक छोटी छोटी खानों का उत्पादन काफी कम हो जायेगा। परन्तु छोटी खानों का अब तक का उत्पादन अब तक ऐसा नहीं रहा कि उसे महत्वपूर्ण न कहा जा सके। अतः मेरा निवेदन है तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में मुख्य कठिनाई यही है। सरकार यह कभी भी नहीं चाहती कि इन छोटी खानों को एकदम खत्म कर दिया जाय। सरकार इन छोटी खानों को एकदम खत्म नहीं होने देगी। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शनैः शनैः वे स्वयं ही बड़ी बड़ी खानों में विलीन हो जायेंगी अथवा उनका स्टाक समाप्त हो जाने से वैसे ही अस्तित्व हीन हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त इन छोटी खानों वालों के समक्ष परिवहन की कठिनाइयां हैं। इस समस्या पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में जो कर्मचारी इन खानों में काम कर रहे हैं उनके बेरोजगार हो जाने का भी प्रश्न है। अतः न तो व्यावहारिक ही है कि इन खानों को समाप्त कर दिया जाय और न इसमें उन कर्मचारियों का ही कोई हित है। अतः हम एक दम उन्हें समाप्त नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी ठीक बात है कि इस मामले में कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आयेंगी। क्योंकि राष्ट्रीयकरण का यह परिणाम तो होगा ही कि सरकार पर पुरानी खानों और उनके यहां पड़ी निरुपयोगी मशीनों का अनावश्यक तौर पर मुआवजा देने का भार आ पड़ेगा। यह कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनकी सरलता से उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो चीजें ठीक ढंग से काम नहीं आ सकतीं उनके लिये मुआवजा देकर सरकारी क्षेत्र पर आर्थिक भार डाल देना ठीक नहीं समझा जायेगा। हमें अपने साधनों के बारे में इतने हलके ढंग से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कहना भी गलत है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार और गैर-सरकारी क्षेत्र को बने रहने देने की नीति किन्हीं अप्रस्तुत कारणों से प्रभावित हुई है। हम इस मामले मे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। अतः भारत इस बात में उचित रूप से गर्व कर सकता है कि हम अपनी आर्थिक नीति को बहुत ही सोच समझ कर तैयार करते हैं। आर्थिक विकास तो हमने करना है और योजनायें आर्थिक विकास के लिये ही तो हैं। परन्तु हमने जो नीति एक बार तय की है, वह अपने सभी साधनों पर अच्छी प्रकार विचार करके की है। एक आध मामले को लेकर बातें कर लेना सरल है परन्तु गम्भीरता से एक नीति निर्धारित करने के लिये किसी परिणाम पर पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। हमें अपनी शक्ति और क्षमता का पूर्ण रूप से अनुमान लगा कर ही किसी दिशा में आगे बढ़ना है। इस दिशा में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कोयले के उत्पादन का विस्तार कर इसे २०० लाख टन करना है और उसके लिये सरकारी क्षेत्र में धन की व्यवस्था करनी है। और यह सारा विस्तार सम्बन्धी कार्य-क्रम तीसरी योजना में पूरा करना है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं परन्तु साधनों के अभाव में हम उस सब को कर नहीं पा रहे। सारी खानों को अपने नियंत्रण में ले लेना सरकार के लिये सम्भव नहीं परन्तु हम कोयला खानों के कार्य पर नियंत्रण अवश्य रखेंगे। यह नियंत्रण विविध रूपों में किस प्रकार का होगा, यह बताना इस समय सम्भव नहीं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां की अर्थ व्यवस्था पर कड़े नियंत्रण हैं। हर पग पर नियंत्रण है, किसी को खान का लाइसेंस देने के पूर्व भी पूरी छान बीन कर ली जाती है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। कोयला क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ है। इसके द्वारा अर्जन तथा विकास, सुरक्षा के उपाय, मूल्य नियंत्रण, और श्रमिकों तथा कर्मचारियों का कल्याण इत्यादि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कुछ विषय हैं।

इसके साथ ही यह भी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति कोयला बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना खान कार्य आरम्भ नहीं कर सकता। इस दिशा में प्रस्तावक महोदया ने जो कुछ कहा है वह महत्वपूर्ण है, इसे मैं स्वीकार करता हूं परन्तु उसका इस चर्चा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में सरकारी नीति को काफी अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया है। यह सुझाव दे देना कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले ले, ठीक नहीं। अच्छी बात यही है कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाय और गैर सरकारी क्षेत्र की प्रगति को रोका न जाय। जब हमारे ऐसे साधन हो जायेंगे कि हम इस प्रकार के उद्योग को वित्तीय और प्रविधिक दृष्टि से सरकारी नियंत्रण में ले सकें तो हमें इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी विचारधारा के अतिरिक्त विस्तार में जाने का कोई लाभ नहीं, व्यावहारिक बात यह है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

†सभापति महोदय : मैं संकल्प को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि गैर सरकारी क्षेत्र की सभी कोयला-खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प

†श्री द० अ० कट्टी (चिकोडी) : मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि :—

"इस सभा की यह राय है कि विधान मंडलों में स्थानों के सुरक्षण को छोड़कर अनुसूचित जातियों को दिये गये तथा जिनका संविधान में उपबन्ध है, समस्त परित्राण अनसूचित जातियों में से धर्म परिवर्तन करके बने हुए बौद्धों को प्रदान किये जायें ।"

मेरा निवदन है कि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए जिन सुरक्षणों की व्यवस्था है—विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित करने का सुरंक्षण छोड़ कर वे सब धर्मान्तिरित बौद्धों को भी दी जानी चाहिएं । १४ अक्तूबर १९५६ को स्वर्गीय डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों के ५ लाख व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था । अब इस प्रकार के धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर २ करोड़ हो गयी है । धर्म परिवर्तन से पूर्व उन्हें जो संरक्षण प्राप्त थे वे सब अब सरकार ने वापिस ले लिये हैं । मेरे संकल्प का उद्देश्य केवल इतना है कि इन धर्मान्तिरित बौद्धों को वे सुरंक्षण भविष्य में भी मिलते रहने चाहिएं ।

कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं को मांग रहे हैं । यह बात एकदम ग़लत है । बौद्ध कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि केवल इन सुविधाओं के लिए उनको अनुसूचित जातियों के समकक्ष रखा जाय । इन लोगों ने धर्म परिवर्तन जाति पांति से छटकारा पाने के लिए ही किया है ।

म बताना चाहता हूं कि बौद्ध जो यह सुविधायें तथा रियायतें मांग रहे हैं वह इस कारण नहीं कि वह अनुसूचित जाति से आये हैं परन्तु इस कारण की वह गरीब हैं तथा हिन्दू समाज अब भी उनको बहिस्कृत समझता है ।

हिन्दू समाज में बहुत सी जातियां हैं । इन जातियों में से कुछ गांव के अन्दर मिल जुल कर रहती हैं तथा कुछ गांव से बाहर रहती हैं और उपेक्षित होती हैं । इनके साथ बातचीत करना, बैठना, इनको छूना गुनाह माना जाता है । एक प्रकार से यह हिन्दू समाज के गुलाम होते हैं । यदि इस गुलामी से छटकारा पाने के लिए वह बौद्ध धर्मावलम्बी बन जाते हैं । ऐसा करने मात्र से इनका पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता है । हमने पिछड़ापन दूर करने के लिए ही यह सुरक्षायें दी हैं । केवल हिन्दुओं के एक वर्ग अथवा जाति को सुरक्षायें नहीं दी हैं । यदि यह सुरक्षायें केवल हिन्दूओं के एक वर्ग को ही दी गई हैं तो माननीय मंत्री ऐसा बतायें और मैं तुरन्त अपना यह संकल्प वापस ले लूंगा । अन्यथा अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षायें इन बौद्धों को भी दी जानी चाहिएं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'अनुसूचित जातियां' शब्द इन जातियों को हाल में ही दिया गया है। पहले यह लोग अन्त्यज, आदि शूद्र, चांडाल आदि कहलाते थे। उसके बाद इनको 'हरिजन' कहा जाने लगा। 'हरिजन' शब्द किसी जाति विशेष का सम्बोधन नहीं है। यह उसी प्रकार है जैसे अनुसूचित आदिम जातियां। आदिम जाति का कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अपनी सुरक्षायें नहीं छोड़ देता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा भी धर्म परिवर्तन किए जान पर उसको प्राप्त सुरक्षायें मिलनी चाहिएं। मेरा सुझाव है कि 'अनुसूचित जाति' शब्द के स्थान पर 'सामाजिक पीड़ित' शब्द इनको देना अधिक उचित होगा।

प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि बौद्धों को यह सुरक्षायें देने के लिए क्या यह आवश्यक है कि संविधान का संशोधन किया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकतना नहीं है। आप भारत के संविधान के अनुच्छेद १६ तथा ४६ को देखें तो आपको पता लग जायेगा कि संविधान का संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सरकार की इच्छा पर ही अब निर्भर करता है कि इनको वह सभी सुरक्षायें दे अथवा न दे।

बड़ी अजीब बात है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक पिछड़े हुए थे, केवल धर्म परिवर्तन के कारण पिछड़े हुए नहीं रहे। बम्बई सरकार ने केवल इनको पिछड़ा हुआ माना और इनका सुरक्षण उसी प्रकार का रखा परन्तु अफसोस है कि भारत सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा और टालमटूल कर दी। मैं समझता हूं कि संभवतया भारत सरकार को यह डर है कि ऐसा करने से हिन्दू कम हो जायेंगे। यदि ऐसी बात है तो सरकार को धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा वापस ले लेनी चाहिए और जैसे पाकिस्तान अपने को मुस्लिम देश कहता है वैसे ही भारत को भी हिन्दू देश कह दो।

यह कहा जाता है कि यह देश को भिन्न भिन्न करने वाला आन्दोलन है। मैं बताना चाहता हूं कि देश को भिन्न भिन्न के हिन्दूओं ने जातियों ने अलग अलग वर्ग बना कर रखा है। हम जातियों के हैं तथा चाहते हैं कि देश में जाति पांति मिट कर सभी एक अर्थात् भारतीय वर्ग के हो जायें।

मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि मेरे इस संकल्प को स्वीकार कर लें। इससे संविधान के उपबन्धों का भी उल्लंघन नहीं होता है तथा देश के पिछड़े हुए वर्ग की सुरक्षा हो जाती है।

†**सभापति महोदय**: संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि एक समिति नियुक्त की जाये जो अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से बौद्ध हुए हैं उनके लिए सांविधानिक सुरक्षाओं की संभावनाओं पर विचार करे।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच-बिहार): माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद ४६ का उल्लेख किया है मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपा करके वह इसको सावधानी से पढ़ें। उसमें दिया हुआ है कि राज्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा करेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के हितों की रक्षा करने के लिए ही स्थान रक्षित किए गए थे। यह कहना कि हिन्दुओं में जो जाति पांति को नहीं मानते हैं वह हिन्दू नहीं है, ग़लत बात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० घोष]

हैं । रविन्द्र नाथ ठाकुर जाति पांति के विरोधी थे परन्तु हिन्दू थे । इसलिए धर्म परिवर्तन करने वालों को अनुसूचित जाति के समान स्थान की सुरक्षा देने की व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक धर्म तथा समाज अपनी रक्षा कर सकता है ।

अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का रक्षण इस उद्देश्य से किया गया था कि जो लोग अस्पृश्य होने के कारण कठिनाइयां उठा रहे हैं उनकी सहायता की जाये ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अस्पृश्यता के कारण कुछ लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसीलिए उनके लिये स्थानों का रक्षण किया गया था । परन्तु ज्यूंही यह अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं उनकी अस्पृश्यता की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं । मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के बहुत से लोगों ने इस्लाम तथा ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और उनको अनुसूचित जाति का होने के कारण जो सुरक्षायें उपलब्ध थीं, उनसे वह वंचित हो गये थे परन्तु उन्होंने यह मांग नहीं की कि उनकी सुरक्षायें वैसी ही रहने दी जायें ।

हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है तथा हमारा समाज वर्गहीन तथा जातिहीन है । हम सभी भारतीय हैं जिनको समान अधिकार तथा समान सुरक्षायें प्राप्त हैं । इसलिये यदि कोई समाज अथवा वर्ग कोई विशेष सुरक्षा मांगता है या उसको दी जाती है तो वह ठीक नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वह दिन अब दूर नहीं है जब ब्राह्मण अथवा चमार एक समान समझे जायेंगे तथा इन में से किसी को भी कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी जायेगी । जब तक चमार आदि अनुसूचित जाति के लोग इतने शिक्षित नहीं हो जाते कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें हम उनको तभी तक सुरक्षा देंगे ।

मैं समझता हूं कि यदि यह संकल्प पारित कर लिया गया तो देश के असंख्य लोग जो हिन्दू से मुसलमान तथा ईसाई बन गये हैं, भी ऐसी ही मांग करेंगे । हमारी पिछड़े वर्गों से सहानुभूति है तथा हम उनको सभी प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं । परन्तु धर्म परिवर्तन करके बौद्ध, जो विशेष अधिकार की मांग कर रहे हैं, यह उचित नहीं है । यह नवीन बौद्ध पिछड़े हुए वर्ग में तो आ सकते हैं परन्तु अनुसूचित जातियों में नहीं आ सकते । इसलिए इन को अनुसूचित जातियों के विशेष अधिकार कभी भी नहीं मिल सकते हैं । मेरा तो अपना विचार है कि माननीय सदस्य इस संकल्प को पारित करा कर एक नई जाति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय . . . .

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक वक्त में एक सदस्य बोल सकते हैं या दोनों ? मैं ने एक माननीय सदस्य को बुलाया है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव की भावना का स्वागत करता हूं । अभी जो मेरे मित्र कांग्रेस बेंचों से बोल रहे थे उस से मालूम होता है कि हिन्दू समाज ने जो पाप किये हैं उन के लिये हम प्रायश्चित करने के लिये तैयार नहीं हैं । हम को इन

सारी चीजों की पृष्ठभूमि में जाना चाहिये कि क्या उन लोगों को जिन को अछूत कहा गया, जिन्हें अनटचेबल कहा गया, जिन को शेड्यूल्ड कास्ट्स कहा गया, धर्म परिवर्तन करने नहीं दिया जायेगा। धर्म परिवर्तन आज कोई नया नहीं हो रहा है बुद्धिस्ट भाइयों के सम्बन्ध में। इस से पहले भी हिन्दू समाज में इस तरह के आन्दोलन हुए हैं जब कि हिन्दू समाज में उस वक्त की आई हुई बुराइयों के प्रति विद्रोह हुआ है और उस विद्रोह ने एक प्रकार से हिन्दू समाज की रक्षा की है, उस का सुधार किया है।

आप जानते हैं कि इस देश में हिन्दू समाज की कुछ बुराइयों को दूर करने के लिये गुरुओं का अवतरण हुआ और यद्यपि वे खुद हिन्दू थे लेकिन हिन्दू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिये उन्होंने एक अलग प्रकार के धर्म की ही रचना कर डाली, और आज उन गुरुओं के समर्थक अपने को हिन्दू धर्म से अलग एक धर्म की शक्ल में मानते हैं, जिन को सिख कहा जाता है। हम को चाहिये कि हम इस सारी पृष्ठभूमि में जायें कि क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि कुछ जातियों ने, जो दूसरी जातियों का शोषण करती रहीं, सारे हिन्दू समाज के सम्बन्ध में अपना यह अधिकार मान लिया कि वे ही सारे हिन्दू समाज को बनाने की चिन्ता कर सकती हैं और जो भी सारा लाभ हो सकता हैं उन को ले सकती हैं। यदि आप इस पृष्ठभूमि में जायेंगे तो यह पता लगेगा कि यह जो कमियां आती रही हैं हिन्दू समाज में उन से निराश हो कर, उन से असन्तुष्ट हो कर, उन को दूर करने के लिये, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। इस धर्म परिवर्तन को अगर रोकना है तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हिन्दू समाज की रक्षा के लिये लोगों को न बुद्धिस्ट बनना चाहिये न किसी दूसरे धर्म में जाना चाहिये, उन को पहले अपनी तरफ देखना चाहिये कि क्या उन्होंने इस तरह के नियम नहीं बनाये, क्या उन की आचार सहिता कुछ इस तरह की नहीं रही जिस के कारण हमारे समाज का एक भाग इस तरह का रहा जो दबा रहा और जिस का शोषण होता रहा, जिस के अधिकारों की हम ने कभी परवाह नहीं की। आज भी, जब कि हमारे संविधान को बने हुए दस वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहां कुछ जातिया हैं जो समझती हैं कि उन का ही अधिकार है हिन्दू समाज के नाम पर सारे अधिकार को ले लेने का या उन के नाम पर बोलने का। वह आज भी अछूतपन का व्यवहार करती हैं।

एक माननीय सदस्य : कौन ऐसा करता है ?

श्री ब्रजराज सिंह : उस वर्ग में मेरी जाति है, आप की जाति है, ब्राह्मणों की जाति है। इसलिये अगर उसे हम दूर करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ने जो गलतियां की हैं उन के लिये हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं या नहीं। मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता हूं कि किसी खास मदद को पाने के लिये, किसी स्वार्थ के लिये धर्म परिवर्तन किया जाय। धर्म परिवर्तन हमेशा तभी होना चाहिये जब किसी के विचार बदलें। लेकिन हमारे यहां पर पृष्ठभूमि यह रही है और इसी पृष्ठभूमि के कारण हमारे समाज में लाखों करोड़ों की तादाद में धर्म परिवर्तन लोग करते रहे। लेकिन अफसोस की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि हिन्दू समाज की आंखें नहीं खुलीं।

मैं समझता हूं कि जब धर्म परिवर्तन होता है तो साथ साथ में कुछ बुराइयां भी आती हैं। जैसे कि इस देश में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उन्होंने एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश की, और हम ने देखा कि पाकिस्तान बना। उस के पीछे भी एक धार्मिक भावना थी, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ और भी धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं जो उस के नाम पर अलग सूबे (नागालैंड) को बनाने की बात करते हैं, और इसे स्वीकार भी किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : प्रश्न यह है कि इस समय जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर के बुद्धिस्ट हो गये हैं उन को क्यों आर्थिक सुविधायें न हों, जब दूसरे हरिजनों को वे प्राप्त हैं। जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वह बिल्कुल दूसरी चीज है।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं तो सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि बतला रहा था। और जब पृष्ठभूमि समझाई जा रही है तो मेरे मित्र को यह आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि आर्थिक सुविधायें मिलें या न मिलें। मैं उन पर आ रहा हूं। जब आर्थिक सुविधाओं की बात आती है तो मैं कह सकता हूं कि इस का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा इसलिये कि वह धनवान हो जाय या उसे सब सुविधायें प्राप्त हो जायें। मैं समझता हूं कि धर्म परिवर्तन आम तौर से इस के लिये जरूरी नहीं है। धर्म अलग चीज है और आर्थिक स्थिति जो है वह बिल्कुल अलग चीज है।

श्री उमराव सिंह (घोसी) : क्या आज हरिजन भी आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं समझते ? मैं वक्ता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आज एक चमार भी एक डोम के यहां खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, उस के साथ रह सकता है ?

श्री ब्रजराज सिंह : यह कोई दलील नहीं है कि अगर चमार डोम के घर में खाना नहीं खा सकता तो ब्राह्मण, जाट, अहीर और दूसरी जातियों के लोगों को भी नहीं खाना चाहिये यह कोई दलील नहीं हो सकती।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं दोनों घरों में खाना खाने के लिये तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर कोई खाना मौजूद नहीं है कि खा लिया जाय।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं निवेदन करना चाहता था कि धर्म परिवर्तन आम तौर से किसी आर्थिक लाभ के लिये हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा चाहे कोई हिन्दू बुद्धिस्ट हो गया हो, चाहे कोई हिन्दू ईसाई हो गया हो, मुसलमान हो गया हो या कोई मुसलमान हो जिस ने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया हो कि इस तरह से उस की आर्थिक हालत अच्छी हो जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि टेकनालोजी अथवा विज्ञान की रोज चर्चा होती है हमारे सदन में, खास तौर पर हमारे प्रधान मंत्री किया करते हैं, आज जब युग बदल रहा है, जब रूस एक आदमी को वायुमंडल में भेज सकता है, जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है उस वक्त हम बहुत छोटे छोटे अपने कम्पार्टमेंट बना लें और उन में अपने को सीमित रखें, यह हमारे देश के भविष्य के लिये अच्छा नहीं होगा। जहां तक इस प्रकार की भावनाओं का सवाल है, उन को शांत किया जाना चाहिये क्योंकि कुछ मित्रों ने अपने समाज के अत्याचारों से निराश हो कर धर्म परिवर्तन कर लिया है। अगर मेरी राय चलती तो मैं उन मित्रों से कहता कि धर्म परिवर्तन करने से आम तौर से कोई उद्देश्य सफल नहीं होता है। आप धर्म परिवर्तन न करें। आप उसी समाज में रहते हुए जो अत्याचार हों उन के खिलाफ लड़ें। लेकिन यहां पर मेरी राय का सवाल नहीं है। उन्होंने निश्चय किया है, भले ही किन्हीं कारणों से निराश हो कर किया या किसी और वजह से किया, लेकिन निश्चय किया हुआ है। चूंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है धर्म परिवर्तन का इस लिये उन को जो अधिकार हिन्दुस्तान के संविधान ने दिये हैं, व अधिकार खत्म हो जाते हैं, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस से तो यही बात सिद्ध होगी कि चूंकि उन्होंने हिन्दू धर्म में फैले हुए छुआछूत से छुट्टी पाने के लिये धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस लिये हिन्दू

लोग उन से बदला लेना चाहते हैं । इसलिये मेरा निवदन होगा कि यदि संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उस में संशोधन किया जाय । हम को यह सोचना चाहिय कि वे लोग हिन्दुस्तान की जनता के उस वर्ग से आते हैं जो पिछड़ा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो पददलित है, जो शोषित है, जिस के साथ अत्याचार हो रहा है, हरिजन हैं । यदि उन को हमें दूसरों के बराबर लाना है तो उन्हें हमें विशष सुविधायें देनी होंगी । अगर किसी का धर्म परिवर्तित हो जाता है तो उस की सुविधायें खत्म कर दी जायें यह उचित नहीं होगा । हम सब को, जो आगे बढ़े हुए हैं, यह कोशिश करनी चाहिये कि कोई ऐसी स्थिति न आय जिस से लोगों को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत पड़े । अगर कोई भ्रम में पड़ा हो, अगर किसी को कोई धर्म प्यारा न हो, जबर्दस्ती उस को कोई अपने धर्म में लाना चाहता हो, तो उस पर भी हमेशा हमेशा के लिये रोक लगाई जानी चाहिये और जो आदमी चाहे वह अपनी इच्छा के धर्म को मान कर चल सके ।

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि इस प्रस्ताव की भावना ठीक है और इस का स्वागत किया जाना चाहिय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य अब पांच पांच ही मिनट लें तो अच्छा है ।

कुछ माननीय सदस्य : पांच मिनट तो बहुत कम हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझ तो बोलना है नहीं, आप दस मिनट लीजिये, पन्द्रह मिनट लीजिये । लेकिन इस तरह से बहुत कम सदस्य बोल सकेंगे ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री कट्टी के प्रस्ताव पर जो संशोधन श्री श्रीनारायण दास जी ने दिया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस बात को सोचें कि जो बात कट्टी साहब ने कटु शब्दों में कही, उस में कोई तथ्य है या नहीं ।

बहुत सी बातें इस बहस के दौरान में यहां लाई गईं । यहां पर कहा गया कि शायद हिन्दू समाज बौद्ध धर्म के फैलाव के कारण परेशानी जाहिर करता है । मैं नहीं मानता कि इस देश की सरकार या हमारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी धर्म के फैलाव को रोकने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर चाहे वह बौद्ध धर्म हो या कोई और धर्म हो । यही नहीं, आप जानते हैं कि आपके ऊपर एक निशानी लगी है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं । वह हम को बौद्धों की देन है । वह हमारे देश की एक खास निशानी है । हमारा देश उस पर फख्र करता है और उस पर हर हिन्दुस्तानी फख्र करता है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या सिख हो । तो आज हम किसी भाई की इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हिन्दू समाज या सरकार बौद्ध धर्म के फैलाव से परेशान है । मैं कहता हूं कि जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है उन में से भी कुछ भाई ऐसे हो सकते हैं जो कि यह चाहते हों कि उनके लिए लेजिसलेचर्स में सीटों का संरक्षण कायम रखा जाय, तो क्या यह भाई उनके खिलाफ यह बात कह सकेंगे कि ये लोग बौद्ध धर्म के फैलाव को नहीं चाहते और उसके खिलाफ हैं । तो अगर कोई भाई उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं तो उनके बारे में कटु शब्द कहना सही नहीं है ।

इस देश के अन्दर सिकयूलर (धर्म निरपेक्ष) समाज बनाने का फैसला पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ है और कांग्रेस पार्टी के नेता उस फैसले को मानते हैं और उसी

[चौ० रणवीर सिंह]

के अनुसार इस देश का विधान बनाया गया है और उस विधान के बनाने में बड़ा हिस्सा डा० अम्बडकर ने लिया था जो कि हमारे इन साथी के सियासी गुरु थे और आज भी वे उनको अपना सियासी गुरु मानते हैं। अगर विधान में कोई बात उनके हितों के खिलाफ होती तो डा० अम्बेडकर को वह मंजूर न होती। और अगर विधान में कोई गलत चीज है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। इस काम को करने के लिए देश में बहुत वकील मिल सकते हैं, आज भी देश में वकीलों की कमी नहीं है। अगर हमारे साथी यह समझते हैं कि डा० अम्बेडकर के बराबरी के वकील नहीं हैं, तो न सही लेकिन काम तो चला ही सकते हैं, आज भी इस देश के अन्दर सारा काम चल ही रहा है। तो अगर इस देश के विधान के अन्दर तबदीली कराना है तो उस काम को प्रस्तावक महोदय किसी दूसरे वकील से भी करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसकी नीति बिल्कुल साफ है, वह किसी के साथ किसी धर्म की बिना पर कोई पक्षपात नहीं करना चाहती।

आप जानते हैं कि हमारे पिछड़ी जातियों के भाई इस देश के अन्दर इन १३–१४ साल के अन्दर जो मांगें रखते आ रहे हैं उनमें से एक तो यह है कि पढ़ाई की सुविधा हो, दूसरी यह कि गरीब आदमी को अपने पांवों पर खड़े होने की सुविधा मिल सके और तीसरी सुविधा यह चाहते हैं कि उनके लिए नौकरियां सुरक्षित रखी जाएं। और चौथी बात है कि लेजिस्लेचरों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें। लेकिन हमारे प्रस्तावक महोदय और उनके साथी इस चौथी चीज की मांग नहीं करते। वह इस चौथी मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं।

अब जहां तक पहली सुविधा का ताल्लुक है यानी तालीम का, उसमें पिछड़े वर्गों को सुविधायें दी जा रही हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है पंजाब राज्य में सरकार ने यह फैसला किया है कि हर भाई को जिसकी आमदनी थोड़ी है, यानी सौ रुपये माहवार तक है, चाहे वह बौद्ध धर्म का मानने वाला हो या हिन्दू धर्म का मानने वाला हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे पंजाबी पढ़ना चाहता हो, चाहे हिन्दी पढ़ना चाहता हो, उसके बच्चों को नवीं जमाअत तक मुफ्त शिक्षा दी जायगी, उससे कोई फीस नहीं ली जायगी और आग दसवीं जमाअत के लिए भी यह सुविधा बढ़ाने का विचार है। तो जिस प्रकार की सुविधा शिक्षा के लिए चाही जाती है वह पंजाब प्रदेश में दी जा रही है और दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार की नीति है।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक) : आल इंडिया में नहीं है।

चौ० रणबीर सिंह : तो इस बारे में कोई जाति का सवाल नहीं है यह बात गायकवाड़ साहब भी मानेंगे।

मैं तो समझता था कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव लाते कि शिड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्स के इलावा दूसरी जातियों की तरह जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनको भी इनमें शामिल किया जाय। अगर उस प्रस्ताव का डिप्टी मिनिस्टर साहब या कांग्रस पार्टी के लोग इत्तिलाफ करते तब तो मैं उनकी बात को समझ सकता था। लेकिन वह तो एक तीसरी जमाअत पैदा करना चाहते हैं। विधान में जो जमाअतें रखी गयी हैं उससे वह एक जमाअत और ज्यादा चाहते हैं। अगर वह यह कहते कि जिस तरह से एक जमाअत शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स की है और दूसरी बैकवर्ड क्लासेज की है, उसी तरह उनकी एक जमाअत भी मानी जाय जो कि धर्म परिवर्तन करके अलग हो गये हैं। लेकिन जहां तक लड़ाई का सवाल है पार्लियामेंट के चुनाव के लिए और विधान सभाओं

के लिए उसमें वे संरक्षण नहीं चाहते और कहते हैं कि उस लड़ाई के तो वे लायक हैं, लेकिन जब नौकरियों का सवाल आता है तो वे कहते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं। उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। वह एक चीज में अपने आप को लायक मानते हैं और दूसरी चीज में नालायक मानते हैं। इसलिए मैं, जो संशोधन है, उसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो भाई बौद्ध धर्म में चले गये हैं उनके दिल में कोई कटुता पैदा हो और सरकार भी इस बात का ध्यान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, कि किसी भाई के दिल में कटुता न आय। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो संशोधन नारायण दास जी ने रखा है उसको प्रस्तावक महोदय भी मान लेंगे और सदन भी उसको स्वीकार कर लेगा।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रस्ताव रखा गया तो मैंने देखा कि इस देश के अन्दर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मत हैं और उनके मानने वाले भी हैं। धर्म और मत का जो सम्बन्ध है वह आत्मा का सम्बन्ध है, एक रास्ते से जाने का सम्बन्ध है। किन्तु हमारे जो भाई अपने को नव बुद्ध कहते हैं उनका जो तरीका है वह अलग है। हम में से बहुत सारे भाई हैं जो हरिजन हैं या जिनको अनुसूचित कहा जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों में से कुछ आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के सिद्धान्तों को मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सनातन धर्मी हैं और मूर्ति पूजा करते हैं और उस धर्म के सिद्धान्तों को मानते हैं और इसी तरह से हमारे यहां बहुत से मत मतान्तर हैं, उनके सिद्धान्तों पर लोग चलते हैं और उन सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं। और हमारे जो भाई नव बुद्ध बने हैं तो उनके बौद्ध रहने में हमको कोई एतराज नहीं है। वे महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके चलाये हुए सिद्धान्तों पर चलें। लेकिन यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि वे यह कहें कि हमें अलग अधिकार दिय जायें। हम में से जो भाई आर्य समाजी है वह कभी भी नहीं कहता कि उसे अलग पूरे अधिकार दिये जायें। वह तो पूरे अधिकारों का उपभोग करता है। उसके लिए जब नौकरी का प्रश्न आता है तो उसको नौकरी भी मिल जाती है। वह अपने आपको बताता है कि वह हरिजन है और वह अमुक जाति से सम्बन्ध रखता है। तो उसको कोई कठिनाई नहीं होती। हमारे जो भाई बौद्ध हैं अगर उनको बुद्ध धर्म के सिद्धान्त प्रिय हैं तो वे उनके अनुसार चलें, अपने घरों में धम्मपद का पाठ करें, महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया है उस पर चलें। परन्तु मैं ने देखा है कि यह एक नारा है। इस नारे के द्वारा एक जाति विशेष को गाली देने के लिए एक स्टेज तैयार किया गया है और उससे कटुता बढ़ रही है। शुरू से ही हरिजनों के अन्दर इस प्रकार का एक खास फिरका रहा है। मैं यह मानता हूं कि हरिजन हजारों सालों से दब रहे, पिछड़ रहे और उसके कारण उनके मन में कटुता उभरी और बहुत तेजी से उभरे और वह उसको भूलना नहीं चाहते यह भी मैं मानता हूं लेकिन उसको वह भूलना नहीं चाहते हैं। उसमें बदले की भावना लेकर अगर हम कोई अलग पार्टी बनायें या हम कोई अलग नाम लेकर खड़े हो जांय तो मैं उचित और उपयुक्त नहीं समझता हूं।

आप किसी एक खास चीज में विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को मानिये और उसके ऊपर चलिये और ऐसा आजकल आप कर रहे हैं। मैंने यह देखा है और मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात तो कह सकता हूं सारे देश के लिए तो मैं नहीं कह सकता, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे भाई जब वह जरूरत समझते हैं तो अपने को बौद्ध कह लेते हैं किन्तु जब नौकरी का प्रश्न आता है तो अपने को वही बतलाते जोकि वह हैं। कोई एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं यह साबित करने के लिए कि वह शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, अनुसूचित जाति के हैं और यह कि अमुक अमुक जाति से वह सम्बन्ध रखते हैं और इस तरह उनको नौकरी मिल जाती है। राजनैतिक दृष्टि से जब वह देखते

[श्री नवल प्रभाकर]

हैं कि उनकी जो जगह है स्थान है वहां वह खड़े हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं तो वह अपने को कहते हैं कि वे बौद्ध हैं। वह लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। जहां पर बहुमत होता है जीत जाते हैं और बहुत सी जगह रह भी जाते हैं। लेकिन जब सीटों के रिजर्वेशन का समय आता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि वह फिर अपनी पार्टी के सिद्धान्त भूल जाते हैं और वह वहां पर फिर अपने को अनुसूचित जाति का जाहिर करते हैं और वह लड़ते हैं और खड़े होते हैं। उन भाइयों से मेरा यह कहना है कि इस तरीके से अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यह जो आप दो नावों पर सवार होते हैं वह सही चीज नहीं है। अब या तो आप बिल्कुल साफ तौर पर कह दें कि हम बौद्ध हैं। एक अलग मत के हैं और अलग हमारा सम्प्रदाय है और हम पोलिटिकली अलग हैं और हमारा हिन्दू धर्म से कोई सम्बन्ध और ताल्लुक नहीं है। हम ठीक उसी तरह से एक अलग सम्प्रदाय हैं जैसे कि ईसाई और मुसलमान हैं। हमारे उन भाइयों को यह दो तरफा खेल नहीं खेलना चाहिए कि जरूरत समझें तो नौकरी पाने के लिए अपने को बौद्ध जाहिर न करें लेकिन जब समाज के प्रति विद्रोह और विरोध करने की जरूरत हो तो उस समय जोरों से यह आवाज लगायें कि हम बौद्ध हैं। यह उनकी दो नावों पर सवार होने वाली चीज ठीक नहीं है। मैं उन से फिर आग्रह करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यदि आप बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उसे आप अपनायें। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा और ऊंचा मत है। आप उसके सिद्धान्तों को मानिये और अपने को उसके अनुसार ढालिये। अपने आचरण को उसके अनुसार बनाइये। महात्मा बुद्ध ने जो विनम्रता सिखाई है आप उस विनम्रता को लीजिय और उसका पालन कीजिये। लेकिन मैं ने देखा है कि आप कार्य रूप उन महान सिद्धान्तों को जो कि बौद्ध धर्म सिखलाता है, नहीं अपनाते हैं और न ही उस धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार न तो अहिंसा का भाव आपके हृदय में है और न विनीत आप के अन्दर है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त कर लिया है।

श्री नवल प्रभाकर : जैसी आपकी आज्ञा, मैं स्थान ग्रहण कर रहा हूं।

†श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस रूप में यह असांविधानिक है।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१/२५ चैत्र, १८८३ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१

२४ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	५२०३—२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१९	औषधियों के कारखाने	५२०३—०५
१५२१	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	५२०६—०८
१५२२	बड़े पैमाने के उद्योगों में विदेशी सहयोग . . .	५२०८—११
१५२३	हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना, बंगलौर .	५२११–१२
१५२४	कोयला खनिकों के लिए क्वार्टर . .	५२१२—१४
१५२५	इटली का व्यापार प्रतिनिधिमंडल . . .	५२१४—१६
१५२८	रूरकेला में भारी मशीनें बनाने का उद्योग . .	५२१६–१७
१५३०	पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से निर्मित सैनिक शिविर	५२१७—२०
१५३१	अंदमान में रबर बागान	५२२०
१५३२	मनीपुर के पुराने महल के आहाते में से चतुर्थ आसाम राइफल्स का हटाया जाना	५२२१
१५३३	सीमेन्ट के वितरण के लिये परमिट प्रणाली . .	५२२२–२३
१५३४	रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा का विशेष रंगीन प्रलेख चित्र	५२२३—२५
१५३५	ब्रिटन के लिये भारतीय चाय	५२२५—२७
१५३७	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	५२२७—२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	५२२८—५८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५२०	सरकारी उपक्रमों के लिये भर्ती . . .	५२२८–२९
१५२६	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	५२२९
१५२७	वेटोर (महाराष्ट्र) में सिलिका की खानें . . .	५२२९–३०
१५२९	कपड़े के डिजाइन	५२३०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

१५३६	रांची में ढलाई और गढ़ाई का कारखाना .	५२३०
१५३८	मिंटो रोड क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर . . .	५२३१
१५३९	चीन से भारतीय चिकित्सकों का निष्कासन .	५२३१–३२
१५४०	तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार . .	५२३२
१५४१	भारत में रहने वाले गोआ के लोगों की नागरिकता के अधिकार	५२३२–३३
१५४२	दंडकारण्य में पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्ति	५२३३
१५४३	गोदी श्रमिक बोर्डों को ऋण	५२३३
१५४४	पुनर्वास मंत्रालय का विघटन	५२३४
१५४५	कागज बनाने की मशीनें	५२३४
१५४६	रूई का निर्यात	५२३४–३५
१५४७	आय की प्रवृत्तियों और संभावनाओं के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट . .	५२३५
१५४८	सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों को प्रोत्साहन	५२३६
१५४९	कच्चे काजू का आयात . . .	५२३६
१५५०	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के लिये स्थान की कमी	५२३६–३७
१५५१	मशीनरी निर्माण उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् .	५२३७
१५५२	अमोनिया और अमोनियम संयंत्र	५२३७

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३२९४	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	५२३७
३२९५	भारत में रासायनिक रंग उद्योग में विदेशी सार्थ	५२३८
३२९६	बाईसिकलें . .	५२३८
३२९७	कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े . .	५२३८
३२९८	निम्बुक (निम्बु-प्रजातीय फल) तेल निर्माण कारखाना	५२३९
३२९९	पश्चिम बंगाल में शिविरों में विस्थापित व्यक्ति	५२३९
३३००	पंजाब और द्वितीय पंचवर्षीय योजना	५२३९
३३०१	पानी के मीटरों का निर्माण . .	५२४०
३३०२	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार	५२४०–४१
३३०३	आन्ध्र प्रदेश में कागज का कारखाना	५२४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३०४	कला थिरु द्वीप . . .	५२४१–४२
३३०५	भारत-तिब्बत व्यापार . .	५२४२
३३०६	नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में जल संभरण .	५२४२–४३
३३०७	हाथ से बुनाई के लिये ऊन तैयार करने वाले कुटीर उद्योग	५२४३
३३०८	बल्लभगढ़ में टायर और रबड़ निर्माण संयंत्र .	५२४३
३३०९	विदेशों द्वारा भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना	५२४३–४४
३३१०	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	५२४४
३३११	किसानों के लिये पुस्तक का प्रकाशन	५२४४
३३१२	जीरे का निर्यात . .	५२४५
३३१३	आन्ध्र प्रदेश में रेयन पल्प फैक्टरी .	५२४५
३३१४	ब्रह्माण्ड विकिरण अध्ययन के लिए गुब्बारे	५२४५
३३१५	विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को सुविधायें .	५२४६
३३१६	उद्योगों को दिये गये संरक्षण का वापिस लिया जाना	५२४६
३३१७	यूरोपीय देशों के साथ व्यापार	५२४६–४७
३३१८	वाल्व और ट्रांसमीटर . .	५२४८
३३१९	पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मकानों की नीलामी	५२४८
३३२०	हथकरघा उत्पादों का रूस को निर्यात	५२४८–४९
३३२१	पश्चिम बंगाल के शिविरों के शरणार्थी	५२४९
३३२२	पश्चिम बंगाल में नये विद्युत करघे	५१४९
३३२३	बंगाल देशी रूई .	५२४९–५०
३३२४	दूसरी बांडुंग सम्मेलन .	५२५०
३३२५	खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, अगरतला (त्रिपुरा)	५२५०
३३२६	मशीनें बनाने वाले उद्योगों का विकास	९२५०–५१
३३२७	इस्पात का आयात .	५२५१
३३२८	मिंटो रोड क्षेत्र में क्वार्टर	५२५१
३३२९	यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया . . .	५२५२
३३३०	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घड़िया बनाने का कारखाना	५२५२–५३
३३३१	चाय उद्योग के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था	५२५३
३३३२	ईरान के लिए भारतीय चाय	५२५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३३३३	कपड़े के मूल्य . .	५२५३–५४
३३३४	दिल्ली और नयी दिल्ली में बकाया किराया .	५२५४
३३३५	जौर, मद्रास, में उर्वरक कारखाना .	५२५४
३३३६	मद्रास में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी . . .	५२५५
३३३७	मद्रास राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान	५२५५
३३३८	वाट मीटरों का उत्पादन . .	५२५५–५६
३३३९	कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना .	५२५६
३३४०	पश्चिम जर्मनी को निर्यात .	५२५६
३३४१	निष्क्राम्य सम्पत्ति के रूप में सिनेमा घर .	५२५७
३३४२	तीसरी चवर्षीय ोजना में शिक्षा	५२५७
३३४३	बांडुंग सम्मेलन	५२५७
३३४४	तिब्बत से आये कश्मीरी मुसलमानों का बसाया जाना .	५२५७–५८
३३४५	मैसूर में कुटीर उद्योग	५२५८

स्थगन प्रस्ताव ५२५८–५९

अध्यक्ष महोदय ने १३ अप्रैल, १९६१ को गल से बिजली की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने के बारे में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, ब्रज राज सिंह और अर्जुन सिंह भदौरिया तथा हेम ब आ ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये

(१) चाय अि नियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५२ में प्रकाशित चाय (संशोधन) नियम, १९६१

(दो) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५३ में प्रकाशित चाय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर और प्रजातंत्रवादी जर्मन गणराज्य के मैसर्स लाइमेक्स के बीच दिनांक ६ मार्च, १९६१ का करार ।

(दो) विशेष प्रयोजन की मशीनों के निर्माण के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर और फ्रांस के मैसर्स रिनाल्ट्स के बीच दिनांक १६ मार्च, १९६१ का करार ।

(तीन) रांची, बिहार के ढलवे लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के तीसरे प्रक्रम के पहले चरण के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची तथा चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के बीच दिनांक ७ फरवरी, १९६१ का करार ।

(चार) ढलवे लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के पहले प्रक्रम के लिये पुर्जे, जिन में २६,००० टन का जल विद्युत् प्रैस और सलाखें बनाने तथा ताप देने का मिस्त्रीखाना भी शामिल है, देने के लिये हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची और चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के बीच दिनांक ३१ मार्च, १९६१ का अनुपूरक करार ।

(पांच) ढलवे लोहे का सामान तैयार करने वाले कारखाने के दूसरे प्रक्रम की स्थापना के लिये मशीनें और उपकरण देने के लिये, जिसमें सलाखें बनाने की मशीन और ताप देने का मिस्त्रीखाना तथा उनके पुर्जे भी शामिल हैं, हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची और चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के बीच दिनांक ३१ मार्च, १९६१ का अनुपूरक करार ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ५२६०

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन— स्वीकृत . . ५२६१

त्रैसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ५२६१—७७

इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ५२७८

बयासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	५२७८—८६
१ अप्रैल, १९६१ को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती प्रस्तुत कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	५२८६—९४
श्री द० अ० कट्टी ने, अनुसूचित जातियों के उन लोगों को, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, संवैधानिक संरक्षण देने के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१/२५ चैत्र, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि—	
खनिज और तेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और अनुदान । खाद्य और कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।	

GIPND—LSII—478(Ai)LSD—14-6-61—125.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . ५२७८—८६

श्री शि० ला० सक्सेना . . ५२७८–७९

श्री ब्रजराज सिंह . . ५२७९—८२

श्री दी० चं० शर्मा . . ५२८२–८३

श्री स० मो० बनर्जी . . . ५१८३

श्री त० ब० विट्ठलराव ५२८३–८४

सरदार स्वर्ण सिंह ५२८४–८५

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प— ५२८६—९४

श्री द० अ० कट्टि . . . ५२८६–८७

श्री न० र० घोष . . . ५२८७–८८

श्री ब्रजराज सिंह . . . . . ५२८८—९१

चौ० रणवीर सिंह . . . . . ५२९१—९३

श्री नवल प्रभाकर ५२९३–९४

श्री श्रीनारायण दास ५२९४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५२९५—५३००

PLS 41. LIV. 44.. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय की संसदीय शाखा में मुद्रित।